खण्ड ५—अंक २
१७ जुलाई, १९५६ (मंगलवार)

लोक-सभा
वाद - विवाद

(भाग १—प्रश्नोत्तर)

सत्यमेव जयते

1st Lok Sabha

(XII Session)

(खण्ड ५ में अंक १ से अंक २० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

२५ नये पैसे (देश में)   एक शिलिंग (विदेश में)

170 L. S.

विषय-सूचि

(खण्ड ५, संख्या १–२०—१६ जुलाई से १० अगस्त)

पृष्ठ

अंक १, सोमवार, १६ जुलाई, १९५६

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण . . . १

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १, ३ से ८, १० से १२, १४ से २१, २३ से २५, २७ और २९ से ३१ . . . . १–२४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २, ९, १३, २२, २८ और ३२ से ३४ . २४–२६

अतारांकित प्रश्न संख्या १ से २२, २४ और २५ . . . २६–३६

दैनिक संक्षेपिका . . ३८–३९

अंक २, मंगलवार, १७ जुलाई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३५, ३९, ४१, ४२, ४४ से ५०, ५२ से ५७, ६० और ६१ . . . . . . ४१–६२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३६ से ३८, ४०, ४३, ५१, ५८, ५९, ६२ से ६७ . . . . . ६२–६७

अतारांकित प्रश्न संख्या २६ से ५९ . ६७–८०

दैनिक संक्षेपिका . ८१–८३

अंक ३, बुधवार, १८ जुलाई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६८, ६९, ७१ से ७४, ७६, ७८, ८०, ८२, ८३, ८५, ८६, ८८, ९० से ९३, ९६ से ९९ . . . ८५–१०६

प्रश्नों के लिखित उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या ७०, ७५, ७७, ७९, ८१, ८४, ८७, ८९, ९४, ९५, १०० से ११३, ११५ से १२८ . . . . १०६–१९

अतारांकित प्रश्न संख्या ६० से ८१, ८३ . . . ११९–२६

पृष्ठ

तारांकित प्रश्न संख्या के उत्तर में शुद्धि . . १२६

दैनिक संक्षेपिका १२८–३०

अंक ४, शुक्रवार, २० जुलाई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर——

तारांकित प्रश्न संख्या १२९ से १३२, १३४, १३६ से १३८, १४०, १४१ १४३, १४७, १५० से १५३, १५६, १५७, १३५ और १३९ . १३१–५३

प्रश्नों के लिखित उत्तर——

तारांकित प्रश्न संख्या १३३, १४४ से १४६, १४८, १४९, १५४, १५५, १५८ . . . . . १५४–५६

अतारांकित प्रश्न संख्या ८४ से १०१ १५६–६४

दैनिक संक्षेपिका . . १६५–६६

अंक ५, शनिवार, २१ जुलाई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर——

तारांकित प्रश्न संख्या १५९ से १६७, १६९, १७१, १७२, १७४ से १७६ और १८० से १८६ . . . . . १६७–९०

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १ १९०–९२

प्रश्नों के लिखित उत्तर——

तारांकित प्रश्न संख्या १६८, १७०, १७३, १७७, १७८ और १८७ से १९६ १९२–९६

अतारांकित प्रश्न संख्या १०२ से १३० १९७–२०९

दैनिक संक्षेपिका २१०–१२

अंक ६, मंगलवार, २४ जुलाई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर——

तारांकित प्रश्न संख्या १९७ से २०२, २०४ से २०६, २०८, २०९, २१२ २१३, २१६ से २२७, २१५ और २१० . . . २१३–३६

प्रश्नों के लिखित उत्तर——

तारांकित प्रश्न संख्या २०३, २०७, २११, २१४ २३६–३७

अतारांकित प्रश्न संख्या १३१ से १३९ २३७–४१

दैनिक संक्षेपिका २४२–४३

पृष्ठ

अंक ७, बुधवार, २५ जुलाई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २३८ से २४२, २४४ से २५२, २५४ और २५५ . २४४–६५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २४३, २५३ और २५६ से २८६ २६६–७५

अतारांकित प्रश्न संख्या १४० से १७६ . . २७६–८८

दैनिक संक्षेपिका . . . २८९–९१

अंक ८, गुरुवार, २६ जुलाई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २८७ से २९२, २९४ से २९८, ३०० से ३०२ ३०४ से ३११ और ३१४ . २९२–३१४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २९३, २८८, ३०३, ३१२, ३१३, ३१५ से ३३८ और ३४१ . . . ३१४–२४

अतारांकित प्रश्न संख्या १७७ से २११ ३२४–३५

दैनिक संक्षेपिका . . ३३६–३७

अंक ९, शुक्रवार, २७ जुलाई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३४२, ३४४, ३४६ से ३४८, ३५४, ३७४, ३४९ से ३५३, ३५५, ३५६, ३५८, ३५९ और ३६१ से ३६७ ३३९–५७

अल्प-सूचना प्रश्न संख्या २ से ४ ३५७–६७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न ३४३, ३४५, ३५७, ३६०, ३६४ से ३७३, ३७५ से ३८२ और ३८४ से ३९३ . . . . . ३६७–७७

अतारांकित प्रश्न संख्या २१२ से २४० . ३७७–८७

दैनिक संक्षेपिका ३८८–९०

अंक १०, शनिवार, २८ जुलाई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३९६, ३९८ से ४००, ४०२ से ४०६, ४०८, ४११, ४१२, ४१५, ४१७, ४१८, ४२०, ४२१, ४२३, ४२६, ४२९, ४३१, ४३२ ४३५ और ४३६ . . . ३९१–४११

पृष्ठ

अल्प सुचना प्रश्न संख्या ५ . . . ४१२–१३

प्रश्नों के लिखित उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या ३९४, ३९५, ३९७, ४०१, ४०७, ४०९, ४१०, ४१३ ४१४, ४१६, ४१९, ४२४, ४२५, ४२८, ४३०, ४३३, ४३४, और ४३७ से ४४७ . . . . . ४१३–२२

अतारांकित प्रश्न संख्या २४१ से २६१ . . ४२२–२९

दैनिक संक्षेपिका ४३०–३२

अंक ११, सोमवार, ३० जुलाई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या ४५१ से ४५४, ४५६ से ४६०, ४६२, ४६३, ४६६, ४६८, ४६९, ४७१ से ४७७ और ४७९, ४८० . . . ४३३–५३

प्रश्नों के लिखित उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या ४४८ से ४५०, ४५५, ४६१, ४६४, ४६५, ४६७, ४७०, ४७८ और ४८१ से ५०० . . . . ४५३–६३

अतारांकित प्रश्न संख्या २६२ से २९६ . ४६३–७६

दैनिक संक्षेपिका ४७७–७९

अंक १२, मंगलवार, ३१ जुलाई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या ५०५ से ५०९, ५११ से ५२२, ५२५, ५२८, ५२९, ५३१ और ५३४ से ५३६ . . . . ४८१–५०२

प्रश्नों के लिखित उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या ५०१ से ५०४, ५१०, ५२३, ५२४, ५२६, ५२७, ५३०, ५३२, ५३३, ५३७ से ५३९ और ५४१ से ५५७ . . ५०३–१३

अतारांकित प्रश्न संख्या २९७ से ३३६ . ५१३–२४

दैनिक संक्षेपिका . ५२५–२६

अंक १३, बुधवार, १ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या ५६०, ५६१, ५६३ से ५६५, ५६७, ५६८, ५७१, ५७३ से ५७७, ५७९ और ५८० . . . . ५२९–४८

प्रश्नों के लिखित उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या ५५८, ५५९, ५६२, ५६६, ५६९, ५७०, ५७२, ५७८ ५८१ से ५९८, ६०० से ६०६, ६०८ और ६०९ . . ५४९–५९

पृष्ठ

अतारांकित प्रश्न संख्या ३३७ से ३५१ . ५५९–६४

दैनिक संक्षेपिका . ५६५–६७

अंक १४, गुरुवार, २ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६११, ६१३ से ६१७, ६१९ से ६२४, ६२६ से ६२९, ६३१ से ६३४, ६३७, ६३८, ६४० से ६४२ और ६४४ . . ५६९–९०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६१०, ६१२, ६१८, १२५, ६३०, ६३५, ६३६, ६३९ ६४३ और ६४५ से ६७२ . . . . ५९०–६०२

अतारांकित प्रश्न संख्या ३५२ से ३८२ . . ६०२–१३

दैनिक संक्षेपिका ६१४–१६

अंक १५, शुक्रवार, ३ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्यां ६७३ से ६७८, ६८०, ६८२ से ६८४, ६८६, ६८७, ६९०, ६९१, ६९३, ६९५ से ६९८ और ७०१ से ७०५ . . ६१७–३८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६७९, ६८१, ६८५, ६८८, ६८९, ६९२, ६९४, ७०० और ७०६ से ७२१ . . . . ६३८–४५

अतारांकित प्रश्न संख्या ३८३ से ४१२ और ४१४ . ६४५–५६

दैनिक संक्षेपिका . . . ६५७–५९

अंक १६, सोमवार, ६ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७२२ से ७२७, ७२९ से ७३३, ७३५ से ७३७, ७४१ से ७४३, ७४६ और ७४८ से ७५० . . . ६६१–८०

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ६ ६८१–८२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७२८, ७३४, ७३८ से ७४०, ७४५, ७४७, ७५१ से ७५५, ७५७ से ७७६, ७७८ से ७८०, ७८२ और ७८३ . . ६८२–९४

अतांरकित प्रश्न संख्या ४१५ से ४३९ और ४४१ से ४४३ ६९४–७०४

दैनिक संक्षेपिका ७०५–०६

पृष्ठ

अंक १७, मंगलवार, ७ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७८४, ७८६, ७८७, ७८९, ७९०, ७९२ से ७९७, ७९९ से ८०३, ८०५, ८०६, और ८०८ से ८१० . . . ७०९—३०

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ७ . . . ७३०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७८५, ७८८, ७९१, ७९८, ८०४, ८०७, ८११ से ८३६ और ८३८ से ८४७ . . . ७३०—४३

अतारांकित प्रश्न संख्या ४४४ से ४८६ और ४८८ से ४९४ . . . ७४४—६०

दैनिक संक्षेपिका . . . ७६१—६४

अंक १८, बुधवार, ८ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८४८ से ८६७, ८६९, ८७० . . . ७६५—८५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८६८, ८७१ से ८९३ . . . ७८५—९३

अतारांकित प्रश्न संख्या ४९५ से ५२९ . . . ७९३—८०४

दैनिक संक्षेपिका . . . ८०५—०७

अंक १९, गुरुवार, ९ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८९४, ८९६ से ९००, ९०३, ९०५ से ९०७, ९०९, ९१४, ९१५, ९१८, ९२१ से ९२३, ९२५ से ९३१ . . . ८०९—३०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८९५, ९०१, ९०२, ९०४, ९०८, ९१० से ९१३, ९१६, ९१७, ९१९, ९२०, ९२४, ९३२ से ९४२ . . . ८३०—३७

अतारांकित प्रश्न संख्या ५३० से ५५३ . . . ८३७—४६

दैनिक संक्षेपिका . . . ८४७—४८

अंक २०, शुक्रवार, १० अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९४४ से ९४७, ९४९, ९५०, ९५३ से ९५७, ९५९ से ९६४, ९६६, ९८४, ९६७ और ९६८ . . . ८५१—७१

	पृष्ठ
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ८	८७१
प्रश्नों के लिखित उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या ६४३, ६४८, ६५१, ६५२, ६५८, ६६५, ६६६ से ६८३ और ६८५ से ६६३	८७१-८०
अतारांकित प्रश्न संख्या ५५४ से ६०३ . . .	८८०-६६
दैनिक संक्षेपिका	८६७-६००

भा. स. मु. ना.--वि.३--१८८ लोक सभा/५६—२-४-५८—१६०

लोकसभा वाद-विवाद

(भाग १—प्रश्नोत्तर)

लोकसभा

मंगलवार, १७ जुलाई, १९५६

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये**]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

कालका की हड़ताल

†*३५. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कालका और अन्य स्थानों पर मई और जून, १९५६ में हुई हड़तालों के कारण रेलवे को अनुमानतः कुल कितनी हानि हुई है ;

(ख) प्रत्येक स्थान पर इसमें कितने कर्मचारी अन्तर्ग्रस्त थे और कितने दिन तक हड़ताल रही ;

(ग) इन हड़तालों के परिणामस्वरूप कितनी यात्री तथा माल-गाड़ियां बन्द करनी पड़ीं ;

(घ) किन शिकायतों के निवारण के लिये कर्मचारियों ने हड़ताल की थी ;

(ङ) सरकार ने इस विषय में क्या कार्यवाही की है ; और

(च) जिन लोगों ने अवैध हड़ताल में भाग लिया क्या उनके विरुद्ध कोई कार्रवाही की गई है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) लगभग ४० लाख रुपए ।

(ख), (घ), (ङ) और (च) : एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १२**]

(ग) यात्री-गाड़ियां . . . ५८२
माल-गाड़ियां . . . ९७२

†**श्री श्रीनारायण दास** : इन हड़तालों के सम्बन्ध में सभी स्थानों पर कुल कितने व्यक्तियों को बन्दी किया गया है और क्या इस समय तक उन पर अभियोग चलाया जा चुका है ?

†मूल अंग्रेजी में ।

1—170 L. S. D.

†**श्री अलगेशन :** सभा के पटल पर रखे गये विवरण के अन्तिम स्तम्भ (च) में यह सूचना दे दी गई है। सिकन्दराबाद डिवीजन तथा खड़गपुर आदि सभी स्थानों के संबन्ध में उसमें सुचना दी गई हैं।

†**श्री राधा रमण :** क्या यह सत्य है कि कुछ स्थानों पर रेलवे के भूत-पूर्व कर्मचारियों अथवा निकाले गये कर्मचारियों के कारण ये हड़ताले हुई ह? इस प्रकार के अनुभव के प्रकाश में ऐसे लोगों की शरारतों से बचने के लिये क्या सरकार कोई नया प्रबन्ध करना चाहती है?

†**श्री अलगेशन :** जिस किसी ने भी रेलवे कर्मचारियों को अवैध हड़तालों के लिये भड़काया है और उन्हें गुमराह करने की कोशिश की है उसने बड़ा गलत काम किया है। इससे अधिक मैं कुछ नहीं कह सकता कि वे बर्खास्त शुदा कर्मचारी थे अथवा कोई अन्य व्यक्ति।

†**श्री ही०ना० मुकर्जी :** सरकार कालका तथा अन्य स्थानों में, जहां पर कि लगभग तीन महीने से कुछ साधारण सी मांगे भी खटाई में पड़ी हुई हैं अपने असफल वार्ता व्यवस्था-तंत्र को सुधारने के लिये क्या कदम उठाना चाहती ह और, सरकार कालका में रेलवे बोर्ड के चेयरमेन द्वारा उन कर्मचारियों को, जिनको सरकार प्रशासन में भाग देना चाहती है और जो किसी प्रकार की गड़बड़ नहीं करना चाहते थे और न ही उसकी आशा करते थे मिलने इन्कार से करने के बारे में क्या करना चाहती है?

†**श्री अलगेशन :** मुझे बड़ा खेद है कि माननीय सदस्य को इतनी देर के बाद भी, जबकि उक्त घटना के सम्बन्ध में सभी तथ्य जनता के सामने रखे जा चुके हैं, कुछ गलत फहमी सी बनी हुई है। यह अनुमान लगाना गलत है कि विभिन्न स्तरों पर बातचीत करने वाली स्थायी व्यवस्था-तंत्र असफल सिद्ध हो चुका है। यह व्यवस्था-तंत्र विद्यमान है और अब भी काम कर रहा है। कर्मचारी तथा उनके नेताओं का यह कर्तव्य था कि उस व्यवस्था-तंत्र के सामने अपनी शिकायतें रखते और उसके साथ बातचीत करके उनका हल ढूंढने में सहायता करते।

जहां तक कालका कांड का सम्बन्ध है बोर्ड के चेयरमेन निश्चय ही कर्मचारियों से मिले थे और उन्होंने उनकी बातें भी सुनी थीं। और उन्होंने कर्मचारियों को यह विश्वास भी दिलाया था कि वह रेलवे बोड तथा रेलवे प्रशासन दोनों को उनकी मांगों पर विचार करने के लिये कहेंगे। किन्तु इस प्रकार के आश्वासन के बावजूद भी उन्हें गड़बड़ी करने के लिये गुमराह किया गया और वह हिंसात्मक प्रदर्शन पर उतर आये जिसका कि परिणाम सब को मालूम हैं।

†**श्री बोस :** प्रश्न के भाग (क) में "कालका और अन्य स्थान" कहा गया है। क्या मैं जान सकता हूँ कि ये अन्य स्थान कौन-कौन से थे और वहां पर हड़तालों के क्या कारण थे?

†**श्री अलगेशन :** मैं ने पांच पृष्ठ का एक विस्तृत विवरण सभा के पटल पर रख दिया है। उसमें प्रत्येक हड़ताल का वर्णन दे दिया गया है। कुल ४२ हड़तालें हुई हैं। प्रत्येक हड़ताल का उद्भव, तिथि, काल, सरकार द्वारा उसमें की गई कार्रवाही तथा कर्मचारियों की शिकायतों आदि का विवरण उसमें दे दिया गया है।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** विवरण में खड़गपुर के सम्बन्ध में यह कहा गया है कि सरकार ने वहां के कर्मचारियों को यह बताने के लिये कि रेलवे कर्मचारी वर्गीकरण अधिकरण के १९४८ के पंचाट मौजूद हैं इसलिये उनके बारे में अतु और कुछ नहीं किया जा सकता। क्या यह सत्य नहीं है कि इस पंचाट की व्याख्या का प्रश्न हमारे सामने आया था और, यदि हां, तो क्या यह विवाद ढाई मास से नहीं चल रहा था और क्या प्रशासन ने किसी समय यूनियन के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया था कि वह इस मामल को न्यायनिर्णयन अथवा बातचीत करने वाली व्यवस्था-तंत्र के सामने रखेगी?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री अलगेशन :** यूनियन के लिये इस मामले को बातचीत के व्यवस्था-तंत्र तक ले जानेकी पूरी छूट थी। उनको यह समझा दिया गया था कि यह वर्गीकरण रेलवे कमचारी वर्गीकरण अधिकरण के सुझावों के फलस्वरूप ही विद्यमान था। अतः इस मामले को न्यायनिर्णयन के लिये पेश करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता था। किन्तु इसे बड़ी आसानी से बातचीत करने वाले व्यवस्था तंत्र के सामने ले जाया जा सकता था।

†**श्री ब० स० मूर्ति :** कालका और खड़गपुर की घटनाओं को छोड़ कर भी, क्या सरकार को यह खबर है कि रेलवे कर्मचारियों में अधिकारियों की ज्यादतियों के कारण सामान्यतया बड़ा असन्तोष है। क्या मंत्री महोदय इस असंतोष को दूर करने के लिये कोई प्रयत्न कर रहे ह ?

†**श्री अलगेशन :** मैं माननीय सदस्य के इस वक्तव्य से बड़ा दुःखी हुआ हूं, यदि कर्मचारियों में कोई भावना है तो वह अनुशासनहीनता और हिंसा की भावना है और इसको तत्काल समाप्त कर दिया जाना चाहिये ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** यह बातचीत करने वाला व्यवस्था-तंत्र किस रीति से कार्य करता है ? क्या जब कोई झगड़ा उत्पन्न होता है तो क्या कोई यूनियन अथवा प्रशासन उसके सामने अपने आप मामला ले जा सकता है ? क्योंकि अन्यथा इस व्यवस्था-तंत्र का क्या लाभ हो सकता है ?

†**श्री अलगेशन :** इस की कार्य प्रणाली निश्चित हो चुकी है और यह कई वर्षों से काम कर रही है। जब कभी यूनियन को यह प्रतीत होता है कि इसके पास प्रशासन से बातचीत करने के लिये कई मामले इकट्ठे हो गये है तो वह उनको एक कार्य-पत्र पर लिख कर बातचीत करने वाले व्यवस्था-तंत्र की बैठक से पहले प्रशासन को भेज देती है। तब प्रशासन के अधिकारियों द्वारा निश्चित तिथि पर यूनियन के लोगों से उन सब बातों पर विचार किया जाता है।

†**श्री अ० म० थामस :** क्या किसी स्वीकृत यूनियन का किसी हड़ताल से कोई सम्बन्ध था ? क्या किन्हीं दो विरोधी यूनियनों के संघर्ष के कारण तो ये मड़बड़ियाँ नहीं हुई हैं ?

†**श्री अलगेशन :** निस्सन्देह, उनमें विरोध तो है, मगर इन गड़बड़ियों का उनके संघर्ष से कितना संबंध है मैं इस संबंध में कुछ नहीं कह सकता हूं। यदि किसी प्रकार का अस्वस्थ विरोध हो तो स्वभावतः उससे ऐसे अवांछित परिणाम निकला ही करते हैं।

†**श्री राधा रमण :** इस समय न्यायिक जांच किस स्तर पर है ? तथा क्या विवरण में बताई गई शिकायतों की लम्बी सूची में से सरकार ने किसी शिकायत को अथवा मांग को दूर करने अथवा स्वीकार करने का यत्न किया है ?

†**श्री अलगेशन :** जांच हो रही है, मैं नहीं कह सकता यह कब पूर्ण होगी।

†**डा. रामा राव :** विवरण में यह कहा गया है कि कालका के कर्मचारियों की एक यह मांग थी कि उनके बच्चों के लिये वहां पर एक प्राइमरी स्कूल चालू किया जाये। क्या यह सत्य है कि उनकी यह मांग बड़ी देर से है और अधिकारियों की कठोरता के उनको चिढ़ सी हो गई है ? तथा क्या मैं यह जान सकता हूं कि वहां पर गोली से मार दिये गये लोगों के परिवारों को सरकार क्या मुआवज़ा देना चाहती है ?

†**श्री अलगेशन :** मैं यह नहीं कह सकता कि स्कूल बनाने की साधारण सी मांग की कोई परवाह नहीं की गई है। यदि वहां पर इसकी आवश्यकता होती तो निश्चय ही इस पर विचार किया जा सकता था और वहां पर स्कूल खोला जा सकता था। इसमें कोई कठिनाई नहीं हो सकती थी। किन्तु माननीय सदस्य ने इससे जो दूसरा अनुमान निकाला ह मैं उसके बारे में उनसे सहमत नहीं हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री मुनिस्वामी** : क्या पेरम्बूर में भी हड़ताल हुई थी और क्या यह सत्य है कि यह हड़ताल किसी समय में ट्रेड यूनियन और सरकार के बीच हुए समझौते के फलस्वरूप ६ किस्तों में दिये जाने वाले किन्हीं भुगतानों की वसूली के कारण हुई थी ?

†**श्री अलगेशन** : पेरम्बूर में भी थोड़ी देर के लिये काम बन्द हुआ था। यह कुछ रुपयों की वसूली के कारण हुआ था। किन्तु यह रुपया यूनियन के अधिकारियों की स्वीकृति से वसूल किया गया था। यद्यपि यह काम बहुत पहले का था किन्तु अभी उनके लेखों की जाँच करके बाद में यह रुपया वसूल करने की बात सोची गई थी। कर्मचारियों का यह कहना था कि उनको यह नहीं पता था कि उनके नेताओं द्वारा सरकार के साथ कोई ऐसा समझौता किया गया है।

†**डा. राम राव** : माननीय मंत्री ने मुआवजे के संबंध में मेरे प्रश्न के दूसरे भाग का कोई उत्तर नहीं दिया है।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य ने तो गोली से मारे गये व्यक्तियों का निर्देश किया था।

†**श्री ब० द० पांडे** : क्या सरकार को इस बात की खबर है कि इन हड़तालों में उसकी नीति बड़ी दुर्बल सिद्ध हुई है और उसे सभी यूनियनों को मान्यता नहीं देनी चाहिये? सरकार को इन मामलों में बड़ा कठोर रहना चाहिये। सभी ऐरी गैरी यूनियनों को मान्यता नहीं देनी चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य तो सुझाव देने लगे हैं। प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं।

†**श्री ब० द० पांडे** : श्रीमान् यह एक बड़ा उपयोगी सुझाव है।

गाडी का पटरी से उतरना

†*३९. **श्री डाभी**: क्या **रेलवे** मंत्री १८ मई, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १५७२-क के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संख्या ३४० डाउन राजकोट–ओखा मेल जो कि १९ मई, १९५६ को पटरी से उतर गई थी उसकी जिस सरकारी रेलवे निरीक्षक ने जाँच की थी उसके प्रतिवेदन को अन्तिम रूप दिया जा चुका है ; और

(ख) यदि हाँ तो, इस जांच के क्या परिणाम हैं ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** (क) अभी नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

†**श्री डाभी** : यह प्रतिवेदन सरकार को कब प्रस्तुत किया जायेगा ?

†**श्री अलगेशन** : यह मामला रेलवे बोर्ड के विचाराधीन है। मुख्य सरकारी निरीक्षक के टिप्पणियों की प्रतीक्षा की जा रही है। इस मामले की जांच करने वाले सरकारी निरीक्षक तथा महाप्रबन्धक के बीच मतभेद हो गया है। इन मामलों का समन्वय करना है।

†**श्री डाभी** : जिन लोगों की मृत्यु हुई अथवा जो लोग घायल हुए उनके प्रतिकार के सम्बन्ध में क्या निश्चय किया गया है।

†**श्री अलगेशन** : यथा समय इस बात का निपटारा भी किया जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

पशुओं के प्रति निर्दयता रोकने के बारे में समिति

†*४१. श्री भक्त दर्शन: क्या खाद्य और कृषि मंत्री ६ मार्च, १६५६ के तारांकित प्रश्न संख्या ४८५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पशुओं के प्रति निर्दयता को रोकने व अन्य सम्बन्धित विषयों के बारे में नियुक्त की गयी समिति ने क्या अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उस प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ;

(ग) उस समिति की सिफारिशों पर क्या निर्णय किये गये हैं ; और

(घ) यदि समिति ने अभी तक अपना प्रतिवेदन नहीं दिया है तो उस समिति ने अपने काम में अब तक क्या प्रगति की है तथा कब तक उसका प्रतिवेदन मिलने की आशा है ?

कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

(घ) ६ मार्च १६५६ से समिति की तीन बैठकें अप्रैल, मई और जुलाई १६५६ में हुई हैं। इसके अलावा, जांच संबंधी गवाही लेने के लिए समिति मार्च और अप्रैल १६५६ में बरेली, लखनऊ और जैपुर गई। मार्च और मई १६५६ में दिल्ली में भी गवाहियां ली गईं जबकि पशुओं के प्रति निर्दयता रोकने के प्रश्न पर विभिन्न मतों के २६ व्यक्तियों के बयान लिये गये। समिति अब अपनी रिपोर्ट तैयार कर रही है और आशा है कि लगभग एक मास में यह रिपोर्ट पेश कर दी जायेगी।

श्री भक्त दर्शन : क्या यह सत्य नहीं है कि इस समिति का स्थापित हुए दो वर्ष होने जा रहे हैं और क्या मैं जान सकता हूं कि इतना लम्बा समय इस समिति ने क्यों लिया ?

डा० पं० शा० देशमुख : यह बात सत्य है कि १६ अगस्त, १६५६ को इस समिति को नियुक्त हुए दो साल हो जायेंगे। मगर काफी दिक्कतें आईं और कमेटी के कार्य की व्याप्ति भी काफी बड़ी थी। कमेटी के सुपुर्द यह काम भी कर दिया गया था कि वह जांच करे कि किन-किन देशों में कैसी कैसी व्यवस्थायें हैं, क्या कानून हैं। इस का ज्ञान प्राप्त करने के लिये काफी अर्सा चाहिये।

श्री भक्त दर्शन : क्या गवर्नमेंट के ध्यान में यह बात आई है कि अभी दो या तीन दिन पहले दिल्ली के ४४ गदहों के मालिकों को निर्दयता के अपराध पर २०, २० रु० प्रति गदहा के हिसाब से जुर्माना किया गया, इस के अतिरिक्त तीन महीने तक उन्हें प्रति दिन १ रु० प्रति गदहा के हिसाब से उन के इलाज के लिये देना होगा। क्या यह गदहों के मालिकों के प्रति निर्दयता नहीं है? और क्या इस प्रकार की कठोर सजाओं के विरुद्ध कोई रोक थाम की जा रही है ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन): यह तो गदहों और गदहों के मालिकों के बीच निर्दयता का सवाल है।

डा० पं० शा० देशमुख : यह सब जानवर और उनके पालने वाले दिल्ली स्टेट के सुपुर्द हैं।

†**श्री कामत** : मेरे माननीय मित्र श्री भक्त दर्शन ने जिन मामलों की ओर निर्देश किया है उनके सम्बन्ध में, जैसा कि दिल्ली के कुछ समाचारपत्रों ने लिखा है क्या यह सच है कि जब पशु निर्दयता निवारण संस्था ने पशुओं के प्रति अत्याचारी दुर्व्यवहार करने वाले मालिकों के विरुद्ध अभियोजन करना चाहा तो संघ के किसी मंत्री अथवा उसके मंत्रालय अथवा मंत्रिमंडल के किसी अन्य सदस्य ने न्याय में बाधा डालने का प्रयन्त किया तथा पशु निर्दयता निवारण संस्था को पशुओं के मालिकों के विरुद्ध मामला चलाने से रोका और यदि हां, तो क्या मैं जान सकता हूं कि क्या न्याय में इस प्रकार हस्तक्षेप करने की मंत्रियों की आदत बन गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**अध्यक्ष महोदय:** जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है, यदि किसी मंत्री ने वास्तव में ऐसा किया है तो यह उचित नहीं है, परन्तु किसी को यह धारणा नहीं बना लेनी चाहिये कि किसी मंत्री ने ऐसा किया है तथा यह नहीं कहना चाहिये कि मंत्री की ऐसी आदत बन गई है। ये गंभीर मामले हैं तथा माननीय सदस्य को जब तक इस मामले की निश्चित सूचना न हो तब तक इस प्रकार के प्रश्न नहीं पूछने चाहिये। जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध गम्भीर आरोप लगाने से पूर्व माननीय सदस्य से मैं यह जानने का अधिकारी हूं कि उनको यह जानकारी किस प्रकार प्राप्त हुई। एक बार यदि कोई आरोप लगाया जाये, चाहे वह सच हो अथवा गलत, आरोप तो रहता ही है। जब सरकारी बेंचों के किसी माननीय सदस्य विशेषतया मंत्रियों पर, माननीय सदस्य गंभीर आरोप लगाते हैं, तब ऐसे प्रश्नों के लिये वह स्वयं जिम्मेदार हैं। वह बाहर जिम्मेदार हो अथवा नहीं, यह दूसरा प्रश्न है। महज़ इसलिये कि सदस्यों को सभी प्रकार के प्रश्न पूछने का विशेषाधिकार है तथा पूछने वाले माननीय सदस्यों पर मानहानि नहीं हो सकती है, इस बात को प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिये कि कोई भी प्रश्न पूछ लिया जाए। मुझे आशा है कि माननीय सदस्य के पास पर्याप्त जानकारी है जिस पर विश्वास किया जा सकता है तथा जिससे, इस मामले के सम्बन्ध में वह मुझे संतुष्ट कर सकते हैं।

†**श्री कामत** : औचित्य प्रश्न है। मैं आपकी बुद्धिमत्तापूर्ण टिप्पणियों तथा उचित न्याय का आभारी हूं। परन्तु मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंनें अपने प्रश्न में कहा था कि मैंने दिल्ली के समाचारपत्रों में छपे समाचारों पर विश्वास किया था। मैं समाचारपत्र दिखा सकता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं यह जानना चाहता था कि क्या यह किसी निश्चित जानकारी पर आधारित है।

†**श्री कामत** : जी हां, समाचारपत्र में है । प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है। जैसा कि समाचारपत्र मे लिखा गया है, क्या मंत्रालय न्याय में हस्तक्षेप कर सकता है।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या समाचारपत्र में यह भी दिया है कि किसी मंत्री की यह आदत बन गई हैं ?

†**श्री कामत** : नहीं, नहीं। मैनें पूछा था कि "यदि हां, तो क्या यह आदत है" इत्यादि।

†**अध्यक्ष महोदय** : हमें इस मामले में नहीं जाना चाहिये।

†**श्री कामत** : मेरे प्रश्न के प्रथम भाग का उत्तर मिलना चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य कृपया बाद में कहें।

†**डा० पं० शा० देशमुख** : मैं इस आरोप का खंडन करता हूं। जहां तक मुझे जानकारी है इस कथन में कोई सत्यता नहीं है।

†**श्री कामत** : किसमें।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस वक्तव्य में कि पशु निर्दयता निवारक संस्था पर किसी मंत्रालय ने दबाव डाला है।

†**श्री कामत** : मैंने कहा था कि ऐसा कहा जाता है कि एक मंत्री ने न्याय में हस्तक्षेप करने का प्रयत्न किया था तथा पशु निर्दयता निवारक संस्था को पशुओं के मालिकों पर अभियोजन चलाने से रोकने का प्रयत्न किया था।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस मामले में कोई सत्यता नहीं है। यही मंत्री जी ने कहा था।

†**श्री कामत** : आप उसको दूसरे प्रकार से बता रहे हैं। मैंने उसे दूसरे प्रकार से पूछा था।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री अध्यक्ष महोदय :** मुझे खेद है कि माननीय सदस्य ने धैर्यपूर्वक मेरी बात को नहीं सुना। संभवतया, इसका कोई 'आधार' नहीं है। मैंने "सत्यता" कहा था।

†**श्री कामत :** एक और औचित्य प्रश्न है। आपने इस प्रकार कहा था कि क्या पशु निर्दयता निवारक संस्था ने मंत्री पर प्रभाव डालने का प्रयत्न किया था।

†**अध्यक्ष म ोदय :** 'प्रभाव डाला था' कहने के पश्चात्, मैंनें श्री कामत को अवसर दिया था कि वह बतायें कि उनका क्या प्रश्न ा। मने इसकी उन्हें अनुमति दी थी। प्रश्न स्पष्ट है तथा उत्तर दिया जा चुका है। अगला प्रश्न।

†**श्री कामत :** मंत्री जी ने उत्तर नहीं दिया है।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं अगले प्रश्न के लिये कह चुका हूं।

काठमांडू में विमान दुर्घटना

*४२. **पंडित द्वा० ना० तिवारी :** क्या संचार मंत्री १८ मई, १९५६ के अल्प सूचना प्रश्न संख्या १७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि १५ मई, १९५६ को काठमांडू में हुई विमान दुर्घटना की जांच के क्या परिणाम निकले ?

संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम): जांच समिति इस परिणाम पर पहुंची है कि दुर्घटना का कारण विमानचालक द्वारा विमान को गलत तरीके से उतारना था जिससे कि विमान उछल पड़ा। विमानचालक ठीक समय पर उचित सुधार की कार्रवाई न कर सका। उसने बाद में विमान को ऊंचा उठाने की चेष्टा भी की परन्तु तब तक बहुत देर हो चुकी थी।

पंडित द्वा० ना० तिवारी : क्या मैं जान सकता हूं कि इस दुर्घटना में कितनी क्षति हुई और गवर्नमेंट लोगों की क्षति पूर्ति के लिये क्या कर रही है ?

श्री जगजीवन राम : इस सम्बन्ध में तो पहले भी इस सदन में जवाब दिया जा चुका है कि कितने लोगों की जानें गई और कितने लोग जख्मी हुए, और विमान नष्ट हो गया। जहां तक लोगों की क्षति पूर्ति का सवाल है, अभी तो कोई ऐसा नियम नहीं है कि इस तरह की दुर्घटना में जो लोग कष्ट पाते हैं, उनकी क्षति पूर्ति की जाये।

पं० द्वा० ना० तिवारी : क्या मैं जान सकता हूं कि विमानचालक दुर्घटना के समय अपने होश हवास में था या किसी चीज के नशे में अपने होश हवाश खो चुका था ?

श्री जगजीवन राम : जांच में तो कोई ऐसी बात है नहीं कि वह अपने होश हवास में नहीं था।

†**श्री रा० प्र० गर्ग :** क्या यह सच है कि काठमांडू का गौचार हवाई अड्डा बेकार है तथा बड़े विमानों के लिये ठीक नहीं है और यदि हां, तो और दुर्घटनाओं को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**श्री जगजीवन राम :** मैं माननीय सदस्य का ध्यान, दुर्घटना होने पर कुछ दिन पूर्व दिये गये उत्तर की ओर आकर्षित करता हूं। मैं वही उत्तर दोहराना नहीं चाहता तथा मैं उन्हें सभा की उस दिन की कार्यवाही देखने ो कहूंगा।

श्री रा० न० सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि विमानचालक नया आदमी था, या कि पहले से उस का काफी एक्सपीरियंस (अनुभव) था ?

श्री जगजीवन राम : यह तो मैं पिछले अवसर पर बता चुका हूं लेकिन फिर दोहरा देना चाहता हूं कि वह नया आदमी नहीं था, उस का पूरा अनुभव २७९० घंटे २५ मिनट का था।

---

†मूल अंग्रजी में।

श्रीमती कमलेन्दुमति शाह : मैं जानना चाहती हूं कि क्या यह सच है कि जो पायलेट विमान चला रहा था उसने उस विमान को उतरते वक्त अपने साथी को दे दिया था और खुद उसे चलाना बन्द कर दिया था? अगर यह सच है तो सरकार आगे के लिये इस किस्म की चीजों को रोकने के लिये कोई कार्रवाई करने का विचार रखती है ताकि यात्रियों की रक्षा का ठीक प्रबन्ध हो सके ?

श्री जगजीवन राम : यह बात बिल्कुल असत्य है, इसकी कोई बुनियाद नहीं है। उसने विमान को स्वयं ही उतारा था न कि उसके साथी ने। शायद माननीय सदस्या किसी दूसरी दुर्घटना के साथ इसको मिला रही हैं जहां पर ऐसा हुआ होगा। लेकिन इस केस में तो चालक ने स्वयं ही उतारा था उसके साथी ने नहीं उतारा था।

†**श्री बंसल** : क्या मंत्री महोदय का ध्यान स्टट्समैन में प्रकाशित एक पत्र की ओर आकर्षित कराया गया है कि गतवर्ष अथवा उससे पहले वर्ष की तुलना में अब विमानो के कठिनाई से उतरने की घटनायें अधिक हो गई हैं।

†**श्री जगजीवन राम** : यह एक सामान्यीकरण है जिसका मैं खंडन करता हूं। जिनको इस देश में अथवा विदेश में भारतीय विमान चालकों से चलाई गई एयरलाइनों में यात्रा करने का अनुभव है, वह इसके साक्षी हैं कि संभवतया भारतीय विमान चालकों का उड़ना तथा उतरना विश्व में सबसे अच्छा है।

ग्लास्गो की गोदी पर भारतीय नाविक की मृत्यू

†*४४. **श्री ही० ना० मुकर्जी** : क्या **परिवहन** मंत्री २९ मार्च, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ९६२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या ब्रिटिश युद्धपोत 'क्लान एलपाइन' पर गत फरवरी में एक भारतीय नाविक के जलकर मर जाने पर, उसके परिवार को प्रतिकर देने के सम्बन्ध में लन्दन में भारत के उच्चायुक्त की कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : लन्दन में भारत के उच्चायुक्त ने बताया है कि क्लान लाइन, जो जहाज के मालिक हैं, से बातचीत चल रही है तथा वह इस पर सहानुभूति से विचार कर रहे हैं।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : क्या सरकार को यह जानकारी है कि प्रतिकर के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक होगा ?

†**श्री अलगेशन** : हमने अपने उच्चायुक्त से कहा है कि उनसे कहें जिससे वह मामले में शीघ्रता कर सकें।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : क्या सरकार अपने को संतुष्ट कर चुकी है कि यह मामला ऐसा था जिसमें दुर्घटना को बचाया जा सकता था तथा उसी के अनुसार प्रतिकर भी उसी सीमा तक मिलना चाहिये ?

†**श्री अलगेशन** : एक जांच समिति बनाई गई थी जिसने इस मामले पर विचार किया था तथा उसने यह पता लगाया कि जहाज के मालिकों का दोष नहीं है। परन्तु फिर भी वे प्रतिकर देने के प्रश्न पर विचार कर रहे हैं।

सार्वजनिक टेलिफोन के स्थान पर एक्चेंज सैंटर्स स्थापित करना

†*४५. **श्री झूलन सिंह** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ दिन पूर्व खोले गये सार्वजनिक टेलीफोन आफिसेज को, विशेषतया उन सार्वजनिक टेलीफोन आफिसेज को, जिनसे पर्याप्त धन की प्राप्ति हुई है, एक्सचेंज सैंटर्स में परिवर्तित करने का कोई कार्यक्रम है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में।

(ख) यदि हां, तो इन सैंटर्स को एक्सचेंजों में परिवर्तित करने के लिये उनको किन शर्तों को पूरा करना होगा ?

†**संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : (क) और (ख) जहां पर्याप्त मांग होती है वहीं सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालयों को टेलीफोन एक्सचेंजों में परिवर्तित किया जाएगा तथा इस योजना से विभाग को हानि नहीं होगी।

†**श्री झूलन सिंह** : सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालयों को एक्सचेंजो में परिवर्तित करने के कार्यक्रम को आरंभ करने के पश्चात उनमें से कितने एक्सचेंजों में परिवर्तित किये जा चुके हैं ?

†**श्री जगजीवन राम** : काफी संख्या में सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालय एक्सचेंजों में परिवर्तित किये जा चुके है। यदि गत पांच वर्षों में नये खोले गये एक्सचेंजों की संख्या के आंकड़े में बता दूं तो माननीय सदस्य को जानकारी हो जायेगी कि पर्याप्त प्रगति हुई है। संख्या निम्नलिखित हैं: १९५१–५२ में ३१, १९५२–५३ में ४५, १९५३–५४ में ४२, १९५४–५५ में १०४, तथा १९५५–५६ में १२५, पांच वर्षों की कुल संख्या ३४७ है।

†**श्री झूलन सिंह** : मैं जानना चाहता हूं कि "पर्याप्त मांग" का सही अर्थ क्या है। क्या इसके लिये कोई निश्चित कोटा निर्धारित है अथवा यह सम्बन्धित पदाधिकारी की इच्छा पर निर्भर है ?

†**श्री जगजीवन राम** : कभी-कभी पदाधिकारी अपनी इच्छा का भी प्रयोग करते हैं, परन्तु यह इस शर्त पर आधारित है कि यदि एक्सचेंज में कम से कम ३० चन्दा देने वाले होंगे तो एक्सचेंज किसी भी हानि न होने के आधार पर चलेंगे। अतः यदि कम से कम ३० चन्दा देने वाले होंगे तो वह एक्सचेंज में परिवर्तित हो सकता है।

श्री म० ला० द्विवेदी : क्या यह सत्य है कि आइ० टी० आई० में १०,१५,२० और २५ काल वाले एक्सचेंज तैयार हुए हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार यह सोचती है कि १०, १५, २० और २५ काल वाले एक्सचेंज उन क्षेत्रों में लगाये जायें जहां उनकी मांग है ?

श्री जगजीवन राम : जी हां, प्रयत्न तो इसी बात का हो रहा है। लेकिन आई० टी० आई० में जो हम बना रहे हैं वे ऑटोमैटिक एक्सचेंज हैं और उनके लिए भी जहां से १० या १५ आदमियों की तरफ से मांग होती है, हम प्रयत्न करते है कि उनको दें। लेकिन बहुत से इलाकों में इनके लिए मांग बहुत कम है।

†**श्री तिम्मय्या** : क्या यह सत्य है कि सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालयों तथा टेलीफोन एक्सचेंजों को खोलने में विलम्ब का कारण सामग्री के पर्याप्त संभरण की कमी है ? यदि हां तो सरकार, संचार मंत्रालय की योजना में खुलने वाले सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालयों तथा एक्सचेंजों को निर्धारित समय में खोलने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है।

†**श्री जगजीवन राम** : कभी-कभी ऐसा होता है कि यंत्र तथा सामग्री की कमी के कारण सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालयों तथा एक्सचेंजों के खुलने में विलम्ब हो जाये। हम आवश्यक सामान को प्राप्त करने के लिये सभी संभावित कार्य कर रहे हैं, परन्तु कुछ सामान ऐसा है जिसके लिये हमें अन्य देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। जब तक हम सामान तथा यंत्र निर्माण में आत्मनिर्भर न हो जायें, मैं नहीं कह सकता कि सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालय तथा एक्सचेंज अनुसूचि के ठीक अनुसार खोले जा सकेंगे।

भूमि का कटाव

†*४६. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री २३ मई, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २४६८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल तथा उड़ीसा राज्यों से भूमि के कटाव को रोकने के लिये वन लगाने के सम्बन्ध में ब्यौरेवार योजना तथा प्राक्कलन प्राप्त हुये हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में।

(ख) यदि हां, तो कितने तथा कितनी धन राशि के; और

(ग) प्रत्येक राज्य में जो योजनायें लागू कर दी गई है उनकी संख्या क्या हैं?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) अभी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री स०चं० सामन्त** : क्या जिन मामलों में राज्यों ने अपनी योजनाय प्रस्तुत करदी हैं उनके लिए धन स्वीकृत कर दिया गया है?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : जी हां। जिन मामलों में योजनायें स्वीकार कर ली गयी है धन भी मंजूर कर दिया गया है। हम इस बात के लिये भी चिन्तित हैं कि धन व्यय किया जाये।

†**श्री स० चं० सामन्त** : आवंठित राशि इसी वर्ष व्यय की जायेगी अथवा यह योजना की कुल अवधि में व्यय की जायेगी?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : जैसाकि मैं पहले ही कह चुका हूं, हमारी इच्छा है कि यथासम्भव अधिकतम राशि व्यय की जाय। जब राशि का व्यय करने का विचार किया जाता है तो यह सारी बात राज्य सरकार की योजनाओं के उपर निर्भर रहती है। यदि वे सारी राशि वर्तमान वर्ष में व्यय करने को प्रस्तुत हों तो हम उन्हें सारी राशि दे सकते हैं।

†**श्री स० चं० सामन्त** : राज्यों ने विशेषतः राजस्थान ने, अपनी योजनायें अभी तक प्रस्तुत क्यों नहीं की हैं?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : इस प्रश्न का उत्तर देना मेरे लिये कठिन होगा। यह कर्मचारियों की कमी के कारण हो सकता है।

†**श्री रा० प्र० गर्ग** : वनरोपण कार्य को आगे बढ़ाने के लिये श्रीनगर में खाद्य और कृषि मंत्रियों के सम्मेलन में क्या निश्चय किये गये हैं?

†**डा० पं० शा० देशमख** : इस सारे प्रश्न पर चर्चा की गयी थी। और वह विशेष बात जिसे हम विभिन्न राज्यों के मंत्रियों को बताना चाहते थे यह थी कि हमें अधिकाधिक व्यक्तियों को भूमि संरक्षण के प्रशिक्षण के लिये भेजना चाहिये और योजनायों को शीघ्र क्रियान्वित करना चाहिये।

†**श्री नि० बि० चौधरी** : पश्चिमी बंगाल में भूमि संरक्षण की आवश्यकता तथा इस बात पर विचार करते हुए कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर कार्य प्रारम्भ हो चुका ह, क्या केन्द्रीय सरकार पश्चिमी बंगाल सरकार को पुनः स्मरण कराएगी कि वह अपनी योजनायें शीघ्र प्रस्तुत करें?

†**श्री पं० शा० देशमुख** : केवल पश्चिम बंगाल के सम्बन्ध में ही नहीं अपितु सभी सरकारों के सम्बन्ध में हम इस योजना पर कार्य करने का विचार कर रहे हैं। एक योजना पहिले ही मंजूर की जा चुकी है दो योजनायें जो विचाराधीन है।

रेलवे यात्रियों के सूझाव

*४७. **श्री अनिरुद्ध सिंह** : क्या रेलवे मंत्री १५ मई, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या २२०६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे-यात्रियों से प्राप्त सुझावों की संख्या कितनी थी और क्या उनका वर्गीकरण किया जा चुका है; और

†मूल अंग्रेजी में।

(ख) उन सुझावों का ब्योरा क्या है और किस प्रकार के सुझावों पर अमल करने का सरकार का विचार है?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) और (ख). एक विवरण लोक-सभा के पटल पर रख दिया गया है। [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबंध संख्या १३**]

श्री अनिरुद्ध सिंह : क्या रेलवे प्रशासन रेल यात्रा की सुविधा के सम्बन्ध में यात्रियों से सुझाव मांगने के कार्यक्रम को स्थायी रूप देने का विचार कर रहा है?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री ला० ब० शास्त्री) : जी नहीं, इस चीज़ को स्थायी रूप देने का अभी कोई विचार नहीं है।

श्री धुलेकर : एक सुझाव ऐसा भी दिया गया था कि थर्ड क्लास पैसेंजर्स के लिये बड़े जंक्शंस पर तथा दूसरे बड़े स्टेशनों पर एक कंडक्टर ऐसा भी मुकर्रर किया जाए जो यात्रियों को यह बता सके कि आगे के डिब्बे में जगह है यह पीछे के डिब्बे में ताकि वह यात्रियों की सहायता कर सके। क्या इस सुझाव पर भी गौर किया गया है?

†**श्री ला० ब० शास्त्री** : कोई अलग से इस चीज़ को करने का विचार तो नहीं है। लेकिन जिन ट्रेन्स पर हमने कंडक्टर रखे हैं उनसे यह आशा की जाती है कि वे मुसाफिरों को यह बतायें कि किधर जगह है और किधर नहीं है। वैसे टिकिट कलेक्टर्स जो स्टेशनों पर होते हैं उनका भी यह कर्तव्य है कि वे मुसाफिरों की इस काम में मदद करें।

†**डा० रामा राव** : क्या बहुत से सुझाव जो कि प्राप्त हुए हैं उनमें से एक सुझाव यह भी है कि रेलों में अधिक अन्नपूर्णा भोजनालय जारी की जांये। क्या सरकार ने अधिक दूर जाने वाली यात्रागाड़ियों में अन्नपूर्णा भोजनालयों अथवा भोजनव्यवस्था डिब्बों की संख्या बढ़ाने के लिये कोई कार्यवाही की है?

†**श्री अलगेशन** : निसंदेह एक सुझाव गाड़ियों में अधिक अन्नपूर्णा भोजनालयों तथा भोजन के डिब्बों से सम्बन्धित है। हम अन्नपूर्णा संगठन से सुझाव की प्रतिक्षा करेंगे कि यह कदम कहां तक व्यावहारिक है।

†**श्री वीरस्वामी** : क्या दक्षिण रेलवे के यात्रियों द्वारा दिये गये सुझावों को स्वीकार कर लिया गया है? यदि हां तो क्या सारे सुझाव स्वीकार कर लिये गये हैं और क्या उनको क्रियान्वित किया जायेगा?

†**श्री अलगेशन** : सभी रेलों के यात्रियों द्वारा सुझाव दिये गये हैं। सूची से मुझे ज्ञात होता है कि दक्षिण रेलवे के यात्रियों ने सबसे अधिक सुझाव दिये हैं। यह सारे सुझाव सम्बन्धित रेलवे अधिकारियों के विचाराधीन हैं। और वे सभी सुझावों पर कार्यवाही कर सकने में सक्षम हैं।

फीरोज़पुर और भटिंडा जिले की टेलिफोन लाईन

†*४८. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फिरोजपुर और भटिंडा जिले के बीच की टेलीफोन लाइन में बहुत अधिक गड़बड़ होती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इससे ठीक काम होने के लिये क्या कार्यवाही की गई है?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : (क) जी नहीं। फिरोजपुर भटिंडा टेलीफोन लाइन में बहुत कम गड़बड़ होती है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†**सरदार इकबाल सिंह** : क्या माननीय मंत्री जी, पिछले ६ महीनों में, इन स्टेशनों से दर्ज की गई कौलों की संख्या रखेंगे तथा उन कौलों की संख्या जिन्हें लाइन में गड़बड़ी रखने के कारण रद्द कर दिया गया था लोक-सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे।

†**श्री जगजीवन राम** : यह तथ्यों से सम्बन्धित प्रश्न है। मुझे माननीय सदस्य की जानकारी से अधिक अपने तथ्यों पर विश्वास करना होता है। मैं कहता हूं कि अधिक गड़बड़ नहीं होती है।

†**सरदार इकबाल सिंह** : क्या माननीय मंत्री जी इन दो जिलों से जुलाई तथा उसके बाद दर्ज किये गये उन कौलों की संख्या--जो कि मिलाये गये और उन कौलों की संख्या जो रद्द किये गये--की जांच करने की कृपा करेंगे?

†**श्री जगजीवन राम** : पिछले ६ या ७ महीनों में, प्रतिमास कितनी गड़बड़ी हुई, इसकी समस्त जानकारी मेरे पास है। इसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि इस विशेष एक्सचेंज की कार्य दक्षता दिसम्बर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई में ९९.६ प्रतिशत से १०० प्रतिशत तक है कार्य दक्षता का इतना ऊँचा प्रतिशत होने के उपरांत मेरे विचार से आगे और आंकड़ों की आवश्यकता नहीं है।

†**श्री बंसल** : यह कार्यदक्षता किस प्रकार मापी जाती है?

†**श्री जगजीवन राम** : यह दर्ज किये गये कौलों की कुल संख्या और बाद की गई कौलो की कुल संख्या से मापी जाती है।

पंडित द्वा० ना० तिवारी : अभी माननीय मंत्री महोदय ने कहा है : मुझे माननीय सदस्य की जानकारी अथवा अनुभव से अधिक अपने तथ्यों पर विश्वास करना होता है। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी को ऐसी शिकायतें मिली हैं कि उन को गलत इन्फर्मेशन (सूचना) दी जाती है और मेम्बर्ज़ (सदस्यों) की इन्फर्मेशन और एक्सपीरियंस (अनुभव) सही होते हैं और उनकी इन्फर्मेशन गलत होती है?

श्री जगजीवन राम : जी नहीं, मैं इस जेनरलाइजेशन (सामान्यीकरण) को कभी भी कबूल करने के लिए तैयार नहीं हूं।

बम्बई के लिये भूमिगत रेलवे

†*४९. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार बम्बई नगर में एक भूमिगत रेलवे पद्धति निर्मित करना चाहती है;

(ख) क्या उसके लिये कार्यक्रम बना लिया गया है;

(ग) उस रेलवे पद्धति के निर्माण का अनुमानित व्यय क्या है; और

(घ) निर्माण कार्य कब से प्रारम्भ किया जायेगा?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) रेलवे मंत्रालय का ऐसा कोई विचार नहीं है।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

† मूल अंग्रेजी में।

†**डा० राम सुभग सिंह** : उपमंत्री ने कहा है कि सरकार का ऐसा कोई विचार नहीं है। क्या किसी और का ऐसा कोई प्रस्ताव है?

†**श्री अलगेशन** : हमने समाचारपत्रों में यह सूचना देखी थी कि बी० ई० एस० टी० का एक ऐसा प्रस्ताव है जो बम्बई सरकार को प्रस्तुत किया गया है।

†**डा० राम सुभग सिंह** : क्या बी० ई० एस० टी० ने रेलवे मंत्रालय के साथ कोई पत्रव्यवहार किया, यदि हां, तो उन्होंने रेलवे मंत्रालय के सम्मुख क्या प्रस्ताव रखा था?

†**श्री अलगेशन** : हमें उनका सुझाव ज्ञात नहीं है।

†**सरदार इकबाल सिंह** : क्या सरकार का किसी नगर में भूमिगत रेलवे निर्माण करने का कोई विचार है? यदि हां तो उस नगर का क्या नाम है?

†**श्री अलगेशन** : जी नहीं।

श्री भक्त दर्शन : क्या गवर्नमेंट इस सुझाव पर विचार करेगी कि इस तरह की खर्चीली और एक प्रकार से विलासिता की योजनाओं को आगे न बढ़ा कर पहले उन इलाकों में रेलवे-लाइन्ज बनाई जायें, जो कि पिछड़े हुए इलाके हैं और जो रेलवे की सुविधाओं से वंचित हैं?

रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री ला० ब० शास्त्री) : हम तो इस रेलवे को बना ही नहीं रहे हैं।

खाद्य स्थिति

†***५० श्री ब० द० पांडे** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान वित्तीयवर्ष में अब तक विदेशों से कितने गेंहू और चावलका आयात हुआ है और कहां-कहां से हुआ है?

खाद्य और कृषि उपमंत्री (मो० वें० कृष्णप्पा) : वर्तमान वित्तीय वर्ष के ३० जून, १९५६ को समाप्त होने वाले प्रथम तीन महीनों में सरकारी लेखे पर निम्नलिखित राशि में गेहूं का आयात किया गया है :—

आस्ट्रेलिया . .	८८.५ हजार टन इनमें वे ९ हजार टन भी शामिल हैं जो कराची को भेजा गया।
अमेरिका . .	५८·४ हजार टन।

इस अवधि में चावल और अन्य किसी खाद्यान्न का आयात नहीं किया गया।

†**श्री ब० द० पांडे** : हमसे कई बार कहा गया है कि हम खाद्यान्नों के मामले मे स्वावलम्बी हो गये हैं। तब खाद्यान्नों का यह अभाव तथा बाहर से यह आयात क्यों किया गया? मैं मंत्री जी से यह बात जानना चाहता हूं।

†**श्री मा० वें० कृष्णाप्पा** : हमने देश में २० लाख टन खाद्यान्नों का रिजर्व रखने का निश्चय किया है। योजना आयोग ने यह निश्चय किया है कि हमें पांच वर्षों में ६० लाख टन खाद्यान्न का आयात करना होगा। खाद्यान्नों के सम्बन्ध में यह कहना कठिन है कि देश स्वावलम्बी है या नहीं। रूस जैसा देश भी कनाड़ा से गेहुं और बर्मा से चावल का आयात कर रहा है। चीन बर्मा से चावल का आयात करता है, यद्यपि वह दूसरे देशों को भी चावल का निर्यात कर रहा है। यह कहना कठिन है कि हम स्वावलंबी हो गये हैं। यह सम्भव है कि एक वर्ष हम निर्यात कर सकें और दूसरे वर्ष हमें कुछ चावल का आयात करना पड़े।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं यह जानना चाहता हूं कि गल्ले को भंडारों में रखने की योजना में अब तक क्या प्रगति हुई है ताकि हमारा जो गल्ला बरसात में बरबाद हो जाता है, वह बच सके ?

श्री अ० प्र० जैन : कुछ गोदाम बनाए जा रहे हैं और कुछ बन गये हैं। इतनी काफी मिकदार में गोदाम बनाये जायेंगे कि जिससे गल्ला अच्छी तरह से रखा जा सके।

†**श्री देवेन्द्रनाथ सर्मा** : हम खाद्य में स्वावलम्बी हो गये हैं या नहीं ?

†**श्री अ० प्र० जैन** : प्रश्न का उत्तर दिया जा चुका है। मैं यह भी बता दूं कि भारत की जन-संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। दूसरे, विभिन्न मौसमों के कारण अन्तर हो जाता है। तीसरे घाटे की अर्थ व्यवस्था में वृध्दि और मुद्रा में वृद्धि के कारण खाद्य की मांग में वृद्धि होती गई है। श्रमिक तथा निम्न मध्यम वर्ग के लोगों में पारिवारिक बजट का ७० प्रतिशत भोजन में व्यय होता है। यदि लोगों के पास धन अधिक हो जाये तो उन्हें अधिक भोजन चाहिये। इसलिये यह कहना कठिन है कि किसी विशेष समय में भारत स्वावलंम्बी है या नहीं। वस्तुतः जिन कारणों से आज हम स्वावलम्बी हो सकते हैं उन्हीं के कारण हम कल परमुखापेक्षी भी हो सकते हैं।

श्री ब० द० पांडे : हमारे यहां हिमाचल में एक जड़ी बूटी मिलती है, जिसको इस्तेमाल करने से भूख नहीं लगती है। क्या सरकार उस जड़ी बूटी को मंगा कर हिन्दुस्तान में उसका प्रचार करेगी ताकि लोगों को भूख न लगे ?

श्री अ० प्र० जैन : मुझे आशा है कि आनरेबल मेम्बर ने उसका प्रयोग किया होगा और अब उनको अनाज की जरूरत नहीं होगी।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : अगले तीन वर्षों के लिये जो बहुत अधिक खाद्यान्न का आयात करने की योजना है, वह सर्वथा नाकाफी है, इस बात को ध्यान में रखते हुए, क्या मंत्री महोदय हमें बता सकते हैं कि कृषि में सामान्यतया सुधार लाने और गांवों के लोगों में जागृति लाने के बारे में हाल ही में मसूरी में जो आशा व्यक्त की गई थी, उससे उत्पादन में कैसे वृद्धि होगी, जो इस प्रकार के हानिकारक आयात को रोक सकेगी ?

†**श्री अ० प्र० जैन** : प्रश्न कुछ उलझा हुआ है और मैं समझ नहीं सका कि माननीय सदस्य का क्या अभिप्राय है। निस्सन्देह, मसूरी में जिन योजनाओं पर चर्चा की गई थी और जो दूसरी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित की गई हैं, उनसे यथासंभव शीघ्रता के साथ खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ जाने का अनुमान है। वास्तव में, मसूरी में, हमने दूसरी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित की गई योजनाओं पर पुनः विचार किया और हम उस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उनके लिये अतिरिक्त राशि मिलने पर, दूसरी पंचवर्षीय योजना में निर्धारित लक्ष्यों से अधिक खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। तो भी, हमने अपना बचाव करने के लिये योजना में अगले पांच वर्षों में खाद्यान्न का आयात करने की व्यवस्था की है, ताकि हम देश में होने वाली किसी भी आपात कालीन स्थिति का सामना कर सकें।

वृक्षारोपण

†*५२. **श्रीमती कमलेन्दुमती शाह** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण जनता के लिये जलाने की लकड़ी का प्रबन्ध करने के लिये वनों और ग्रामीण क्षेत्रों म जल्दी उगने वाले वृक्ष लगाने के लिये सरकार ने क्या कार्रवाई की है ?

---

† मूल अंग्रेजी में।

कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) : विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबंध संख्या १४**]

श्रीमती कमलेन्दुमति शाह : क्या मैं जान सकती हूं कि जैसे रूरल एरियाज (ग्राम क्षेत्रों) के लिये कुछ उपाय किये गये हैं, वैसे ही अरबन एरियाज (नगरीय क्षेत्रों) के लिये भी जलाने की लकड़ी के विषय में क्या उपाय किये जायेंगे ?

डा० पं० शा० देशमुख : इन सब उपायों की तफसील मैं इस समय तो नहीं दे सकता हूं, मगर हमारी कोशिश यह है कि शहरों में भी और बाहर गांवों में भी ज्यादा से ज़्यादा ट्री-प्लान्टेशन हो (वृक्ष लगाये जायें)।

श्री भक्त दर्शन : क्या गवर्नमेंट के ध्यान में यह बात आयी है कि जहां एक ओर वन महोत्सव और इसी तरह से दूसरे उत्सव मनाये जा रहे हैं, वहां दूसरी ओर बड़ी निर्दयता से जंगलों का सफाया किया जा रहा है ? क्या इस सम्बन्ध में रोकथाम करने के लिये राज्य सरकारों को कोई आदेश दिया गया है, या और कोई कदम उठाया जा रहा है ?

डा० पं० शा० देशमुख : हमारी जितनी भी मीटिंग्स होती हैं और हमारा जो पत्र व्यवहार होता है उसमें हम राज्य सरकारों पर इस बात के लिये जोर देते हैं कि वे अपने वनों की अच्छी तरह से रक्षा करें। इस दिशा में कुछ सुधार भी हुआ है, कम से कम ऐसी मेरी राय है। वन महोत्सव का भी यही उद्देश्य है कि जो वनों का नुकसान हो रहा है वह न हो।

पश्चिम बंगाल में चावल का मूल्य

†*५३. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल के मिदनापुर और २४ परगना जिलों में चावल का मूल्य कितना बढ़ गया है; और

(ख) क्या सरकार बंगाल के उन सब क्षेत्रों के लिये, जो बाढ़-पीड़ित हैं और जहां पानी खड़ा है, उचित मूल्य पर चावल बेचने वाली दुकानें खोलने की नीति का समर्थन करती है ?

†**खाद्य और कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) मई, १९५६ के अन्त से, जब ये जिले बाढ़ों से पीड़ित थे, चावल के औसत खरीज मूल्य में १ रुपये से लेकर डेढ़ रुपये मन की वृद्धि हुई थी।

(ख) पश्चिम बंगाल के बाढ़-पीड़ित क्षेत्रों में और उन क्षेत्रों में जहां पानी खड़ा है, पश्चिम बंगाल सरकार ने पहले ही उचित मूल्य पर चावल बेचने वाली दुकानें खोल रखी हैं।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कस्बों में बहुत थोड़ी उचित मूल्य की दुकानें खोली गई हैं, और गांवों में प्रायः कोई भी नहीं खोली गई विशेष कर २४ परगने जिले में, क्या केन्द्रीय सरकार ने इस काम के जल्दी किये जाने के लिये कोई सहायता दी है ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : हमने पहली बार उतना चावल दे दिया जितना पश्चिम बंगाल सरकार ने मांगा था। अब उसने कलकत्ता और मुफस्सिल में उचित मूल्य की लगभग १,००० दुकानें खोल दी हैं। उसने हमें बताया है कि जब कभी वह आवश्यकता अनुभव करेगी, वह पश्चिम बंगाल के दूसरे सब क्षेत्रों में भी उचित मूल्य की दुकानें खोलने के लिये तैयार है। वह दिन-प्रति-दिन ऐसी दुकानें खोल रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कल मंत्री महोदय ने वक्तव्य दिया था कि वह चावल के मूल्य को १६ रुपये से बढ़ने नहीं देंगे, और कि समस्त बंगाल में और विशेषकर बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रोंमें चावल का मूल्य २० रुपये और २२ रुपये के बीच हो गया है, क्या केन्द्रीय सरकार का चावल के मूल्य को १६ रुपये तक लाने के लिये कार्रवाई करने का विचार है ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : पश्चिम बंगाल सरकार जितना चावल मांगे हम देने को तैयार हैं। परसों मैं और पश्चिम बंगाल के खाद्य मंत्री २४ परगना और नादिया जिले में गये थे। हमने पाकिस्तान सीमा पर नदी के दोनों ओर लगभग ३०० मील की यात्रा की। हमारी ओर बहुत माल पड़ा है। उचित मूल्य की दुकानों में भी हमारे पास चावल है। हम अकस्मात मण्डियों और व्यापारियों की दुकानों पर गये। वह अच्छा चावल ८ आने सेर के हिसाब से बेच रहे हैं। अतः उन्हें जितना चावल चाहिये, हम देने को तैयार हैं और वे डिपो आरंभ कर रहे हैं।

†**श्री नि० बि० चौधरी** : क्या यह सच नहीं है कि माल जमा करने और सट्टे की प्रवृत्ति को अच्छी तरह रोकने के लिये पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से शक्ति की मांग की थी और केन्द्रीय सरकार ने शक्ति देने से इन्कार कर दिया है ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : व्यापारियों का माल छीनने की कोई आवश्यकता नहीं है। माल को खुले बाजार में लाने के और भी उपाय हैं। जैसा कि कल हमारे मंत्री ने भोपाल में कहा, यदि हम १६ रुपये मन पर चावल बेचने लगें तो व्यापारियों का माल छीनने की कोई आवश्यकता नहीं है। वे सामान्य अर्थव्यवस्था के अंग हैं। हम इसे माल जमा करना नहीं कह सकते। उन्हें कठिनाई के समय की आवश्यकता को पूरा करने के लिये माल जमा रखना पड़ता है। जब हम १६ रुपये पर बेचते हैं, यदि उस समय मूल्य एक या दो रुपये अधिक होता है, तो व्यापारी का चावल निश्चय ही खुले बाजार में आएगा।

†**श्री कलप्पन** : देश का यह अनुभव है कि ये उचित मूल्य दुकानें मूल्य को गिराने में सहायक न होतीं। क्या मूल्य गिराने के लिये सरकार का कोई दूसरा सुझाव है जैसे कि व्यापारियों को अपना मूल्य घोषित करने और सरकार द्वारा नियत किये गये मूल्य पर बेचने के लिये आग्रह करना ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : इस समय जो उचित मूल्य दूकानें खोली गई हैं उनकी संख्या पर्याप्त नहीं है, अतः शीघ्र ही उनकी संख्या बढ़ाई जायगी। माननीय सदस्य श्री कलप्पन मलाबार का उल्लेख कर रहे हैं। मलाबार में, ज्योंही मौनसून आरंभ होती हैं, प्रायः मूल बढ़ जाते हैं, बंगाल में भी ऐसा ही होता है। मौनसून के काल में लोग अपना माल बाजार में नहीं ला सकते क्योंकि परिवहन संबंधी कठिनाइयां होती हैं। मौनसून काल में मूल्य प्रायः १ या डेढ़ रुपया प्रतिमन बढ़ जाते हैं। ज्यों ही मौनसून रुकती हैं, प्रायः मूल्य गिर जाते हैं। इसलिये हम उचित मूल्य की अधिक दुकानें खोलना चाहते हैं ताकि बाजार में मूल्य गिर जाये।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : बहुत से क्षेत्रों में, जिनका मैंने अपने प्रश्न में उल्लेख किया है, कोई खेती नहीं की गयी और बहुत से किसानों की खेतियां नष्ट हो गई हैं इस कारण, और इस बात का ध्यान रखते हुए कि अगले तीन महीने किसानों के लिये सबसे कठिन हैं, सरकार किस प्रकार शीघ्रतापूर्वक मूल्य को १६ रुपये तक ला सकती है ? सामान्य से डेढ़ रुपये अधिक का कोई प्रश्न नहीं है। प्रश्न यह है कि उनकी खरीदने की क्षमता नहीं है। इसे शीघ्रता से कैसे १६ रुपये तक गिराया जा सकता है ? पश्चिम बंगाल सरकार १७—८—० कह रही हैं और आप १६ रुपये कह रहे हैं, परन्तु यह न तो १७—८—० के पास है और न १६ रुपये के पास।

---

†मूल अंग्रजी में।

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : मिदनापुर में तूफान के कारण स्थिति कुछ खराब है। २४ परगना और नाडिया जिले के कुछ भागों में थैज फसल बहुत बढ़िया है। मैंने स्वयं देखा है कि नाडिया और २४ परगना जिला के क्षेत्रों में हौज फसल बहुत बढ़िया है और ४५ दिनों में काटी जाने वाली है। मिदनापुर में पश्चिम बंगाल सरकार ने क्रम-क्षमता लाने के लिये बहुत से सहायता कार्य आरंभ किये हैं और हम उचित मूल्य की दुकानें खोलने को तैयार हैं।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : २४-परगना और नाडिया एक ही स्थान नहीं है।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : पश्चिम बंगाल के खाद्य मंत्री ने यह माना था कि सट्टा होता है, और मद्रास में श्री कृष्णमाचारी ने माल जमा रखने की बात कही थी, इस को ध्यान में रखते हुए मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने कम से कम सट्टा करने वाले बड़े-बड़े व्यापारियों के विरुद्ध, अभी तक क्यों कोई कार्रवाई नहीं की अथवा क्या हमें यह समझना चाहिये कि सटोरिया व्यापार और सरकारी अकर्मण्यता दोनों यथावत हैं?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)**: माननीय सदस्य को विदित होगा कि रिजर्व बैंक ने पहले ही कार्रवाई कर ली है। वे कार्रवाईयां तीन प्रकार हैं। धान और चावल के भंडार के लिये आर्थिक अग्रिम धन नहीं दिया जाता। जहां संयुक्त लेखा हैं, धान और चावल के लेखाओं को, निष्क्रिय बनाने के लिये पृथक कर दिया जाता है और स्टाक रखने वालों से अधिक सीमान्त धन मांगा गया है। अर्थात् पहले सीमान्त २५ प्रतिशत के लगभग था अब यह ३५ प्रतिशत है। सट्टेबाजी के लिये माल जमा कर लेने की प्रवृत्ति को रोकने के लिये ये कार्रवाइयां की गई हैं।

शिल्पकारों का प्रशिक्षण

†*५४. **श्री हेमराज** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिल्पकारों के प्रशिक्षण के बारे में मंत्रणा देने के लिये सरकार द्वारा नियुक्त किये गये विशेषज्ञों के दल ने अपने प्रतिवेदन पेश कर दिये हैं; और

(ख) यदि हां, तो मुख्य सिफारिशें क्या हैं और उन पर क्या कार्रवाई की गई है?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) कार्यकारी दल एक प्रकार की स्थायी समिति है जो समय-समय पर, शिल्पकारों के प्रशिक्षण की नीति और प्रक्रिया सम्बन्धी मामलों पर, जो उनको भेजे जायेंगे, श्रम मंत्रालय को मंत्रणा देने के लिये बनाई गई है। यह प्रतिवेदन नहीं देती।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री हेमराज : क्या इसने अभी तक कोई सिफारिश की हैं, यदि हां, तो क्या?

†**श्री आबिद अली** : मैंने कहा कि यह प्रतिवेदन नहीं देती, बल्कि सिफारिशें करती है। इसकी बैठक होती है और यह निर्णय करती है : और उसके आधार पर कार्रवाई की जाती है। समिति की अन्तिम बैठक अप्रैल में हुई थी और इसने व्यवसायिक प्रशिक्षण के लिये राष्ट्रीय परिषद की स्थापना, शिल्पकार योजना, केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्था के पुनर्गठन और ऐसे कई मामलों के बारे में कुछ कार्रवाई करने का विचार प्रकट किया।

†**श्री हेमराज** : क्या इसने देश में विभिन्न श्रेणियों के शिल्पिक कर्मचारियों की गणना की है?

†**श्री आबिद अली** : जी नहीं, ऐसी कोई गणना नहीं हुई है।

---

† मूल अंग्रेजी में।

आन्ध्र में जल की व्यवस्था

†*५५. **डा० रामा राव** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) आन्ध्र और हैदराबाद को जल की व्यवस्था करने की योजनाओं के लिये १९५६–५७ के लिये कितनी-कितनी राशि दी गई है; और

(ख) दूसरी पंचवर्षीय योजना में इस कार्य के लिये कितनी राशि देने का विचार है ?

†**स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)** : (क) और (ख) इन राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्ताव विचाराधीन हैं और शीघ्र ही इस बात का निर्णय किया जायगा कि इन्हें कितना धन दिया जाय ।

†**डा० रामा राव** : माननीय मंत्री ने कहा कि १९५६–५७ के प्रस्ताव विचाराधीन हैं । धन कब दिया जायेगा और यह १९५६–५७ में कब खर्च किया जायेगा ।

†**श्रीमती चन्द्रशेखर** : हमने योजनायें भेजने के लिये राज्य सरकारों को लिखा है । हैदराबाद से २६ अप्रैल, १९५६ को उत्तर आ गया था और आन्ध्र से २६ मई, १९५६ को उत्तर आया था और जो योजनायें भेजी गई हैं उनमें टैक्निकल आंकड़े नहीं हैं । अतः हमने उनसे पूरे आंकड़े भेजने के लिये कहा है । वे अभी प्राप्त नहीं हुए हैं । जब वे आ जायंगे उनका परीक्षण किया जायेगा और इसके अतिरिक्त मैं कहना चाहती हूं कि उन सब राज्य सरकारों की आवश्यकताओं के आधार पर जिनको कि हमने लिखा है, राज्य सरकारों को अनुदान दिये जायेंगे । सब राज्य सरकारों ने उत्तर नहीं दिये हैं । केवल कुछ राज्यों से उत्तर आये हैं और अभी हमें दूसरे राज्यों से उत्तर नहीं मिले ।

†**डा० रामा राव** : आन्ध्र और हैदराबाद की सरकारों ने कितना-कितना धन मांगा है ?

†**श्रीमती चन्द्रशेखर** : आन्ध्र सरकार १९५६–५७ में स्पिल-ओवर योजनाओं पर लगभग १७१·२६ लाख रुपये और नवीन ग्राम योजनाओं पर १४·१७ लाख रुपये खर्चना चाहती है । हैदराबाद सरकार स्पिल-ओवर योजनाओं पर लगभग ६९·९२६ लाख रुपये और नवीन नगरीय जल संभरण योजनाओं पर ६२ लाख रुपये खर्च करने का विचार करती है ।

†**श्री ब० स० मूर्ति** : क्या आन्ध्र और हैदराबाद को धन देने की बात दूसरे राज्य सरकारों से उत्तर आने पर निर्भर होगी ?

†**श्रीमती चन्द्रशेखर** : जी, हां । चूंकि विभिन्न राज्य सरकारों को सहायता देने के लिये एक राशि निश्चित की गई है, हमें दूसरे राज्यों की मांगों को भी ध्यान में रखना पड़ता है ।

†**श्री ब० स० मूर्ति** : क्या यह स्थिति नहीं है कि कुछ राज्यों की प्रार्थना के अनुसार उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जायेगा ? चूंकि आन्ध्र और हैदराबाद राज्यों ने अपनी योजनाएं भेज दी हैं और उन्हें बड़ी आवश्यकता है, केन्द्रीय सरकार को अन्य राज्यों से उत्तर आने तक क्यों प्रतीक्षा करनी चाहिये ?

†**अध्यक्ष महोदय** माननीय सदस्य इस विषय पर बहस करने का प्रयत्न कर रहे हैं । केन्द्रीय सरकार को समूचे भारत में धन बांटना होता है ।

†**श्री ब० स० मूर्ति** : इसी कारण तो––

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं इस मामले पर बहस की आज्ञा नहीं दे सकता । मंत्री ने कहा है कि केन्द्रीय सरकार को अन्य राज्यों से भी उनकी मांगों के बारे में परामर्श करना होता है । 'क्यों' और 'क्यों नहीं' के लिये दूसरा दिन नियत किया जा सकता है ।

---

† मूल अंग्रेजी में ।

†**डा० रामा राव** : मंत्री द्वारा उल्लिखित राशि १९५६–५७ के लिये है अथवा द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल के लिये ?

†**श्रीमती चन्द्रशेखर** : १९५६–५७ द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में ही आता है।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह तो केवल उसका एक अंश है।

†**डा० रामा राव** : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि राशियां सम्पूर्ण द्वितीय पंचवर्षीय योजना की हैं अथवा केवल १९५६–५७ की।

†**श्रीमती चन्द्रशेखर** : यह उत्तर में ही कह दिया गया है कि राशि १९५६–५७ की है।

हुबली में हवाई अड्डा

†*५६. **श्री वोडयार** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार कर्नाटक में स्थित हुबली में हवाई अड्डा बनवाने का कार्य शीघ्र ही समाप्त कर देने की इच्छुक है;

(ख) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा विस्तृत प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है और शीघ्र ही उसको अन्तिम रूप दिया जाने वाला है; और

(ग) यदि हां, तो इस काम के किस तिथि को प्रारम्भ किये जाने की आशा है ?

†**संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : (क) जी हां।

(ख) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने प्राक्कलन पहले से ही तैयार कर लिया है।

(ग) निर्माण कार्य आवश्यक भूमि अर्जित कर लेने तथा उस पर कब्जा कर लेने के पश्चात् आरम्भ होगा। अतः परियोजना को पूरा करने में लगभग १८ मास लगेंगे।

†**श्री वोडयार** : क्या हवाई अड्डे का स्थान निश्चित हो चुका है, और यदि हां, तो वह धारवार होगा अथवा हुबली ? हवाई अड्डे की कुल अनुमानित लागत क्या होगी ?

†**श्री जगजीवन राम** : एक स्थान चुन लिया गया है जो धारवार और हुबलीसे लगभग बराबर दूरी पर है। अनुमानित लागत लगभग १८ लाख रुपया है।

†**श्री जोकीम आल्वा** : हुबली में हवाई अड्डे के सम्बन्ध में सर्वेक्षण करते हुए और निर्णय पर पहुंचने में, सरकार ने कारवार के समीपवर्ती क्षेत्र का सर्वेक्षण किया था जो पिछड़ा हुआ है और जहां इस समय यातायात सुविधायें नहीं हैं ?

†**श्री जगजीवन राम** : मैं समझता हूं कि पिछड़े क्षेत्रों में, जैसा कि मेरे माननीय मित्र के ध्यान में है, वायु सेवा आरम्भ करने से उसके लिये पर्याप्त यातायात नहीं होगा।

बालीगंज स्टेशन पर ऊपरी पुल का टूट जाना

†*५७. **श्री साधन गुप्त** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता में बालीगंज स्टेशन पर १ जुलाई, १९५६ को ऊपरी पुल टूट गया;

(ख) यदि हां, तो टूटने के क्या कारण थे; और

(ग) हताहतों की संख्या क्या थी ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)**: (क) जी हां, लगभग ६।। फुट लम्बा हिसा टूट गया और गिर पड़ा ।

(ख) दुर्घटना के कारण का पता लगाने के लिये नियुक्त की गई समिति की उपत्तियों की प्रतीक्षा है ।

(ग) सत्रह व्यक्ति घायल हुए, मरा कोई नहीं । इनमें से १२ व्यक्तियों को प्रथमोपचार के पश्चात अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी ।

†**श्री साधन गुप्त** : इस मामले की जांच के लिये जो समिति नियुक्त की गयी है, उसके सदस्य कौन-कौन हैं ?

†**श्री अलगेशन** : कनिष्ट प्रशासकीय पदाधिकारियों द्वारा जांच करने का आदेश जारी किया गया है ।

†**श्री साधन गुप्त** : इस पुल विशेष की पिछली बार कब मरम्मत हुई थी ?

†**श्री अलगेशन** : मेरे पास इस समय उसकी जानकारी नहीं है ।

†**श्री साधन गुप्त** : क्या यह लकड़ी का पुल है, जो लगभग ५० वर्ष पुराना है और क्या इसके लिये कोई उपाय किये जा रहे हैं कि उसकी ठीक से देख-भाल की जाये और यात्री सुरक्षापूर्वक उसे इस्तेमाल कर सकेंगे ?

†**श्री अलगेशन** : मैं माननीय सदस्य से इस जांच की उपपत्तियां प्राप्त होने तक प्रतीक्षा करने का निवेदन करता हूं । इस बीच में माननीय सदस्य को आश्वासन दे सकता हूं कि इन सारे पुलों की देख-भाल की जा रही है । मैं नहीं जानता कि यह दुर्घटना विशेष किस खराबी से हो गई है ।

†**श्री नि० बि० चौधरी** : बालीगंज रेलवे पुल के टूट जाने के कारण हुई दुर्घटना को देखते हुये और एक मास के अल्प काल के अन्दर ताला रेलवे पुल के टूट जाने के कारण क्या सरकार सम्बन्धित लोगों को निदेश देने के लिये कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है कि वे कलकत्ता क्षेत्र के आसपास के अन्य पुलों की जांच कर लें ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या अन्य पुलों की भी जांच की जायेगी । यह एक सुझाव है ।

†**रेलवे तथा परिवहन मंत्री (श्री ला० ब० शास्त्री)** : यह आवश्यक नहीं है । यह सच है कि यह ऊपरी पुल बहुत पुराना है और इसे फिर से बनवाना पड़ेगा । अन्य पुलों के बारे में मैं निश्चय रूप से नहीं जानता । किन्तु मैं समझता हूं कि एक बस दीवार से टकरा गई और उस कारण पुल को हानि पहुंची और यात्री गिर गये ।

†**श्री कामत** : इस बात को ध्यान में रखते हुये कि इन ऊपरी पुलों पर लगातार काफी लोग और गाड़ियां चलेंगी, इन पुलों की देख-भाल करने और उनकी मरम्मत का उत्तरदायित्व किस पर है ? क्या इसका उत्तरदायित्व केन्द्रीय सरकार पर है अथवा केन्द्रीय और राज्य सरकार दोनों पर ?

†**श्री ला० ब० शास्त्री** : जहां तक पैदल यात्रियो वाले इस ऊपरी पुल का सम्बन्ध है, रेलवे उसके लिये उत्तरदायी है । अन्य ऊपरी पुलों की देख-भाल के लिये राज्य सरकारें उत्तरदायी हैं केवल वे उसके ढांचे के सम्बन्ध में उत्तरदायी नहीं हैं ।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : क्या सरकार बालीगंज में स्टेशन कर्मचारी को उसकी सेवाओं के लिये उसे पुरस्कार देने अथवा कुछ मान्यता देने का विचार कर रही है, जिसकी तात्कालिक कार्यवाही के कारण बड़ी गम्भीर दुर्घटना होने से बच गई अन्यथा निश्चय ही सारा ऊपरी पुल गिर गया होता ?

---

† मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री ला० ब० शास्त्री** : मैं कुछ दिन पहले कलकत्ते में था और मेरी महाप्रबन्धक से बात हुई थी। उनका ध्यान भी उस बात की ओर आकर्षित किया गया है और शायद वह कुछ करें।

कृमि-नाशक

†*६०. **श्री डाभी** : क्या **स्वास्थ** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि बत्तीस देशों ने यह चिन्ता प्रकट की है कि कृमि-नाशक न केवल बेकार ही हो रहे हैं अपितु उनसे कीड़े और अणुजीव बनने में सहायता मिली है जिन पर रसायनिक पदार्थों का प्रभाव नहीं पड़ता तथा जो अब डी० डी० टी० तथा अन्य रसायनिक उत्पादों से भी नहीं मरते;

(ख) क्या विश्व स्वास्थ्य संघ ने मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों, टायफायड फैलाने वाले कीटाणुओं, प्लेग फैलाने वाली मक्खियों तथा अनेक अन्य कीटाणुओं की संख्या गिनाई है जिन पर डी० डी० टी० का असर नहीं होता;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने भारत में डी० डी० टी० के प्रभाव के बारे में कोई जांच-पड़ताल की है; और

(घ) इन जांच-पड़ताल का क्या परिणाम निकला है ?

†**स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)** : (क) संसार के विभिन्न भागों से जहां निरन्तर इन कृमि नाशकों का प्रयोग कई वर्षों से किया जा रहा है सूचना मिली है, कि डी० डी० टी० तथा अन्य क्लोरीनयुक्त हाइड्रोकार्बन कृमि नाशकों का असर कम हो गया है।

(ख) जी हां, कुछ देशों में, किन्तु भारत में नहीं।

(ग) भारत की मलेरिया संस्था, दिल्ली के विशेषज्ञों के एक दल ने गत वर्ष देश के विभिन्न भागों का दौरा इस बात का निश्चय करने के लिये किया कि क्या मच्छरों पर कोई कृमि नाशकों का असर पड़ना बन्द हो गया है और इसका सतत अध्ययन किया जा रहा है।

(घ) इसका कोई प्रमाण नहीं है कि मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों पर डी० डी० टी० का भारत में असर कम होता जा रहा है। स्थिति पर भली प्रकार विचार किया जा रहा है।

†**श्री डाभी** : डी० डी० टी० के छिड़कने का प्रभाव कब तक रहता है ?

†**श्रीमती चन्द्रशेखर** : इसका उत्तर देने के लिये मुझे पूर्व सूचना चाहिये।

†**श्री डाभी** : यह कहने का आधार क्या है कि अन्य देशों में मच्छरों पर डी० डी० टी० का असर कम होता है जब कि हमारे देश मे ऐसा नहीं है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर)** : हमने इस सम्बन्ध में जांच पड़ताल की है और पता लगा है कि भारत में इसका असर कम नहीं हुआ है जब कि अन्य देशों से असर कम हो जाने के बारे में सूचना मिली है। डी० डी० टी० का असर काफी समय तक रहता है और यदि उसे ठीक से छिड़का जाये तो वह बहुत प्रभावी होता है।

†**डा० रामा राव** : इस बात को देखते हुए कि मच्छरों पर प्रभाव कम होता जाता है, क्या सरकार ने सम्बिन्धित पदाधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है कि वास्तव में छिड़कने का तथा अन्य कार्य अधिक प्रभावपूर्ण ढंग से किया जाये जिससे बेमन से किये गये उपचार से भय न रहे जिसके परिणामस्वरूप मच्छरों पर असर कम हो सके ?

†**राजकुमारी अमृत कौर** : हां, मलेरिया की रोकथाम के कार्यक्रम के प्रभावी पदाधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया है, उन्हें सजग कर दिया गया है और उनसे कह दिया गया है कि वे अपने कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने का ठीक-ठीक ध्यान रखें।

---

†मूल अंग्रेजी मे।

टेलीप्रिन्टर के कारखाने

*६१. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **संचार** मंत्री १६ अप्रैल, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या १४५६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि टेलिप्रिन्टरों के निर्माण के लिये एक कारखाना स्थापित करने की योजना को कार्यान्वित करने की दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम) : टेलीप्रिन्टरों के निर्माण करने वालों से योजना की विस्तृत रिपोर्ट मांगी गयी हैं।

श्री भक्त दर्शन : जहां तक मुझे ज्ञात है यह फैक्टरी किसी विदेशी कम्पनी की सहायता से स्थापित की जा रही है तो क्या मैं जान सकता हूं कि वह विदेशी कम्पनी कौन है और किन शर्तों पर उसके साथ बातचीत की जा रही है ?

श्री जगजीवन राम : अगर माननीय सदस्य ने प्रश्न का उत्तर सुनने की कृपा की होती तो यह प्रश्न जो उन्होंने अभी किया, इसके करने की आवश्यकता ही नहीं होती।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम

†*३६. **श्री त० ब० बिट्ठल राव** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, १९४८ के अधीन बीमा कराने वाले क्षयग्रस्त मजदूरों को अधिक सुविधायें देने की योजना पर तब से अन्तिम रूप से निर्णय कर लिया गया हैं;

(ख) यदि हां, तो योजना किस प्रकार की है;

(ग) वह कब से लागू की जायेगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) जी, हां।

(ख) बीमा कराया हुआ व्यक्ति जो क्षयग्रस्त हो और जो निरन्तर दो वर्षों से किसी कारखाने में काम कर रहा हो, ५६ दिनों की बीमारी की छुट्टी से लाभ उठाकर, १८ और अधिक सप्ताहों तक कम दर पर अर्थात् लगभग १२ आने प्रतिदिन के हिसाब से छुट्टी पाने का अधिकारी होगा।

जिस मजदूर ने बीमा कराया हुआ हो और जो लगातार तीन वर्षों से काम कर रहा हो उसको भी डाक्टरी सुविधा अर्थात् उसका निःशुल्क इलाज लगभग एक वर्ष तक और होता रहेगा।

(ग) सुविधा १ जून, १९५६ से दी जा रही है।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

त्रावनकोर-कोचीन राज्य में किसानों का निष्कासन

†*३७. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रावनकोर-कोचीन राज्य में कुदीकिट्टाप्पूकार निष्कासन निवारक अधिनियम १९५४–५५ के अन्तर्गत दायर किये गये मामलों की संख्या क्या है;

(ख) क्या यह सत्य है कि त्रावनकोर-कोचीन सरकार के पास किसान सभा का शिष्ट मंडल कुदीकिट्टाप्पूकारों के रजिस्टर करने की अवधि को बढ़ाने की प्रार्थना करने के लिये आया था;

---

† मूल अंग्रेजी में।

(ग) क्या सरकार उन कुदीकिट्टाप्पकूरों को, जिन्होंने अधिनियम के अनुसार अपने नाम पंजीबद्ध करा लिये है, स्थायित्व देने की प्रस्थापना करती हैं; और

(घ) उन निष्कासन मामलों की संख्या जो १९५५ में तथा १९५६ में मार्च तक अदालतों में दायर किये गये ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) १३,०१२।

(ख) नहीं ।

(ग) हां, त्रावनकोर-कोचीन कुट्टीकिट्टाप्पूकार निष्कासन व निवारक अधिनियम, १९५५ के खंड ७ के उपबन्धों के अनुसार ।

(घ) ९७० ।

अभ्रक खान श्रम-कल्याण निधि

†*३८. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अभ्रक खान श्रम कल्याण निधि का केवल ५० प्रतिशत विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च किया जाता है और शेष को संचित निधि में जमा कर लिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) इस निधि को काम में लाने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** :(क) से (ग). यह ठीक है कि १९५३–५४ तक इस निधि के अन्तर्गत प्रारम्भ की गई कल्याण योजनायें बहुत तत्परता से कार्यन्वित नहीं की जा सकीं और वार्षिक आय का कुछ भाग ही खर्च किया जाता था । परन्तु गत दो वर्षों से अवस्था बदल गयी है । अब आय और संचित निधि का उपयोग किया जा रहा है ।

कोसी में बाढ

*४०. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत जून मास में कोसी नदी की बाढ़ से धन, जन और कृषि की कितनी हानि हुई ?

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : जून के महीने में कोसी नदी में बाढ़ आने से कृषि योग्य और बंजर लगभग २ लाख ५० हजार एकड़ भूमि में पानी आ गया जिसका ३ लाख की आबादी पर असर पड़ा । एक नाव के डूब जाने से ४ आदमियों की जानें गई । घरों की लगभग ४ लाख और फसल की लगभग ९० लाख रुपये की अनुमानित हानि हुई । अन्य सम्पत्ति की हानि के विषय में जानकारी मौजूद नहीं है ।

भारत-तिब्बत को मिलाने वाली सड़क

†*४३. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत-तिब्बत को मिलाने वाली सड़क के निर्माण पर अब तक कितना खर्च किया गया है; और

(ख) सड़क कब तक तैयार हो जायेगी और वह सार्वजनिक यातायात के लिये खोल दी जायेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी मे ।

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) फरवरी १९५६ के अन्त तक ७१·२६ लाख रुपये ।

(ख) चीनी तक सड़क की पूर्ण रूप से तैयार करने में लगभग पांच वर्ष लगेंगे और तिब्बत की सीमा तक सड़क बनाने में और पांच वर्ष लगेंगे । सारी सड़क चाहे पूर्ण रूप से तैयार न हुई हो परन्तु जो भाग भी इस योग्य हो जाता है कि उस पर गाड़ियां आदि चल सकें उसे यातायात के लिये खोल दिया जाता है । अभी रामपुर तक सड़क को गाड़ियों के यातायात के लिये खोला गया है ।

रेलवे उपकरण समिति

†*५१. **श्री जेठालाल जोशी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे उपकरण समिति ने सरकार को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार कौन सी सिफारिशों को कार्यान्वित करने का विचार करती है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी हां ।

(ख) समिति द्वारा की गई सभी सिफारिशों पर कार्यवाही पहले ही आरम्भ की जा चुकी है और उनमें से कुछ एक को कार्यान्वित किया जा रहा है । समिति की अधिक महत्वपूर्ण सिफारिशों में से एक को जो माल डिब्बों के निर्माण की क्षमता बढ़ाने के बारे में थी, कार्यान्वित करने के लिये कार्यवाही की गई है, और डिब्बों के निचले ढांचों के लिये आर्डर दे दिये गये हैं । अन्य सिफारिशों पर सम्बन्धित मंत्रालयों से परामर्श करके अभी विचार किया जा रहा है ।

रामागूँडम-निजामाबाद रेल कड़ी

†*५८. **श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रामागुंडम-निजामाबाद रेल कड़ी परियोजना का विस्तृत यातायात परिमाप प्राप्त हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उसकी जांच कर ली गई है; और

(ग) प्रारम्भिक इंजीनियरिंग सर्वेक्षण कब किया जायेगा ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) लटुर-रामागुंडम परियोजना का, जिसका निजामाबाद रामागुंडम भी एक भाग है, अन्तिम स्थापना (इंजीनियरिंग) परिमाप १९४५–४६ में पूरा किया जा चुका है । अतः इस परियोजना के लिये कोई नया इंजीनियरिंग परिमाप करने की आवश्यकता नहीं है तथापि लागत को वर्तमान स्तर पर लाया जा रहा है ।

त्रावणकोर-कोचीन राज्य में धार्मिक संघ

†*५९. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रावनकोर-कोचीन राज्य सरकार ने आदेश दिया है कि धार्मिक संघों और व्यक्तिगत श्रमिकों द्वारा औद्योगिक न्यायाधिकरणों और औद्योगिक न्यायालयों को भेजे जाने वाले आवेदन पत्रों पर दो रुपये और आठ आने की न्यायालय शुल्क की टिकिटें लगी होनी चाहियें;

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) क्या संघ सरकार इस आदेश को, जिससे कि राज्य के औद्योगिक कर्मचारियों को बड़ी असुविधा हो रही है, वापस ले लेने की प्रस्थापना करती है?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)**: (क) और (ख). त्रावनकोर-कोचीन सरकार से यह सूचना मिली है कि त्रावनकोर-कोचीन न्यायालय शुल्क अधिनियम, ११२५ के अन्तर्गत सरकार, राज्य उच्च न्यायालय और विभाग के मुख्य अधिकारियों को भेजी जाने वाली याचिकाओं पर दो रुपये न्यायालय फीस लगाई जा सकती है और किसी डिवीजन के कार्यपालिका प्रशासन के प्रभारी पदाधिकारी को दी जाने वाली याचिकाओं पर आठ आने न्यायालय फीस देनी होती है, परन्तु यह फीस केवल ऐसी याचिकाओं पर देना होती है जिनमें किसी पदाधिकारी से विधि अथवा विधि के समान नियम द्वारा प्रदत्त प्राधिकारों को प्रवर्तन में लाने अथवा न लाने की मांग की गई हो। इसी प्रकार धार्मिक संघों अथवा व्यक्तिगत श्रमिकों द्वारा औद्योगिक न्यायाधिकरणों को भेजे गये आवेदन पत्रों पर यदि वे उपरोक्त वर्ग (ग) में आते हैं, भी विहित न्यायालय फीस की टिकटें लगी होनी ही चाहियें।

(ग) त्रावनकोर-कोचीन सरकार विभिन्न श्रम विधानों के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई याचिकाओं को न्यायालय शुल्क के आरोपण से उन्मुक्त करने के प्रश्न पर विचार कर रही है।

रेलगाड़ियों में सोने का स्थान

†*६२. **पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या **रेलवे** मंत्री १६ दिसम्बर, १९५५ को पूछ गये अतारांकित प्रश्न संख्या ५७७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न विभागों में सितम्बर, १९५५ से मार्च, १९५६ के बीच रात्रि को सोने का स्थान रक्षित करने से आय में कोई वृद्धि हुई है; और

(ख) क्या इस सुविधा की और रेल गाड़ियों में भी व्यवस्था की गई है?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी हां।

(ख) यह सुविधा मद्रास-हावड़ा जनता एक्सप्रेस में सप्ताह में एक बार दी जाती है जब कि गलियारे वाली ट्रेन चलती है।

आयूर्वेद

†*६३. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार ने आयुर्वेद का विकास करने के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कोई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है?

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर)** : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबंध संख्या १४ क**]

सकरी-हसनपुर रेलवे

†*६४. **श्री अनिरुद्ध सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री ३ अप्रैल, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ११२२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उत्तर बिहार में पूर्वोत्तर रेलवे पर सकरी-हसनपुर रेलवे लाइन के निर्माण का अनुमोदन करने के प्रश्न के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय किया जा चुका है?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : अभी नहीं, फिर भी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान में इस रेल मार्ग के निर्माण की सम्भावना कम ही है।

कागज बनाना

†*६५. **श्रीमती कमलेन्दुमति शाह** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिमालय प्रदेश में पाये जाने वाले भोजपत्र (भोज वृक्ष की छाल) से बनाये गये कागज की मांग काफी है और उसे विदेशियों और भारतीयों द्वारा भी पसंद किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस उद्योग का विकास करने की प्रस्थापना करती है ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) और (ख). यह जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथासमय लोक-सभा पटल पर रख दी जायेगी।

बिहार की खाद्य स्थिति

†*६६. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सामान्यत: बिहार में और विशेषकर उत्तरी बिहार के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में इस समय खाद्य स्थिति कैसी है;

(ख) क्या बिहार सरकार ने हाल ही में वहां आई बाढ़ के परिणामस्वरूप उत्पन्न स्थिति का सामना करने के लिये केन्द्रीय संग्रह से खाद्यान्न दिये जाने की मांग की है;

(ग) यदि हां, तो उक्त मांगें किस प्रकार की हैं तथा कितने खाद्यान्न की मांग की गई है; और

(घ) केन्द्रीय सरकार ने उक्त मांगों की पूर्ति किस हद तक करना स्वीकार किया है ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) यद्यपि खाद्यान्नों के मूल्य कुछ बढ़ गये हैं तथापि बिहार में खाद्यान्न संभरण की सामान्या स्थिति संतोषजनक है।

(ख) से (घ). इस बात की आशंका करते हुए कि संभवत: इस वर्ष भी उत्तरी बिहार को बाढ़ों के प्रकोप का सामना करना पड़े, राज्य सरकार ने उत्तरी बिहार तथा दक्षिणी बिहार के कुछ अभाव ग्रस्त क्षेत्रों के लिये १२ लाख मन खाद्यान्न आवंटित करने के लिये केन्द्रीय सरकार से कहा था। इस मांग को पूर्णरूपेण स्वीकार कर लिया गया है और वास्तव में ६·५८ लाख मन खाद्यान्न भेजा भी जा चुका है। खाद्यान्न की शेष मात्रा भेजी जा रही है।

इन्डोनेशिया में भारतीय अधिकारी

†*६७. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने इन्डोनेशिया की सरकार को सेवायोजन, बेरोजगारी, मजूरी, काम के घंटे तथा जीवननिर्वाह व्यय आदि सम्बन्धी आंकड़ों में सुधार करने में सहायता देने के लिये अधिकारियों को इण्डोनेशिया भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो उन अधिकारियों के नाम और अभिधान क्या हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) और (ख). इन्डोनेशिया की सरकार ने इन्डोनेशियाई श्रम मंत्रालय के अन्तर्गत श्रम बल के एक नमूना सर्वेक्षण का संगठन करने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन से किसी विशेषज्ञ की सेवायें उपलब्ध करने के लिये अनुरोध किया था। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने मद्रास सरकार के एक स्थायी अधिकारी को जो कि अभी कुछ दिनों पहले तक श्रम ब्यूरो, शिमला का निर्देशक था, इस कार्य के लिये चुना। उक्त अधिकारी जून १९५६ में इन्डोनेशिया चला गया।

इंजन का पटरी से उतरना

२६. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ८ जून, १९५६ को अम्बाला-नंगल सवारी गाड़ी का इंजन साहिब रेलवे स्टेशन पर पटरी से उतर गया था;

(ख) यदि हां, तो इंजन किसी पुर्जे की खराबी से उतरा था या पटरी की खरावी से ; और

(ग) इस दुर्घटना के लिये कौन उत्तरदायी है और उसे क्या दंड दिया गया ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) ८-६-१९५६ की रात को लगभग १० बजकर ११ मिनट पर, जब ३२० डाउन नांगल डैम-अम्बाला कैंट एक्सप्रेस उत्तर रेलवे के आनन्दपुर साहिब और भरतगढ़ स्टेशनों के बीच जा रही थी, उसका इंजन मील नं० ४४।१-२ पर पटरी से उतर गया।

(ख) और (ग). दुर्घटना के कारण का पता लगाया जा रहा है। इसलिये अभी किसी को उत्तरदायी ठहराने और आगे की कार्यवाही करने का सवाल नहीं उठता।

रेलवे स्टेशन पर आक्रमण

२७. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बृहस्पतिवार, ७ जून, १९५६ को उत्तर रेलवे पर नजीबाबाद के पास फजलपुर स्टेशन पर दो नकाबपोश डाकुओं ने आक्रमण किया था; और

(ख) यदि हां, तो इस घटना का विवरण क्या है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां, ५।६ जून, १९५६ की रात को, न कि ७ जून १९५६ को।

(ख) रात को १ बजकर १० मिनट पर तीन हथियारबन्द डाकू स्टेशन मास्टर के दफ्तर में घुस गये और उस समय डयूटी पर जो सहायक स्टेशन मास्टर थे उनसे रेलवे का नकद रुपया मांगा। सहायक स्टेशन मास्टर ने उन्हें चावियां दे दीं। कहा जाता है कि डाकुओं ने टिकट ट्यूब से २५ रुपये निकाले लेकिन बाद में वापिस कर दिये।

रेलवे पुलिस मामले की जांच कर रही है।

विक्रमपुर के निकट दुर्घटना

२८. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १० जून, १९५६ को दोपहर के समय राजकोट और जूनागढ़ ग बीच विक्रमपुर के समीप एक मिली-जुली गाड़ी दुर्घटना-ग्रस्त हो गई जिसके कारण यात्री कोड़ी के तीन डिब्बे पटरी पर से उतर गये;

†मूल अंग्रेजी में।

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना का क्या कारण है और हताहतों की संख्या क्या है; और

(ग) दुर्घटना के लिये कौन उत्तरदायी है और इस सम्बन्ध में अभी तक क्या जांच हुई है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जैसा प्रश्न में कहा गया है विक्रमपुर के पास ऐसी कोई दुर्घटना नहीं हुई। यह स्टेशन पश्चिम रेलवे के राजकोट-जूनागढ़ खण्ड पर नहीं बल्कि मध्य रेलवे के इटारसी जबलपुर खण्ड पर है।

११–६–१९५६ को (न कि १०–६–१९५६ को जैसा प्रश्न में कहा गया है) ११ बजकर १५ मिनट पर, जब ६३४ डाउन तेज मिली-जुली गाड़ी पश्चिम रेलवे के राजकोट-जूनागढ़ के वीरपुर और नवागढ़ स्टेशनों के बीच जा रही थी, १९२।२–३ मील पर उसके पिछले तीन डिब्बे पटरी से उतर गये।

(ख) और (ग). इस दुर्घटना में न कोई मरा और न घायल हुआ। रेलवे जिला अधिकारियों की समिति ने इसकी जांच की। उनका कहना है कि यह दुर्घटना एक माला डिब्बे के पुर्जों में कुछ खराबी आ जाने के कारण हुई। समिति ने गाड़ी की जांच करने वाले कुछ कर्मचारियों को इसके लिये जिम्मेदार ठहराया है क्योंकि वे समय पर इस खराबी का पता न लगा सके। रिपोर्ट पर अभी विचार किया जा रहा है।

भाण्डागार-व्यवस्था निगम

†२९. **श्री राम कृष्ण** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना अवधि में जिन स्थानों में १६ भाण्डागार व्यवस्था निगम स्थापित किये जायेंगे उनके नाम क्या हैं; और

(ख) उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां दूसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में २५० भाण्डागार स्थापित किये जायेंगे ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) पुनर्गठन के बाद में प्रत्येक राज्य (केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों को छोड़कर) में एक भाण्डागार-व्यवस्था निगम होगा। निगम का प्रधान कार्यालय किस स्थान में रहेगा इस बात का निश्चय सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा किया जायेगा। केन्द्रीय भाण्डागार व्यवस्था निगम नई दिल्ली में स्थापित किया जायेगा।

(ख) भान्डागार कहां स्थापित किये जायेंगे इस बात का निर्णय स्थापना होने के बाद निगम द्वारा किया जायेगा।

जापानी तरीके से धान की खेती

†३०. **श्री राम कृष्ण** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६ में अब तक राज्यवार कुल कितने क्षेत्र में जापानी तरीके से धान की खेती की गई; और

(ख) दूसरी पंचवर्षीय योजना में उक्त तरीके से कुल कितने क्षेत्र में (राज्यवार) खेती की जायेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) कृषि वर्ष १६५५–५६ में राज्यवार कुल जितने क्षेत्र में जापान तरीके से धान की खेती की गई उसका विवरण लोकसभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १५**] धान की खेती का १६५६ का खरीफ का मौसम अभी शुरू हुआ है और जापानी तरीके से कुल कितने एकड़ भूमि में धान की खेती की गई है इसके सम्बन्ध में आंकड़े भारत सरकार के पास अभी तक उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) दूसरी पंचवर्षीय योजना में राज्यवार कुल कितने क्षेत्र में उक्त तरीके से धान की खेती की जायेगी यह निर्धारित करना इस अवस्था में संभव नहीं है। गत वर्ष प्रत्येक राज्य ने जो कार्य किया था उसको ध्यान में रखते हुए प्रत्येक राज्य के लिये वार्षिक आधार पर परीक्षात्मक लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक ४० लाख एकड़ भूमि में जापानी तरीके से धान की खेती करने की प्रस्थापना है। किन्तु आशा की जाती है इस लक्ष्य से कहीं अधिक भूमि में उक्त तरीके से खेती की जायेगी।

नये रेल मार्ग

†**३१. श्री अनिरुद्ध सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बिहार सरकार द्वारा निर्माण के लिये प्रस्तावित नये रेल मार्गों की कुल मील संख्या कितनी है;

(ख) प्रस्तावित नये रेल पथों के नाम क्या हैं; और

(ग) प्रस्तावित रेल पथों में से अब तक किन की स्वीकृति दे दी गई है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) से (ग). इस प्रकार के पत्रव्यवहार को सामान्यतः सभा पटल पर नहीं रखा जाता है। किन्तु इन नये रेल मार्गों के निर्माण के लिये जो कि अधिकांशतः बिहार में आते हैं, स्वीकृति दे दी गई है :——

(१) रूरकेला से डुमारो तक।

(२) रूरकेला से रांची और मुरी होकर फुसरो तक।

इनके अतिरिक्त इन रेलमार्गों के विषय में सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है:——

(१) करनपुरा कोयला क्षेत्रों को ब्रांच लाइनें;

(२) दरभंगा-मुजफ्फरपुर

उक्त सभी रेलमार्ग इस्पात कारखानों, कोयला क्षेत्रों के विकास अथवा कार्यक्षमता में सुधार करने के सम्बन्ध में हैं।

त्रावणकोर-कोचीन राज्य में काम दिलाऊ दफ्तर

†**३२. श्री अ० क० गोपालन** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १६५५ में और मार्च, १६५६ तक त्रावनकोर-कोचीन राज्य के काम दिलाऊ दफ्तरों में जितने व्यक्तियों ने अपने नामों का पंजीयन कराया उनकी कुल संख्या कितनी है;

(ख) इनमें से ऐसे व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है जिन्होंने निम्न परीक्षायें पास की है; (१) सेकेन्डरी स्कूल लीविन्ग सार्टिफिकेट (२) बी० ए० (३) बी० एससी० (४) एम० ए० और (५) एम० एस सी; और

(ग) इनमें से उनकी कुल संख्या, जिन्हें काम दिलाऊ दफ्तरों के जरिये नौकरी मिली, कितनी है ?

---

†मूल अंगेजी में।

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी नीचे दी जा रही हैः—

पूंजीबद्ध व्यक्तियों की संख्या

वर्ष/ अवधि	शिक्षित व्यक्ति				अन्य	स्तम्भ ५ और ६ का योग
	मैट्रिक (सेकेन्डरी) स्कूल लीविन्ग सर्टिफिकेट	इंटरमीजियेट	स्नातक और स्नातकोत्तर	कुल शिक्षित व्यक्ति		
१	२	३	४	५	६	७
१९५५	११,७७९	४४६	१,३०८	१३,५३३	३१,१३९	४४,६७२
१९५६ (जनवरी-मार्च)	३,२४३	१६१	३७३	३,७७७	४,५२८	८,३०५
योग	१५,०२२	६०७	१,६८१	१७,३१०	३५,६६७	५२,९७७

सेवायुक्त व्यक्तियों की संख्या

वर्ष अवधि	शिक्षित व्यक्तियों की संख्या				अन्य	स्तम्भ ५ और ६ का योग
	मैट्रिक सेकेन्डरी स्कूल लीविन्ग सर्टिफिकेट	इन्टरमीजियेट	स्नातक तथा स्नातकोत्तर	*शिक्षित व्यक्तियों की कुल संख्या		
१	२	३	४	५	६	७
१९५५	६६२	४४	१५२	८५८	५,२५८	६,११६
१९५६ (जनवरी-मार्च)	६२५	२८	५४	७०७	१,०३५	१,७४२
योग	१,२८७	७२	२०६	१,५६५	६,२९३	७,८५८

*मैट्रिक और उसके अधिक शिक्षा प्राप्त ।

टिप्पणीः—जिन प्राथियों ने बी० ए०, बी० एस सी०, एम० ए० और एम० एस सी० परीक्षायें पास की हैं उनके बारे में पृथक जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

†मूल अंग्रेजी में ।

त्रावनकोर-कोचीन में श्रम विवाद

†३३. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रावनकोर-कोचीन राज्य में मार्च, अप्रैल, मई तथा जून १९५६ में हुए श्रम विवादों की पृथक्-पृथक् कुल संख्या और विवाद के कारण ;

(ख) उक्त अवधि में हुई तालाबन्दियों और हड़तालों की कुल संख्या तथा उनसे कितने मजदूर सम्बन्धित थे; और

(ग) सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है तथा अब तक कितने विवाद तय किये जा चुके हैं ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)**: (क) और (ख). निम्न विवरण में आवश्यक जानकारी दी गई है। जहां तक विवादों के कारणों का सम्बन्ध है, त्रावनकोर-कोचीन सरकार से आवश्यक जानकारी प्राप्त होने की प्रतीक्षा की जा रही है और प्राप्त होते ही वह लोक-सभा पटल पर रख दी जायेगी।

अवधि	विवादों की संख्या	हड़तालों की संख्या	हड़ताल से सम्बन्धित मजदूरों की संख्या	तालाबन्दियों की संख्या	तालाबन्दियों से सम्बन्धित मजदूरों की संख्या
मार्च १९५६	३०६	११	३,२३८	..	
अप्रैल १९५६ .	४१७	५४	७,६२७		..
मई १९५६	४३१	१५	४,१९८	२	१३,४९७
जून १९५६ .	४५०	१२	१,९९९	..	

(ग) सरकार की मध्यस्थ व्यवस्था ने हस्तक्षेप किया और उसके द्वारा तय किये गये विवादों की संख्या इस प्रकार है :—

अवधि	तय किये गये विवादों की संख्या
मार्च १९५६	२७९
अप्रैल १९५६	३८८
मई १९५६	३७४
जून १९५६	३८१

† मूल अंग्रेजी में।

क्लर्कों और डाकियों की भर्ती

३४. **श्री बाल्मीकी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५३–५४, १९५४–५५ और १९५५–५६ में होने वाली क्लर्कों और डाकियों की भरती की परीक्षा में कितने कितने उम्मेदवार शामिल हुये ;

(ख) उनमें से कितने अनुसूचित जाति के थे ;

(ग) क्या यह सच है कि क्लर्कों और डाकियों की पदाली में अनुसूचित जातियों के उम्मेदवारों के लिये रक्षित पदों का कोटा पूरा नहीं हुआ है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसे पूरा करने के लिये क्या प्रयत्न हो रहे हैं ?

सचार मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (घ). जानकारी उपलब्ध की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रखी जायगी ।

डी० टी० एस० बसों के शेड

†३५. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५५–५६ में धूप, वर्षा आदि से यात्रियों को बचाने के लिये दिल्ली ट्रान्सपोर्ट सर्विस द्वारा निर्मित शेडों की संख्या कितनी है ; और

(ख) १९५६–५७ में दिल्ली ट्रान्सपोर्ट सर्विस द्वारा कितने शेडों का निर्माण किये जाने की प्रस्थापना है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)**: (क) १९५५–५६ में १७ शेड बनाये गये । १९५५–५६ में जिन ३९ शेडों का निर्माण किया गया यह उनके अतिरिक्त हैं ।

(ख) अड़सठ ।

दिल्ली की सडकों के लिये भारतीय नाम

†३६. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह निर्णय कर लिया गया है कि दिल्ली और नई दिल्ली की कुछ और मुख्य सड़कों को भारतीय नाम दिये जायें ;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न सड़कों के लिये क्या नाम चुने गये हैं ; और

(ग) यह नाम किस तारीख से लागू होंगे ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर)**: (क) और (ख). नई दिल्ली म्युनिस्पैलिटी कमेटी ने यह निर्णय किया था कि राबर्टस् रोड का नाम बदलकर उसे तीन मूर्ती मार्ग कर दिया जाये । और कोई परिवर्तन नहीं किये गये हैं ।

(ग) यह परिवर्तन पहले ही किया जा चुका है ।

डाक और तार घर

†३७. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रत्येक वर्ष में होशियारपुर जिले में खोले गये (१) डाक घरों और (२) तार घरों, की संख्या कितनी है ;

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(ख) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस जिले के लिये डाक सम्बन्धी सेवाओं और सुविधाओं के लिये क्या विस्तार कार्यक्रम है; और

(ग) उक्त कार्यक्रम के ब्योरे क्या हैं ?

†**संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १६**]

मेडिकल कालिज

†**३८. श्री दी० चं० शर्मा**: क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या पंजाब में एक और मेडिकल कालिज खोलने की प्रस्थापना है; और

(ख) यदि हां, तो इस समय उक्त प्रस्थापना किस अवस्था में है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर)** : (क) ऐसी कोई प्रस्थापना नहीं है। (ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

रेलवे स्टेशनों पर टेलीफोन

३९. श्री भक्त दर्शन : क्या **रेलवे** मंत्री ३ अप्रैल, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या १०९० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे के किन-किन स्टेशनों पर तब से टेलीफोन लगा दिये गये हैं; और

(ख) शेष स्टेशनों पर कब तक टेलीफोन लग जाने की आशा की जा सकती है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क)

दिल्ली किशनगंज

पालमपुर

भगतांवाला

मारवाड़ पाली

(ख) डाक और तार विभाग को नीचे लिखे सात स्टेशनों पर टेलीफोन लगाने के लिये कहा गया है:—

नोहर, गुड़गांव, सम्भल, हातिम सराय, सब्जी मंडी, शाहदरा, मैनपुरी।

लेकिन अभी यह मालूम नहीं है कि टेलीफोन किस तारीख तक लग जायंगे।

जड़ी बूटियों के फार्म

†**४०. श्री मादिया गौडा** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) जड़ी बूटियों के फार्मों की खेती के लिये स्वास्थ्य मंत्रालय ने किन राज्यों को सहायता दी है; और

---

†मूल अंग्रेजी में।

(ख) प्रत्येक को कितनी सहायता दी गई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर)**: (क) जड़ी बूटियों के खेती के लिये स्वास्थ्य मंत्रायल राज्यों को सहायता नहीं दे रहा है, बल्कि चिकित्सा की देशी प्रणालियों में गवेषणा के लिये जड़ी-बूटियां उगाने और ऐसे पौधों में गवेषणा के हेतु मद्रास और हिमाचल प्रदेश की सरकारों को आर्थिक सहायता दी गई थी ।

(ख) १९५५–५६ में निम्नलिखित अनुदान दिये गये:—

	रुपये
१. मद्रास	४,५००
२. हिमाचल प्रदेश	३४,२४०

राष्ट्रीय राजपथ

†४१. **श्री मादिया गौडा** : क्या **परिवहन** मंत्री १८ मई, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या २३४६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजपथों पर पेड़ लगाने, उनकी हिफाजत करने आदि के बारे में कोई निश्चित नियम बनाये गये हैं;

(ख) क्या अभी तक वर्तमान वृक्षों की संख्या, उन की किस्म और उन की दशा के बारे में आंकड़े प्राप्त करने का कोई प्रयत्न किया गया है; और

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में वृक्षारोपण के लिये कितनी राशि निश्चित की गई है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)**: (क) जी नहीं । राष्ट्रीय राजपथों पर वृक्षारोपण और उनकी रक्षा का दायित्व राज्य सरकारों पर है जिनसे कहा गया ह कि शनैः शनैः पुराने वृक्षों का स्थान ग्रहण करने के लिये नये वृक्षों की एकान्तरिक कतारें लगायें ।

(ख) अक्टूबर १९५२ में राज्य सरकारों से यह सूचना मांगी गई थी कि १९५२–५३ के आरम्भ और अन्त में वृक्षों की संख्या कितनी थी और उस वर्ष वृक्षारोपण और उनकी रक्षा में कितना व्यय हुआ । अनेक राज्य सरकारों से उस वर्ष तथा उसके बाद के वर्षों की सूचना की प्रतीक्षा की जा रही है ।

(ग) इस उद्देश्य के लिये कोई विशेष राशि निश्चित नहीं की गई है । प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय राजपथों को ठीक दशा में रखने के लिये राज्य सरकारों को जो अनुदान दिये जाते हैं उनमें से ही वृक्षारोपण का व्यय पूरा किया जाता है और उन के लेखे पृथक् नहीं रखे जाते ।

अतिरिक्त रेल सेवायें

†४२. **श्री झूलन सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में रेलवे के प्रत्येक जोन में कितनी अतिरिक्त रेलगाड़ियां चलाई गईं ?

†मूल अंग्रेजी में ।

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)**: १–४–५१ से ३१–३–५६ की अवधि में ७९१ अतिरिक्त रेलें चलाई गईं और ५५० वर्तमान रेलों का पथ बढ़ा दिया गया। इस प्रकार उनकी यात्रा की दूरी एक नित्य चलने वाली रेल की यात्रा की दूरी के रूप में क्रमश: ३७,६५५ और २१,५४७ मील बढ़ी। विस्तृत ब्यौरा नीचे दिया जाता है :—

रेलवे	नई चलाई गई गाड़ियों की संख्या	यात्रा की दूरी, नित्य की गाड़ी की दूरी के रूप में	जिन गाड़ियों का यात्रा पथ बढ़ाया गया	यात्रा की दूरी, नित्य की गाड़ी की दूरी के रूप में
मध्य	९१	२,२३२	२	१६
पूर्व . .	११४	३,३८०	८८	१,५७३
उत्तर . . .	१६२	६,२४६	७७	४,०४८
पूर्वोत्तर	७७	४,७९०	९७	४,३३५
दक्षिण	२१४	८,०६७	१६७	६,३५०
दक्षिण-पूर्व	१७	१,६०६	२७	१,४३४
पश्चिम .	११६	७,३२८	९२	३,७९१
योग	७९१	३७,६५५	५५०	२१,५४७

रेलवे पास

†४३. **डा० सत्यवादी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रथम श्रेणी हटाने से पहले जिन रेलवे कर्मचारियों के पास द्वितीय श्रेणी के पास मौजूद थे, क्या उन्हें उत्तर रेलवे के कालका-शिमला भाग में रेल-मोटर से यात्रा करने की अनुमति दी जाती है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : जी नहीं।

त्रिपुरा में संचार

†४४. **श्री बीरेन दत्त** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २ जून से ५ जून, १९५६ तक त्रिपुरा राज्य का सब संचार बिल्कुल बन्द रहा;

(ख) क्या २ जून से १७ जून, १९५६ तक कैलासहर तक वायुसेवायें बहुत अनियमित रहीं; और

(ग) यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

†मूल अंग्रेजी में।

†**संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : (क) प्रत्येक दिन के अधिकांश भाग में कलकत्ता और अगरतला के बीच तार संचार चालू रहा। ३ और ५ जून १९५६ के बीच कलकत्ता और अगरतला के बीच कुछ विमान सेवायें चलाई गई थीं। इनके अतिरिक्त त्रिपुरा के साथ इस बीच में यातायात रुक गया था।

(ख) जी हां।

(ग) निरन्तर वर्षा, बाढ़ और खराब मौसम।

नौवहन

†४५. **सरदार इकबाल सिंह :**
सरदार अकरपुरी :

क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न जलमार्गों पर भारतीय समवायों द्वारा नियोजित जहाजों की संख्या और नाम क्या हैं; और

(ख) निकट भविष्य में भारतीय समवायों द्वारा प्रारम्भ किये जाने वाले जल मार्गों के क्या नाम हैं?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १७**]

(ख) भारत-पोलैण्ड।

भारत-लाल सागर।

पंजाब और पेप्सू में प्राविधीक प्रशिक्षण केन्द्र

†४६. **सरदार इकबाल सिंह :**
सरदार अकरपुरी :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब और पेप्सू में संघ सरकार द्वारा चलाये जाने वाले प्राविधिक प्रशिक्षण केन्द्रों में सरकार द्वारा इस वर्ष छात्रवृत्ति दिये गये प्रशिक्षणार्थियों की संख्या कितनी है?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)**: प्राविधिक प्रशिक्षण केन्द्रों में छात्रवृत्ति पाने वाले प्रशिक्षणार्थियों की संख्या पंजाब में ३३७ और पेप्सू में १३४ है।

विस्तार व कृषि-प्रशिक्षण केन्द्र

†४७. **सरदार इकबाल सिंह :**
सरदार अकरपुरी :

क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब और पेप्सू में विस्तार प्रशिक्षण केन्द्र तथा बुनियादी कृषि-पाठशालाओं की संख्या कितनी है?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : पंजाब में नीलोखेड़ी और बटाला स्थित दो विस्तार प्रशिक्षण केन्द्र है। वहां बटाला और सिरसा में दो बुनियादी कृषि स्कूलों के अतिरिक्त नीलोखेड़ी में बुनियादी कृषि पार्श्व हैं।

पेप्सू में एक विस्तार प्रशिक्षण केन्द्र और एक बुनियादी कृषि स्कूल नाभा में स्थित है।

---

†मूल **अंग्रेजी में**।

नये टेलीफोन और सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालय

†४८. { **सरदार इकबाल सिंह :**
सरदार अकरपुरी :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

(क) १ जनवरी, १९५६ से ३० जून, १९५६ के बीच लगाये गये बिना एक्सचेंज वाले टेलीफोनों सहित टेलीफानों की संख्या कितनी है ?

(ख) उक्त अवधि में खोले गये सार्वजनिक टेलीफोनों की संख्या कितनी है ?

†**संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और शीघ्र ही सभा-पटल पर रखी जायगी।

चालक कर्मचारियों को ओवरटाइम भत्ता

†४९. { **सरदार इकबाल सिंह :**
सरदार अकरपुरी :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार असैनिक उड्डयन विभाग के समस्त चालक कर्मचारियों पर ओवरटाइम भत्ता योजना लागू करने के लिये सहमत हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो यह कब से लागू की जायगी ?

†**संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : (क) और (ख). सरकार इस प्रश्न पर विस्तारपूर्वक विचार कर रही है ।

रेलवे के दावे

†५०. { **सरदार इकबाल सिंह :**
सरदार अकरपुरी :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे में १९५५–५६ में डिवीजनवार दर्ज किये गये रेलवे के दावों की संख्या कितनी है; और

(ख) उस वर्ष दावेदारों द्वारा कुल कितनी रकम का दावा किया गया ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)**: उत्तर रेलवे द्वारा ये आंकडे डिवीजनवार नहीं रखे जाते है बल्कि पृथक रूप से प्रत्येक दावे के दफ्तर में रखे जाते हैं। उपलब्ध सूचना का विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या १८**]

अधिक वर्षा से फसल की हानी

†**५१. डा० राम सुभग सिंह :** क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि **:**

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि इस वर्ष मई तथा जून मास में असाधारण रूप से भारी वर्षा होने के कारण आसाम तथा देश के अन्य कुछ राज्यों में चारे तथा खाद्यान्नों की बहुत हानि हुई है; और

(ख) यदी हाँ, तो विभिन्न राज्यों में कितने प्राक्कलित मूल्य की हानी हुई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** (क) और (ख). सूचना एकत्रित की जा रही है तथा लोक-सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

मलेरिया

†**५२. श्री जेठालाल जोशी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) १९५५–५६ में मलेरिया से कितनी मृत्युएं हुईं; और

(ख) इसी वर्ष क्या किसी अन्य महामारी से इससे अधिक मृत्युएं हुई हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर)** :(क) और (ख) जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

फेफना स्टेशन

५३. श्री रा० न० सिंह : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूर्वोत्तर रेलवे के बनारस-छपरा सैक्शन के फेफना स्टेशन पर जो कि शाहगंज तथा बनारस-छपरा लाइन का जंक्शन स्टेशन है प्लेटफार्म शेड बनवाने का निश्चय किया है ;

(ख) यदि नहीं, तो क्यों; और

(ग) वहां पर प्रतिदिन बिकने वाले टिकटों की तथा गाड़ी बदलने वाले यात्रियों की औसत संख्या क्या है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी नहीं ।

(ख) रेलवे की यात्री-सुविधा-समिति की सिफारिश पर, जहां जैसी जरूरत समझी गयी, बड़े स्टेशनों के प्लेटफार्म पर छत लगाने की व्यवस्था की जा रही है ।

(ग) इस स्टेशन पर रोजाना औसतन ५४० टिकट बिकते हैं और औसतन १०८ यात्री गाड़ी बदलते हैं ।

फेफना स्टेशन

५४. श्री रा० न० सिंह : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फेफना स्टेशन पर पीने के पानी की सुविधा प्राप्त करने के लिये जनता ने सम्बन्धित प्राधिकारियों के पास कोई प्रार्थना-पत्र भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह सुविधा प्रदान की गई है ?

रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी नहीं ।

(ख) फेफना स्टेशन पर पीने के पानी का समुचित प्रबन्ध है, इसका ब्यौरा इस प्रकार है:—

(१) पीने का पानी रखने के लिये २ मटके और ६ घड़े,

(२) यात्रियों को पानी पिलाने के लिये एक स्थायी और एक अस्थायी पानीवाला (गर्मियों के लिये),

(३) पानी सप्लाई करने के लिये स्टेशन के पास ५ फुट व्यास के दो कुंए ।

स्टेशन प्लेटफार्म पर एक गहरा नल-कूप बनाने की व्यवस्था भी की जा रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

उत्तर प्रदेशमें प्रशिक्षण केन्द्र

†**५५. श्रीमती कमलेन्दुमति शाह** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५५ में उत्तर प्रदेश के किन-किन स्थानों पर तथा कितने प्राविधिक प्रशिक्षण केन्द्र खुले हैं तथा १९५६ में कितने खोलने का विचार है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (१) १९५५ में उत्तर प्रदेश में कोई प्रशिक्षण केन्द्र नहीं खोला गया है; और

(२) १९५६ में खुलने वाले प्रशिक्षण केन्द्रों के स्थान तथा उनकी संख्या का अभी निर्णय नहीं हुआ है ।

राष्ट्रीय राजपथ

†**५६. श्रीमती कमलेन्दुमति शाह** : क्या **परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५५–५६ में हिमालय तिब्बत क्षेत्र में स्वीकृत राजपथ कार्य के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री (श्री अलगेशन)** : राष्ट्रीय राजपथ संख्या २२, जो भारत-तिब्बत सीमा तक जाता है, रामपुर से आगे लगभग १४ मील तक मोटर चलाने योग्य बना दिया गया है। रामपुर से चिनी तक अधिकांश रास्ता ६ फीट चौड़ा काटा गया है तथा सड़क को २४ फीट चौड़ा करने का कार्य, जिससे उस पर मोटर चलाई जा सके, कुछ भागों में प्रारंभ कर दिया गया है ।

चिनी-शिपकिला भाग के सम्बन्ध में, सर्वेक्षण कार्य तथा चिनी से खब गाँव तक रास्ते की २ फीट की कटाई की जा रही है ।

जसिडीह तथा गौडा के बीच डाक सेवा

†**५७. श्री भागवत झा आजाद** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार के संथाल परगना जिले में जसिडीह तथा गौड़ा के बीच सीधी डाक ले जाने के निर्णय को बीकर क्षेत्र के डाक तथा तार विभाग ने लागू कर दिया है ?

†**संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : जी नहीं, क्योंकि जसिडीह तथा गौड़ा के बीच कोई सीधी मोटर सेवा नहीं है । देवघर तथा गौडा के बीच डाक मोटर सेवा शीघ्र स्थापित होगी ।

उत्तर प्रदेश में डाक इन्स्पेक्टर

५८. श्री धुसिया : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय उत्तर प्रदेश में कुल कितने डाक इन्स्पेक्टर हैं;

(ख) क्या इन इन्स्पेक्टरों की और भरती तथा प्रशिक्षण रोक दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्यों तथा किस तिथि से;

(घ) प्रतीक्षा सूची में ऐसे कितने इन्सपेक्टर हैं; और

(ङ) कितने डाक इन्स्पेक्टर अनुसूचित जाति के हैं तथा प्रतीक्षा सूची में उनकी क्या संख्या है ?

संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) ८९ ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(ख) उत्तर प्रदेश सर्किल में डाकघरों तथा रेलवे डाक सेवा के इन्स्पैक्टरों की भरती रोक दी गई है। डाकखाने के इन्स्पैक्टरों के लिये केवल तार प्रशिक्षण के अतिरिक्त और कोई प्रशिक्षण निर्धारित नहीं है तथा वह नहीं रोका गया है।

(ग) स्वीकृत अभ्यर्थियों की अधिकता के कारण जून ५३ से।

(घ) १४।

(ङ) कोई नहीं।

बीज तथा खाद के गोदामों का निर्माण

†५९. **सरदार इकबाल सिंह :**
सरदार अकरपुरी :

क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान वर्ष में सरकार ने बीज तथा खाद गोदामों के निर्माण के लिये पेप्सू को कोई ऋण दिया है;

(ख) यदि हां, तो ऋण की क्या राशि थी; और

(ग) यह ऋण किन शर्तों पर दिया गया है ?

†**खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) और (ख). जी हां। बीज भांडार के निर्माण के लिये १७,५०० रुपये स्वीकृत हुये हैं। खाद गोदामों के लिये कोई अलग ऋण नहीं दिया गया है।

(ग) ऋण दस समान वार्षिक किश्तों में वापस होगा। पहली किश्त ऋण की स्वीकृति की प्रथम वर्षगांठ से प्रारंभ होगी।

---

† मूल अंग्रेजी में।

दैनिक संक्षेपिका

[मंगलवार, १७ जूलाई, १९५६]

		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		४१–६२
तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	
३५	कालका में हड़ताल	४१–४४
३६	गाड़ी का पटरी से उतरना	४४
४१	पशुओं के प्रति निर्दयता रोकने के बारे में समिति	४५–४७
४२	काठमांडू मे विमान दुर्घटना	४७–४८
४४	ग्लासगो की गोदी पर भारतीय नाविक की मृत्यु	४८
४५	सार्वजनिक टेलीफोनों का एक्सचेंज सेंटर्स में परिवर्तन	४८–४९
४६	भूमि का कटाव	४९–५०
४७	रेलवे यात्रियों से सुझाव	५०–५१
४८	फीरोजपुर तथा भटिण्डा जिलों की टेलीफोन लाइन	५१–५२
४९	बम्बई के लिये भूमिगत रेलवे	५२–५३
५०	खाद्य स्थिति	५३–५४
५२	वृक्षारोपण	५४–५५
५३	पश्चिमी बंगाल में चावल का मूल्य	५५–५७
५४	शिल्पकारों का प्रशिक्षण	५७
५५	आन्ध्र में जल सम्भरण योजनायें	५८–५९
५६	हुबली में हवाई अड्डा	५९
५७	बालीगंज में ऊपरी पुल का टूट जाना	५९–६१
६०	कृमिनाशक	६१
६१	टेलीप्रिन्टर के कारखाने	६२
प्रश्नों के लिखित उत्तर		६२–८०
तारांकित प्रश्न संख्या		
३६	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम	६२
३७	त्रावनकोर-कोचीन राज्य में किसानों का निष्कासन	६२–६३
३८	अभ्रक खान श्रम कल्याण निधि	६३
४०	कोसी में बाढ़	६३
४३	भारत-तिब्बत को मिलाने वाली सड़क	६३–६४
५१	रेलवे उपकरण समिति	६४
५८	रामागुंडम-निजामाबाद रेल कड़ी	६४

4—170 L. S. D.

प्रश्नों के लिखित उत्तर (क्रमशः) [दैनिक संक्षेपिका]

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
५९	त्रावनकोर-कोचीन राज्य में कार्मिक संघ	६४—६५
६२	गाड़ियों में सोने का स्थान	६५
६३	आयुर्वेद	६५
६४	सकरी-हसनपुर रेलवे	६५—६६
६५	कागज बनाना . .	६६
६६	बिहार की खाद्य स्थिति . . .	६६
६७	इंडोनेशिया में भारतीय पदाधिकारी .	६६—६७

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
२६	इन्जन का पटरी से उतरना	६७
२७	रेलवे स्टेशन पर आक्रमण	६७
२८	बिकरमपुर के निकट दुर्घटना	६७—६८
२९	भाण्डागार व्यवस्था निगम .	६८
३०	जापानी तरीके से धान की खेती . . .	६८—६९
३१	नये रेल मार्ग . . .	६९
३२	त्रावनकोर-कोचीन राज्य में काम दिलाऊ दफ्तर . .	६९—७०
३३	त्रावनकोर-कोचीन में श्रम विवाद .	७१
३४	क्लर्कों तथा डाकियों की भर्त्ती . . .	७२
३५	डी० टी० एस० बसों के शेड	७२
३६	दिल्ली की सड़कों के भारतीय नाम . .	७२
३७	डाक और तार घर . . .	७२—७३
३८	मैडिकल कालेज . . .	७३
३९	रेलवे स्टेशनो पर टेलीफोन . .	७३
४०	जड़ी-बूटियों के फार्म .	७३—७४
४१	राष्ट्रीय राजपथ . . .	७४
४२	अतिरिक्त रेल सेवायें . .	७४—७५
४३	रेलवे पास . .	७५
४४	त्रिपुरा में संचार . .	७५—७६
४५	नौवहन	७६
४६	पंजाब तथा पैप्सू में प्राविधिक प्रशिक्षण केन्द्र	७६
४७	विस्तार व कृषि प्रशिक्षण केन्द्र . .	७६
४८	नये टेलीफोन तथा सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालय	७७
४९	चालक कर्मचारियों को ओवरटाइम भत्ता	७७
५०	रेलवे के दावे .	७७
५१	अधिक वर्षा से फसल की हानि .	७७—७८

[दैनिक संक्षेपिका]

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
५२	मलेरिया	७८
५३	फेफना स्टेशन	७८
५४	फेफना स्टेशन	७८
५५	उत्तर प्रदेश में प्रशिक्षण केन्द्र	७९
५६	राष्ट्रीय राजपथ	७९
५७	जसिडीह तथा गौडा के बीच डाक सेवा	७९
५८	उत्तर प्रदेश में डाक इन्स्पैक्टर	७९-८०
५९	बीज तथा खाद के गोदामों का निर्माण	८०

भा० स० मु० ना०—वि३—१७०लोक सभा—२८-५-५७—१९०

मंगलवार
17 जुलाई 1956

लोक-सभा
वाद-विवाद

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

खंड ६, १९५६

(१६ जुलाई से ३ अगस्त, १९५६)

1st Lok Sabha

तेरहवां सत्र, १९५६

(खण्ड ६ में अंक १ से अंक १५ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

विषय सूची

भाग २—वाद-विवाद, खण्ड ६—१६ जुलाई से ३ अगस्त, १९५६

अंक १, सोमवार, १६ जुलाई, १९५६

स्थगन प्रस्ताव—

देश में बाढ़ें १

संसद् भवन के आसपास प्रदर्शनों पर प्रतिबन्ध . . . २

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . . २—४

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति . . . . . ४—५

राज्य पुनर्गठन विधेयक ५

संविधान (नवां संशोधन) विधेयक ५

बिहार और पश्चिम बंगाल (राज्य-क्षेत्रों का हस्तान्तरण) विधेयक . ५—६

प्रतिलिप्यधिकार विधेयक—

संयुक्त समिति के बारे में प्रस्ताव . . . . . . ७, ८—१९

सभा का कार्य . . . . ७—८

प्रतिभूति संविदा (विनियमन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . . . . . १९—३५

खण्ड २ से ३१ और १ . . . . . . ३५—४०

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ४०

हिन्दू अवयस्कता तथा संरक्षकता विधेयक—

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . . ४०—४४

दैनिक संक्षेपिका . . . . ४५—४७

अंक २, मंगलवार, १७ जुलाई, १९५६

सभा-पटल पर रखा गया पत्र ४९

राज्य पुनर्गठन के बारे में याचिका . . ४९

हिन्दू अवयस्कता तथा संरक्षकता विधेयक—

राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . . ४९—६७

खंडों पर विचार— .

खंड २ से १३, खंड १ और अधिनियमन सूत्र . . ६७—८१

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . ८१—८५

दैनिक संक्षेपिका . . ८६

अंक ३, बुधवार, १८ जुलाई, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . ८७

कार्य मंत्रणा समिति—

अड़तीसवां प्रतिवेदन . . . ८८

पृष्ठ

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—
पचपनवां प्रतिवेदन ८८
कारखाना (संशोधन) विधेयक के बारे में याचिका . . . ८८
भारत का रक्षित बैंक (संशोधन) विधेयक —
विचार करने का प्रस्ताव ८८–१२०
दैनिक संक्षेपिका १२१

अंक ४, शुक्रवार, २० जुलाई, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र १२३
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—
सरकार की वस्त्र सम्बन्धी नीति तथा हथकरघा उद्योग का भविष्य . १२३–२५
सभा का कार्य १२५
भारत का रक्षित बैंक (संशोधन) विधेयक—
खंड २ से १४ और १ . . . . १२५–३५
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव १३५–३८
औद्योगिक विवाद (संशोधन तथा विविध उपबन्ध) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव १३८–४३
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति— .
पचपनवां प्रतिवेदन १४३
आय-कर विभाग के कार्य-संचालन की जांच के बारे में प्रस्ताव . . १४३–६४
संयुक्त राष्ट्र संघ में अफ्रीकी तथा एशियाई राष्ट्रों के प्रतिनिधित्व .
के बारे में संकल्प १६४
दैनिक संक्षेपिका १६५–६६

अंक ५, शनिवार, २१ जुलाई, १९५६

स्थगन प्रस्ताव—
विशाखापटनम् बन्दरगाह और पत्तन श्रमिक संघ द्वारा हड़ताल की
पूर्व सूचना १६७–६८
सभा-पटल पर रखे गये पत्र १६८
कार्य-मंत्रणा समिति—
अड़तीसवां प्रतिवेदन १६८–६९
सभा का कार्य १६९
औद्योगिक विवाद (संशोधन तथा विविध उपबन्ध) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव १६९–२०५
दैनिक संक्षेपिका २०६–०७

अंक ६, मंगलवार, २४ जुलाई, १९५६ पृष्ठ

स्थगन प्रस्ताव—

विशाखापटनम बन्दरगाह और पत्तन श्रमिक संघ द्वारा हड़ताल की पूर्व सूचना . . . २०९–१०

सभा-पटल पर रखे गये पत्र २१०–११

कार्य मंत्रणा समिति—

अड़तीसवां प्रतिवेदन २११–१३

औद्योगिक विवाद (संशोधन तथा विविध उपबन्ध) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . . २१३–२३

खण्ड २ से ३३, खंड १ और अधिनियमन सूत्र २२३–७६

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . २७६

दैनिक संक्षेपिका . २७७

अंक ७, बुधवार, २५ जुलाई, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र २७९–८०

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति—

छप्पनवां प्रतिवेदन २८०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

कच्छ में भूकम्प २८०–८१

श्री चिं० द्वा० देशमुख द्वारा मंत्री पद से त्यागपत्र के बारे में वक्तव्य . २८१–८५

बिहार तथा पश्चिम बंगाल (राज्य क्षेत्रों का हस्तान्तरण) विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव २८५–३३२

दैनिक संक्षेपिका . . . ३३३

अंक ८, गुरुवार, २६ जुलाई, १९५६

प्राक्कलन समिति—

कार्यवाही का सारांश (१९५५-५६) खंड ५, अंग १ . . . ३३५

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आदेश (संशोधन) के विधेयक के बारे में याचिका ३३५

राज्य पुनर्गठन विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . ३३५–७८

दैनिक संक्षेपिका ३७९

अंक ६, शुक्रवार, २७ जुलाई, १६५६	**पृष्ठ**
स्थगन प्रस्ताव—	
संसद् भवन के पास प्रदर्शन करने पर प्रतिबन्ध	३८१
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	३८१–८२
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति—	
सोलहवां प्रतिवेदन	३८२
राज्य पुनर्गठन विधेयक तथा संविधान (नवां संशोधन)	
विधेयक के बारे में याचिकायें	३८२–८३
सभा का कार्य	३८३
राज्य पुनर्गठन विधेयक	
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . .	३८३, ३८३ –४००
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—	
छप्पनवां प्रतिवेदन	४००–०३
साधु तथा सन्यासी (पंजीयन तथा अनुज्ञापन) विधेयक . . .	४०४
भारतीय बालक दत्तक ग्रहण विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	४०४–०८
भूतपूर्व सैनिक कर्मचारी मुकदमेबाजी विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव . .	४०८–१०, ४११–१२
संसद् भवन के पास प्रदर्शन	४१०–११
दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा ४३५ का संशोधन)—	
विचार करने का प्रस्ताव	४१२–१३
खण्ड २, ३ और १	४१३–१४
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . .	४१४
भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा ४६७ का संशोधन)—	
विचार करने का प्रस्ताव	४१५
दैनिक संक्षेपिका	४१८-२०
अंक १०, शनिवार, २८ जुलाई, १६५६	
लोक लेखा समिति—	
सत्रहवां प्रतिवेदन	४२१
सभा का कार्य	४२१
सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . .	४२२
राज्य पुनर्गठन विधेयक—	
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . .	४२२–५७
दैनिक संक्षेपिका	४५८

	पृष्ठ
अंक ११, सोमवार, ३० जुलाई, १९५६	
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	४५९
अनुपस्थिति की अनुमति	४५९–६०
समिति के लिये निर्वाचन—	
अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था	४६०
राज्य वित्त निगम (संशोधन) विधेयक	४६०
राज्य पुनर्गठन विधेयक—	
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . .	४६०–५०२
दैनिक संक्षेपिका . . .	५०३
अंक १२, मंगलवार, ३१ जुलाई, १९५६	
सभा-पटल पर रखे गये पत्र . .	५०५
राज्य-सभा से सन्देश	५०५
राष्ट्र-मंडल प्रधान मंत्री सम्मेलन तथा अपनी विदेश यात्रा के संबंध में प्रधान मंत्री का वक्तव्य . . .	५०६–०९
नागा पहाड़ियों की स्थिति के बारे में वक्तव्य . . .	५०९–१०
राज्य पुनर्गठन विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	५११–४८
खंड २ से १५ . . .	५४८–५२
दैनिक संक्षेपिका	५५३
अंक १३, बुधवार, १ अगस्त, १९५६	
सभा पटल पर रखे गये पत्र	५५५–५६
राज्य-सभा से सन्देश	५५६–५७
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—	
सत्तावनवां प्रतिवेदन	५५७
प्राक्कलन समिति—	
कार्यवाही का सारांश (१९५५-५६) खंड ५ अंक २ और ३ . .	५५७
राज्य पुनर्गठन विधेयक	५५७–६००
खंड २ से १५	५५७–६००
दैनिक संक्षेपिका	६०१–०२

अंक १४, गुरुवार, २ अगस्त, १९५६—क्रमशः	**पृष्ठ**
राज्य पुनर्गठन विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में	६०३–४५
खंड २ से १५	६०३–३५
खंड १६ से ४९ और अनुसूची १ से ३	६३५–४५
दैनिक संक्षेपिका	६४६
अंक १५, शुक्रवार, ३ अगस्त, १९५६	
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	६४७
सभा का कार्य	६४८
राज्य पुनर्गठन विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में . .	६४८–७४
खंड १६ से ४९	६४८–७४
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—सत्तावनवां प्रतिवेदन	६७५
संयुक्त राष्ट्र संघ में अफ्रीकी तथा एशियाई राष्ट्रों को प्रतिनिधित्व देन में संबंधी संकल्प	६७५–९२
चल चित्रों के निर्माण तथा प्रदर्शन पर नियंत्रण एवं विनियमन के बारे में संकल्प	६९२
दैनिक संक्षेपिका	६९३
अनुक्रमणिका	(१–४३)

भा०स०मु०ना–वि० ३–२०५ लोक-सभा—१२-२-५८–१८०

लोक-सभा वाद-विवाद

(भाग २–प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

लोक-सभा

मंगलवार, १७ जुलाई, १९५६

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष-महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

१२ मध्याह्न

सभा पटल पर रखा गया पत्र

नवें विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन में गये भारतीय प्रतिनिधि मंडल का प्रतिवेदन

†**स्वास्थ्य उपमंत्री (श्रीमति चन्द्रशेखर)**: में जेनेवा में मई १९५५ में हुए नवें विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन में गये भारतीय प्रतिनिधि मंडल के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखती हूं।

(पुस्तकालय में रख दी गई, देखिए संख्या एस—२४०।५६)

राज्य पुनर्गठन विधेयक के बारे में याचिका

†**श्री शिवमूर्ति स्वामी** (कुष्टगी): मैं राज्य पुनर्गठन विधेयक, १९५६, के सम्बन्ध में ६६६८ व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका उपस्थापित करता हूं।

हिन्दू अवयस्कता तथा संरक्षकता विधेयक–समाप्त

†**अध्यक्ष महोदय**: अब सभा राज्य-सभा द्वारा पारित हिन्दु अवयस्कता तथा संरक्षकता विधेयक पर आगे विचार करेगी। दसवें सत्र में इसके लिये तीन घंटे नियुक्त किये गये थे, किन्तु क्योंकि यह विधेयक उस सत्र में नहीं लिया जा सका था इसलिये अब फिर कार्यमंत्रणा समिति ने इसके लिये ३ घंटे निर्धारित किये हैं। मेरे विचार में सब इससे सहमत होंगे।

†**श्री नि० चं० चटर्जी** (हुगली): इस विधेयक में कुछ ऐसे खंड हैं जिनकी विस्तृत चर्चा होनी चाहिये। अतः हमें इसके लिये कुछ और समय बढ़ा देना चाहिये।

†**विधि-कार्य मंत्री (श्री पाटस्कर)**: मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

†मूल अंग्रेजी में।

1—192 L. S.

†**अध्यक्ष महोदय :** हमारे पास ३ घंटे पहले ही हैं अब हम १ घंटा और बढ़ा देंगे।

†**श्रीमति रेणु चक्रवर्ती** (बसिरहाट) : इसके लिये कम से कम ४-१/२ घंटे चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय :** मेरा विचार है कि सभा इससे सहमत होगी कि इस विधेयक का समय ३ घंटे से बढ़ा कर ४-१/२ घंटे कर दिया जाये। हम १-१/२ या २ घंटे सामान्य चर्चा करेंगे और २ घंटे खण्डशः अगर कोई समय शेष बचा तो वह तृतिय वाचन में लग जायेगा।

†**श्री नि० चं० चटर्जी:** खंड ६ में एक बड़ी कमी रह गई है। उसमें यह कहा गया है कि अविवाहित अवयस्क लड़के या लड़की के माता पिता उसके प्राकृतिक संरक्षक होंगे और विवाहित लड़की का संरक्षक उसका पति होगा। किन्तु विधवा लड़की का कौन संरक्षक होगा इसका उसमें कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया है। इसमें विधवा लड़कियों के लिये भी कुछ न कुछ उपबन्ध किया जाना चाहिये।

मुझे खंड ११ पर भी बड़ा खेद है। उसमें यह कहा गया है कि माता पिता के अतिरिक्त और कोई भी प्राकृतिक संरक्षक नहीं होगा। किन्तु 'हिन्दु विधि तथा प्रथा' में पति को ही नाबालिग पत्नी का वैध संरक्षक माना गया है। और पति की मृत्यु के बाद पति के सपिंडकों को नाबालिग विधवा पत्नी का संरक्षक माना गया है। यदि यह विधेयक इस रूप में पास हो गया तो कई अभागी बालिका विधवाओं का कोई भी संरक्षक नहीं रह जायेगा। और अपहृत तथा अवयस्क अनाथ विधवा लड़कियों के बारे में यह बहुत बुरा होगा। क्योंकि फिर उन्हें भगाने वालों को यह कहने की छूट मिल जायेगी कि उनका कोई भी वैध संरक्षक नहीं था। सरकार को इस त्रुटि की ओर विशेष ध्यान देना चाहिये।

श्रीमति रेणुचक्रवर्ती नें खंड ६ के बारे में एक संशोधन रखा है कि उसमें उल्लिखित अवयस्क बच्चों की आयु ५ वर्ष से बढ़ा कर १० वर्ष कर दी जाये, हमें इस पर भी ध्यानपूर्वक विचार करना चाहियें।

मैं माननीय मंत्री से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जब आप व्यवहारिक संरक्षणों को समाप्त कर रहे हैं तो क्या आप प्राकृतिक संरक्षकों की सूचि में कुछ वृद्धि नहीं कर सकते हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय :** किन्तु यदि किसी संयुक्त परिवार में केवल पिता ही जीवित हो और उसका पुत्र अपनें पीछे अपनीं विधवा स्त्री और बच्चों को छोड़ जाय तो फिर क्या होगा ?

†**श्री नि० चं० चटर्जी :** यह विधेयक संयुक्त परिवार पर लागू नहीं होता है।

†**श्री पाटस्कर :** हम सभी प्रकार की त्रुटियों को दूर करनें के लिये तैयार हैं। इस विधेयक के खंड ११ में उनकी संरक्षकता के बारे में कुछ नहीं कहा गया है इसमें केवल यह कहा गया है कि कोई भी व्यवहारिक संरक्षक केवल व्यवहारिक संरक्षक होनें के नाते अपने आप ही किसी अवयस्क की सम्पत्ति को बेच नहीं सकेगा।

†**अध्यक्ष महोदय :** व्यक्तिगत संरक्षक के बारे में क्या होगा ? उनका यह कहना है कि अगर कोई अपहरण का मामला हो जाय तो फिर कौन व्यक्तिगत संरक्षक होगा ?

†**श्री पाटस्कर :** मान लीजिये कि उसका कोई भी प्राकृतिक संरक्षक नहीं है और न ही कोई अदालती संरक्षक है, तब भी क्या किसी व्यक्ति को किसी नाबालिक की देखरेख करने अथवा उसका संरक्षक बनने से रोका जा सकता है ? मेरे विचार में इस विधि से ऐसी कोई अड़चन नहीं होनी चाहिये।

†**श्री नि० चं० चटर्जी :** माननीय मंत्री महोदय को खंड ११ से उत्पन्न होने वाली सभी कठिनाईयों का ध्यान रखना चाहिये। वर्तमान विधि में इस प्रकार है कि किसी नाबालिग का संरक्षक उसके हित में उसकी जायदाद आदि को बेच सकता है। मान लीजिये किसी बच्चे के माता पिता नहीं

---

†मूल अंग्रेज़ी में।

रहते हैं और उसके पितामह को उसका संरक्षक बनना पड़ता है। तब उसके पास उस बच्चे की पढ़ाई अथवा विवाह आदि के लिये उसकी सम्पत्ति बेचने का अधिकार रहना बड़ा आवश्यक है। इस प्रकार जो कोई भी ऐसे बच्चों का कर्ता हो उसको आवश्यकता पड़ने पर सम्पत्ति बेचनें का अधिकार होना चाहिये। हां, यदि वह किसी अनावश्यक कार्य के लिये ऐसा करता है तो नाबालिग के बालिग़ होने पर इस प्रकार के सौदे को शून्य किया जा सकता है ।

खंड ८ के उपखंड (२) में कहा गया है कि प्राकृतिक संरक्षक भी न्यायालय की स्वीकृत के बिना किसी नाबालिग की अचल सम्पत्ति को बेच अथवा रहन आदि नही रख सकेगा। मैं इस सभा से अपील करता हूं कि वह माता पिता को व्यर्थ के लिये न्यायालयों की शरण लेने के लिये बाध्य न करें। क्योंकि जब आप माता पिता के अतिरिक्त किसी भी अन्य व्यक्ति को प्राकृतिक संरक्षक बनाने के लिये तैयार नहीं हैं तो फिर केवल माता पिता को न्यायालय में भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। हिन्दु विधि में प्राकृतिक संरक्षको को बच्चों के हित के लिये सम्पत्ति आदि बेचने का पूर्ण अधिकार है बल्कि उसमें व्यवहारिक संरक्षको को भी यह अधिकार प्राप्त है। वास्तव में माता पिता से बढ़कर बच्चों का कोई और हितैषी नहीं हो सकता है। ऐसी अवस्था में उनका न्यायालय द्वारा स्वीकृति लेना केवल एक उपचार मात्र ही होगा। किन्तु यह बडी मँहगी प्रक्रिया होगी। अतः मै फिर अनुरोध करता हूं कि माता पिता को इसके लिये व्यर्थ ही न्यायालयों में न घसीटा जाये। हो सकता है कुछ मामलों में किसी संरक्षक नें किसी नाबालिग की सम्पत्ति को यू ही उड़ा दिया हो, मगर माता पिता कभी ऐसा नहीं कर सकते, यह बात केवल व्यवहारिक संरक्षको के पक्ष में ही लागू हो सकती है। और आप जब उन्हें स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं तो खंड ८ की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। हां, यदि आप प्राकृतिक संरक्षको की श्रेणी में कुछ और लोगों को भी रखना चाहते हो तब दूसरी बात है। सभा को इस बात पर बड़े गौर से विचार करना चाहिये ताकि व्यर्थ में ही मुकद्दमेबाज़ी न बढ़ने पाये।

मेरा यह निवेदन है कि आप प्रत्येक माता पिता को विवाह के लिये अथवा अवयस्क की शिक्षा के प्रयोजन से भी न्यायालय में धन के प्रयोजन से जाना अनिवार्य न बनायें। यह उनकी इच्छा पर छोड़ देना चाहिये।

†**श्रीमति रेणु चक्रवर्ती :** यह विधेयक अत्यन्त महत्वपूर्ण है क्योंकि हमें न केवल अवयस्क के भौतिक हितों की सुरक्षा को देखना है बल्कि यह सुनिश्चित भी करना है कि हम उसे स्नेह, विश्वास तथा कल्याण का एक ऐसा वातावरण प्रदान करें जिसमें वह इस देश का एक लाभदायक नागरिक बन सके।

अच्छा होता यदि पुरःस्थापित किए जाने वाला। दत्तक ग्रहण विधेयक भी हमारे समक्ष होता क्योंकि अब तक केवल लड़के को ही गोद लिया जा सकता है और हिन्दु विधि अनुसार किसी लड़की को गोद नहीं लिया जा सकता है, उस स्थिति में हम किसी लड़की के दत्तक ग्रहण के मामले को और उसके संरक्षण संबंधी प्रश्न को भी इसमें सम्मिलित कर सकते थे।

संयुक्त समिति द्वारा विधेयक पर विचार करने से विधेयक में कुछ अच्छे उपबन्ध जोड़ दिए गए हैं और मैं स्वयं भी यथार्थ में संरक्षण को समाप्त करनें के पक्ष में हूं। उन अवयस्कों के संबंध में कुछ बहुत ही संगत प्रश्न उठाए गय हैं जिनकी न माता है न पिता ही है। मुझे प्रसन्नता है कि संयुक्त समिति नें तथा राज्य-सभा नें खंड ९ में माता को भी संरक्षक नियुक्त करने का तथा सम्पत्ति का अधिकार दिया है ।

न्यायालय संरक्षण के संबंध में मेरा मत यह है कि अधिकतर मामलों में लोग न्यायालय में जाना पसन्द न करेंगे। चाहे स्वाभाविक संरक्षको की सूचि का विस्तार किया जाए या न किया जाए प्राकृत स्नेह बच्चे की देखभाल करने के लिय संबंधियों को विवश करता है चाहे वह नाना हो, दादा हो या चाचा हो, इस लिय मै यह समझती हूं कि स्वभाविक संरक्षको की सूचि बढ़ानें से इन दुर्भाग्यपूर्ण मामलों में भौतिक रूप से अधिक सुधार न होगा।

---

†मूल अंग्रेज़ी में।

[श्रीमती रेणु चक्रवर्ती]

विधेयक में मैं जिस बात में परिवर्तन चाहती हूं उस का संबंध अवयस्क बच्चे के संरक्षण के प्रश्न से है। हिन्दु विवाह विधेयक के समय भी मैंनें इस बात पर ज़ोर दिया था। अवयस्क बच्चा माता के संरक्षण में ही रहना चाहिये। विधेयक में कहा गया है कि ५ वर्ष की आयु तक अवयस्क माता के संरक्षण में रहेगा। मेरा यह मत है कि बालिग होने तक उसे माता के संरक्षण में रहना चाहिये। इस संबंध में यदि सदन की यह राय हो कि सोलह या सत्रह वर्ष के लड़के पर माता की अपेक्षा पिता अच्छी तरह नियंत्रण रख सकता है तो मैं श्रीमती जयश्री के इस संशोधन को स्वीकार करनें के लिये तैयार हूं कि साधारणतया जब तक अवयस्क की आयु १४ वर्ष की न हो जाय उसे माता के संरक्षण में ही रखा जायेगा। मुझे ऐसे मामले मालूम हैं जिनमें न्यायालय द्वा ा बच्चे को पिता के हवाले किया गया था और वह एक बुरा मनुष्य होने के कारण बच्चे का पालन ोषण भली पूर्वक और उचित प्रकार से न कर सका। इसलिय मैं यह अनुभव करती हूं कि खंड ६ (क) को बदल दिया जाना चाहिये।

फिर विवाहिता लड़की का भी मामला है जिसका स्वाभाविक संरक्षक विधयक के अनुसार उसका पति है। दोनों सदनों में बहुत से भाषणों में इस बात का संकेत किया गया है कि अधिकतर मामलों में जब लड़की की शादी की जाती है तो उसकी आयु लगभग १५ वर्ष होती है, मैं यह अनुभव करती हूं कि विवाहिता लड़की के मामले में पति तथा पिता दोनों को मिल कर तब तक अवयस्क विवाहिता लड़की की सम्पत्ति की देखभाल करनी चाहिये जब तक कि वह लड़की विशिष्ट रूप से स्वयं यह इच्छा न प्रकट करे कि उसके बालिग होने तक पिता ही उसकी सम्पत्ति की देखभाल करता रहे।

खंड ६ में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति हिन्दु न रहने पर इस विधेयक के उपबन्धों के अधीन अवयस्क का स्वाभाविक संरक्षक न रहेगा। मुझे यह समझ में नही आता कि किसी व्यक्ति के धर्म परिवर्तन के कारण अपने बच्चे के प्रति उसके दृष्टिकोण या स्नेह में परिवर्तन कैसे आ जायेगा। पिता तथा संतान में जो संबंध है वह धर्म परिवर्तन के कारण कैसे बदल सकता है। जब हम धर्मनिर-पेक्ष विचारधारा को अधिकाधिक अपनाने जा रहे हैं तो इस खंड को भी विधेयक में नहीं रहने देना चाहिये। इसी प्रकार इस विधेयक में निर्धारित कर्त्तव्यों में से एक कर्त्तव्य यह है कि संरक्षक अवयस्क का पालन पोषण अवश्य ही हिन्दु की भांति करे। परन्तु इसके साथ ही हमें यह भी जोड़ देना चाहिये कि उसका पालन पोषण शारीरिक तथा नैतिक रूप से भी स्वस्थ्य हो।

खंड ८ के अनुसार स्वाभाविक संरक्षक न्यायालय की पूर्व मंजूरी के बिना अवयस्क की अचल सम्पत्ति को न रहन रख सकता है न हस्तांतरित कर सकता है और न ही बेच सकता है। कई सदस्यों ने यह मांग की है कि चल तथा अचल दोनों प्रकार की सम्पत्तियों को इस विधेयक के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत लाना चाहिये। श्री चटर्जी का भाषण सुनने के पश्चात मेरा यह विचार है कि चल सम्पत्ति को विधेयक में नहीं रखना चाहिय । स्वाभाविक संरक्षकों को सीमित कर दिया गया है। बच्चे की शिक्षा के लिये या लड़की की शादी के लिये माता अथवा पिता को न्यायालय में जाना होगा और अनुमति प्राप्त करनी होगी, ऐसे पिता भी हो सकते हैं जो बच्चों के धन को दोनों हाथों से लुटा दें। परन्तु साधारणतया ऐसा नहीं होता है और यह आवश्यक नहीं होना चाहिये कि कोई पुरूष अथवा स्त्री न्यायालय की पूर्व अनुमति प्राप्त करे, शर्त यह है कि अचल सम्पत्ति का निबटारा न केवल विवर्ज्य होना चाहिये बल्कि यदि वह उपखंड (१) का उलंघन करे तो उसे शून्य होना चाहिये। बच्चे के पालन पोषण या लड़की के विवाह जैसे युक्तियुक्त मामलों में माता पिता को खर्च करने योग्य होना चाहिये।

ऐसा भी हो सकता है कि एक पिता के अपनी पहली पत्नी से अवयस्क बच्चे हों और वह फिर विवाह कर ले। प्रायः सौतेली माता बच्चे के प्रति न्याय नहीं कर पाती है ऐसे मामलों में नाना,नानी अच्छे संरक्षक होंगे। इसलिये ऐसे मामले में न्यायालय यह निर्णय कर सकता है कि यदि आवश्यक हो तो पिता के जीवित होते हुए भी नाना, नानी या मामा स्वाभाविक संरक्षक बनाये जाएं।

†**श्री पाटस्कर :** ऐसे मामलों में संरक्षक तथा प्रतिपाल्य अधिनियम के अधीन नाना आसानी से आवेदन पत्र दे कर स्वयं संरक्षक बन सकता है। इसके लिये खंड है। यह केवल स्वाभाविक संरक्षकों के संबंध में है और किसी भी व्यक्ति को अवयस्को सर्वोत्तम हितों में नियुक्त किया जा सकता है।

†**श्रीमति रेणु चक्रवर्ती :** यदि ऐसा है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

मेरा यह भी सुझाव है कि १० वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को पिता द्वारा फिर विवाह करने पर अपना संरक्षक चुनने का अधिकार होना चाहिये। मुझे आशा है कि मेरे सुझावों को ध्यान में रखते हुए इस अत्यन्त महत्वपूर्ण विधेयक पर लोक-सभा विचार करेगी।

†**श्री राघवाचारी** (पेनुकोंडा) : वर्तमान विधेयक में यथार्थ संरक्षक और उन सभी व्यक्तियों को जो स्वाभाविक संरक्षक न होने की स्थिति में अवयस्क के कल्याण के हितैषी हों, उन्हें नहीं लिया गया है। उस सूचि में वर्तमान विधि के आधीन न केवल पिता तथा माता बल्कि कुछ अन्य व्यक्ति भी थे।

†**अध्यक्ष महोदय :** इस में केवल यह कहा गया है कि यथार्थ संरक्षक सम्पत्ति को बेच नहीं सकेगा या संव्यवहार नहीं कर सकेगा। यथार्थ सरंक्षक हो सकता है।

†**श्री राघवाचारी :** अन्तर यह है कि वर्तमान विधि के अधीन यथार्थ संरक्षक संपत्ति का संव्यवहार कर सकता था, अब विधेयक में यह कहा गया है कि यथार्थ संरक्षक ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। बल्कि अब इस विधेयक के अधीन स्वाभाविक संरक्षक को भी न्यायालय से अनुमति प्राप्त करनी होगी। माता तथा पिता को भी केवल न्यायालय द्वारा ही कार्यवाही करनी होगी। मुझे विश्वास है कि प्रत्येक छोटी से छोटी कार्यवाही के लिये स्वाभाविक संरक्षकों को न्यायालय से अनुमति प्राप्त करने पर ज़ोर देने से न केवल अवयस्क के हितों को असुविधा होगी बल्कि उसकी सम्पत्ति की भी हानि होगी।

हम जानते हैं कि न्यायालय में जाने के लिये काफ़ी धन की आवश्यकता होती है। सम्पत्ति कई विभिन्न न्यायालयों में हो सकती है और इस स्थिति में तत्संबंधी न्यायालयों में प्रार्थना पत्र देना अपेक्षित होगा।

†**श्री बर्मन** (उत्तर बंगाल–रक्षित–अनुसूचित जातियां) : श्रीमान्, एक औचित्य प्रश्न है, श्री राघवाचारी संयुक्त समिति के सदस्य थे, लोक-सभा में प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदन में उनकी कोई विमति टिप्पणी नहीं है, परन्तु अब वह विधेयक का विरोध कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में हम प्रवर समिति के सदस्यों के दृष्टिकोणों को किस रूप में लेंगे ?

†**श्री राघवाचारी :** ये एसे विषय हैं जो सामान्य विचार तथा संशोधन के विषय से उत्पन्न होते हैं। मैंनें कुछ संशोधन भी प्रस्तुत किये हैं। प्रवर समिति का सदस्य उस समिति द्वारा प्रस्तुत किसी विषय पर अपने विचार प्रकट कर सकता है।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रवर समिति को विधेयक सौंपनें का उद्देश्य यह होता है कि उसके सदस्यों द्वारा सोच विचार करनें के पश्चात राय दी जाय, या तो वे प्रतिवेदन से सहमत होते हैं या उससे असहमत होते हैं। इस लिये यह उचित है कि जिस सदस्य के विचार समिति के बहुमत से पृथक हों वह विमति टिप्पणी संलग्न करे। माननीय सदस्य के संबंध में मुझे मालूम नहीं था कि वे संयुक्त समिति के सदस्य थे। परन्तु मैं उनसे तथा संयुक्त समिति के सभी सदस्यों से यह आशा करता हूं कि वे प्रतिवेदन पर कायम रहें। मैं यह नहीं कहता कि वे अपनें विचार प्रकट नहीं कर सकते हैं। वे यह कह सकते हैं कि पहले उन्हें इन बातों का ध्यान नहीं रहा था इसलिये अब अपने विचार प्रकट करना चाहते हैं। तब कोई आपत्ति न होगी।

---

†मूल अंग्रेज़ी में।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** (गुड़गांव) : जहां तक इस विधेयक का संबंध है राज्य-सभा द्वारा यह प्रस्तुत हो चुका है । इस लिये प्रवर समिति या संयुक्त समिति का प्रश्न नहीं उत्पन्न होता है। राज्य-सभा से विधेयक प्रस्तुत होने की स्थिति में हम जो चाहें उस पर कह सकते हैं। प्रवर समिति या संयुक्त समिति के मामले में भी प्रत्येक बात पर विमति टिप्पणी संलग्न नहीं की जाती है । बहुत से मामलों में प्रश्न का निर्णय मतदान द्वारा होता है।

†**अध्यक्ष महोदय** : संयुक्त समिति का ऐसा कोई भी सदस्य जिसने विमति टिप्पणी प्रस्तुत न की हो या विधेयक के महत्वपूर्ण उपबन्धों से असहमति प्रकट न की हो वह संयुक्त समिति के प्रतिवेदन का विरोध नहीं कर सकता है । संयुक्त समिति के सदस्य होने के नाते उसे विशेष समझा जाता है और उस से समिति में अपने विचार प्रकट करने की आशा की जाती है । क्योंकि समस्त सदन उस विषय पर विस्तृत रूप में विचार नहीं कर सकता इसलिये कुछ चुने गये सदस्यों को उपबंधों पर विस्तृत विचार करने का काम सौंपा जाता है । यदि प्रवर समिति या संयुक्त समिति का कोई सदस्य विमति टिप्पणी संलग्न किये बिना प्रतिवेदन का विरोध करता है तो उस स्थिति में ये समितियां निरर्थक हैं ।

जहां तक इस मामले का संबंध है यह सच है कि राज्य-सभा में यह विधेयक पुरःस्थापित हुआ था और संयुक्त समिति द्वारा उस पर विचार किया गया था । ऐसा कोई नियम नहीं है कि जिससे दोनो सदनों में एक ही समय में कोई विधेयक पुरःस्थापित किया जा सके । संयुक्त समिति का प्रत्येक सदस्य संयुक्त समिति के प्रतिवेदन का पक्षकार होता है । इस सदन ने माननीय सदस्य का नाम संयुक्त समिति में सम्मिलित करनें की सिफारिश कि थी। वह संयुक्त समिति ने इस सभा के प्रतिनिधि हैं और इसलिये उन्हें यह बताना होगा कि वह संयुक्त समिति के प्रतिवेदन का क्यों विरोध करते हैं और वह विमति टिप्पणी क्यों संलग्न नहीं कर सकते थे ।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी** (चित्तौड़) : मैं संयुक्त समिति के सदस्यों द्वारा वादविवाद में भाग लेने का विरोध नहीं करता हूं परन्तु उन्हें संयुक्त समिति में अपनें विचार प्रकट करनें का अवसर मिलता है और यहां वाद-विवाद प्रारम्भ होने पर वे वही विचार यहां पुनः दोहराते हैं, इसलिये मेरा यह सुझाव है कि अन्य सदस्यों को अपने विचार प्रकट करनें का पर्याप्त अवसर देने के लिये कम से कम संयुक्त समिति के सदस्यों को उन के बाद बोलने का अवसर दिया जाना चाहिये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं इस नियम का पालन करता रहा हूं और अब भी करता हूं और जो कोई भी व्यक्ति पीठासीन हो मेरी मंत्रणा यही है कि वह भी इसी नियम का पालन करे ।

†**श्री अ० म० थामस** (एरणाकुलम): जैसा कि आपने कहा है कि यह औचित्य का प्रश्न है परन्तु हो सकता है कि कई कारणों से सदस्य ने विमति टिप्पणी न दी हो । क्या आपका विनिर्णय विधेयक पर संशोधन प्रस्तुत करने अथवा उसके उपबंधों के विरूद्ध बोलने पर भी लागू होता है ?

†**अध्यक्ष महोदय** इस विषय के संबंध में मेरे विचार दो वर्गों में बांटे जा सकते हैं । एक तो विधेयक के सिद्धांतों और खंडो के संबंध में है, जो अधिक महत्वपूर्ण है । दूसरा संशोधनों के संबंध में। महत्वपूर्ण विषय के सम्बन्ध में यदि संयुक्त समिति के किसी सदस्य का मत वहां स्वीकृत नहीं हुआ और वह अपनी विमति टिप्पणी नहीं दे सका तो वह सभा को अपना मत बता सकता है । और यदि वह चाहे तो अपना संशोधन प्रस्तुत कर सकता है ।

†**श्री राघवाचारी** : मैं यह कह रहा था कि यदि अधिकारों के प्रयोग में इतने अधिक प्रतिबन्ध लगायें जायेंगें तो विधेयक का लक्ष्य पूरा नहीं होगा । मैंने एक दो विषयों पर विमति टिप्पणी भी दिया है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में ।

जहां तक संरक्षकता का सम्बन्ध है वे चाहते हैं कि एक अविवाहित लड़की के स्वाभाविक संरक्षक उसके माता पिता और विवाहिता होने के उपरांत उसके पति होंगे। ऐसा करनें के उपरांत विधवा होने पर लड़की संरक्षकविहीन रह जायेगी इसलिये मैंने सुझाव दिया है कि अविवाहित लड़की और विधवा लड़की दोनों के ही संरक्षक उसके माता पिता होने चाहिये क्योंकि आजकल स्थिति यह है कि कोई भी व्यक्ति न्यायालय से कह कर अपने को उसका संरक्षक नियुक्त कर सकता है।

†**श्री पाटस्कर :** तात्पर्य यह है कि मान लीजिये कोई ऐसा बालक है जिसके माता पिता नहीं हैं। कोई भी व्यक्ति उस अवयस्क बालक अथवा उसकी सम्पत्ति का संरक्षक हो सकता है। खंड ११ से उस अधिकार से वंचित किए जाने को रोकने का प्रयत्न किया गया है।

†**श्री राघवाचारी:** मैं माननीय मंत्री से यह निवेदन करूंगा कि वह खंड ८ (१) और खंड ११ का सामुहिक प्रभाव पर विचार करने की कृपा करें। खंड ८ (१) के अनुसार चल तथा अचल दोनों प्रकार की सम्पत्तियां आ जाती हैं, किन्तु खंड ११ में कहा गया हैं कि स्वाभाविक संरक्षकों के अधिकार भी सीमित हैं। मेरे कथन का तात्पर्य यह है कि अवयस्क विधवा लड़की का संरक्षक तत्काल नियुक्त करना चाहिये।

मेरा दूसरा संशोधन खंड ६ के परन्तुक १ से सम्बन्ध रखता है। इसमें यह व्यवस्था है कि यदि पिता हिन्दु धर्म का त्याग करता है तो वह संरक्षक नहीं रह सकता है लेकिन माता भी अपना धर्म परिवर्तन कर सकती है अतः वहां he "ही" शब्द के पश्चात she "शी" शब्द रखा जाये।

दूसरी बात यह है कि मैं चाहता हूं कि खंड ८ (४) के अन्त में 'or his estate' अथवा 'उसकी सम्पदा' शब्द रखे जायें क्योंकि यह आवश्यक नहीं है कि अवयस्क के लाभ से उसकी सम्पदा का भी लाभ हो। 'प्रत्यक्ष लाभ' शब्द बहुत लचीले हैं और उनको एक सीमा से अधिक बढ़ाया या घटाया जा सकता है। और उसके अन्तर्गत सभी चीजें लाई जा सकतीं हैं। दूसरे इस सम्बन्ध में सारी कार्यवाही एक पक्षीय होगी और अवयस्क बालक इसका विरोध नहीं कर सकता है। अतः हम अवयस्क बालक को इन संभावित खतरों से बचाना चाहते हैं।

†**श्री बोगावत** (अहमदनगर दक्षिण) : ऐसा ज्ञात होता है कि यह विधेयक बिना पूर्ण विचार किये हुए ही प्रस्तुत किया गया है। वस्तुतः इस विधेयक के उपबन्ध हिन्दु उत्तराधिकार विधेयक के अनुसार होने चाहिये थें। निसंदेह वर्तमान विधि में परिवर्तन की आवश्यकता है। इस विधेयक में यह एक अजीब बात है कि अवयस्क बालक के माता पिता भी आवश्यकता के समय सम्पत्ति का निबटारा नहीं कर सकते हैं। मेरे विचार से खंड ८ अनुचित है अतः उसे हठा दिया जाना चाहिये और आवश्यकता होने पर किसी किसी को न्यायालय जाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिये। अथवा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अधीन जिन लोगों को सम्पत्ति मिलेगी उनके मार्ग मे बहुत सी कठिनाइयां पैदा हो जायेंगी।

दूसरी बात यह है कि स्वाभाविक संरक्षको की सूचि विस्तृत की जाये। उनमें माता पिता के अलावा बड़ा भाई, दादा या दादी को भी स्थान मिलना चाहिये। वे सब अवयस्क बालक के हितों की रक्षा करेंगे।

तीसरे अवयस्क विधवाओं के सम्बन्ध में कोई व्यवस्था नहीं की गई है। मेरे विचार से उसके स्वाभाविक संरक्षक उसके माता पिता को बनना चाहिये क्योंकि वे ही अपनी पुत्री का हार्दिक हित चाह सकते हैं। इस सम्बन्ध में खंड में एक संशोधन होना चाहिये।

अब मैं खंड ११ को लेता हूं। इसमें यह उल्लेख है कि कोई भी व्यक्ति केवल यथार्थ में संरक्षक होने के नाते अवयस्क की सम्पत्ति को बेच इत्यादि नहीं सकता है। यह ठीक नहीं है क्योंकि यथार्थ संरक्षक को अवयस्क बालक के हितों का पूरा विचार होता है। इस उपबन्ध से अल्पवयस्क बालक के हितों में बाधा होगी और जहां व्यापार इत्यादि का मामला होगा वहां बहुत कठिनाइयां पैदा हो जायेगी हमें इन बातों का यथोचित विचार करना है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री बोगावत]

खंड ६ के सम्बन्ध में मैं श्री राघवाचारी के संशोधन का समर्थन करता हूं।

मेरी विशेष आपत्ति यह है कि इस सम्बन्ध में कोई विशेष एकरूप व्यावहारिक विधि होनी चाहिये। बल्कि यदि हिन्दु, मुसलमान, इसाई, पारसी इत्यादि सभी के धर्मों के अवयस्क बालकों के लिये एकरूप विधि बना दी जाय तो ठीक होगा। इन सभी संप्रदायों के लिये हम कुछ विशेष व्यक्तियों को संरक्षक बना सकते हैं। अतः मुसलमान, इसाई, पारसी इत्यादि शब्दो को हटा दिया जाना चाहिये।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : इस विधेयक को प्रवर समिति को सोंपते समय मुझे **प्रवर** समिति का सदस्य होने के लिये कहा गया है। जिसे मैंने अस्वीकार कर दिया। इसका कारण यह था कि मैं इस विधेयक को बिल्कुल व्यर्थ समझता हूं।

संविधान में सभी समुदायों के लिये एक रूपी व्यावहारिक संहिता बनाने का उल्लेख है और यदि हम किसी सम्बन्ध में एकरूपी व्यवहार संहिता बना सकते हैं तो वह संरक्षकता और अवयस्कता है। इस समय जो संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम प्रचलित है, वह बहुत अच्छा है और यह देश की आवश्यकता को भली भांति पूरा करता है। अतः मेरे विचार से यह नया विधेयक नितांततः अनावश्यक है। मेरी पहली आपत्ति यह है कि इस विधेय से देश के एक समुदाय के साथ विभेदपूर्ण व्यवहार किया जायेगा और संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम के उपबन्ध सभी पर समान रूप से लागू नहीं होंगे। इस विधेयक में दी गई परिभाषा के अनुसार हिन्दु अवयस्क १८ वर्ष में वयस्कता प्राप्त करेगा। जबकि वयस्कता अधिनियम के अनुसार एक व्यक्ति २१ वर्ष में वयस्क होता है तब बीच के तीन वर्षो में क्या होगा। साथ ही खंड ३ और ५ परस्पर विरोधी उपबन्ध हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : मेरा भी यही मत है कि मैं माननीय मंत्री जी से इस पर विचार करने को कहूंगा।

†**श्री पाटस्कर** : निसंदेह इस तर्क में कुछ सार्थकता है कि खंड ५ के उपखंड (ख) पर पुनः विचार किया जाय। लेकिन मैं इसे स्पष्ट कर दूं कि इस विधान का मूल आधार यह है कि हम, संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम जो कि देश के सभी वर्गो में प्रयुक्त होता है उसके उपबन्धों का निराकरण नहीं करना चाहते हैं; यदि उसके निर्वचन में कोई भ्रांति हो तो मैं उसे दूर करनें का प्रयत्न करूंगा।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : यह विधेयक संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम के कई उपबन्धों का अल्पीकरण करता है। जिसका तात्पर्य यह है कि यदि इस विधेयक में कोई व्यवस्था नहीं होगी तो संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम लागू होगा और यदि कोई व्यवस्था होगी तो इस विधेयक के उपबन्ध लागू होंगे।

†**श्री पाटस्कर** : यह केवल स्वाभाविक संरक्षकों की मान्यता के सम्बन्ध में होगा।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : लेकिन आपने ऐसा उल्लेख नहीं किया है। इसका तात्पर्य है कि मंत्री महोदय नें कुछ शब्द नहीं कहे हैं जिन्हें ये खंड २ में जोड़ना चाहते हैं।

मैं आपका ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहूंगा कि संरक्षक की जो परिभाषा इस विधेयक में दी गई है यदि उसे खंड ५ (ख) के साथ पढ़ा जाय तो वह संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम के विपरीत है। इसके तात्पर्य यह हैं कि अब देश में कई तरह के अवयस्क हो जायेंगे। अतः इससे विभेद बढ़ेगा। जहां तक मेरा विचार है इस विधेयक से स्थिति में कोई सुधार नहीं होता है।

क्या मैं माननीय मंत्री से पूछ सकता हूं कि इस देश में कितने पिता तथा माता वसीयत द्वारा संरक्षक नियुक्त करते हैं? मेरा निवेदन है कि यदि नगरों को अलग कर दिया जाये और हम गांवों में जायें जहां अस्सी या तिरासी प्रतिशत जनसंख्या रहती है, तो हमें पता लगेगा कि बहुत

†मूल अंग्रेज़ी में।

थोड़े से मामलों में माता-पिता वसीयत द्वारा संरक्षक नियुक्त करते हैं। इस विधेयक के अनुसार चार प्रकार के संरक्षक होते हैं, प्राकृतिक संरक्षक, अवयस्क व्यक्ति के पिता या माता की वसीयत द्वारा नियुक्त किया गया संरक्षक, न्यायालय द्वारा नियुक्त या घोषित किया गया संरक्षक, और संरक्षक तथा प्रतिपाल्य अधिनियम के अन्तर्गत नियुक्त किया गया संरक्षक। यह हम जानते हैं कि संरक्षक तथा प्रतिपाल्य अधिनियम के अन्तर्गत तथा अवयस्क व्यक्ति के पिता तथा माता की वसीयत द्वारा बहुत ही कम संरक्षक नियुक्त किये जाते हैं। अब प्रश्न प्राकृतिक संरक्षक या न्यायालय द्वारा नियुक्त या घोषित किये गये संरक्षक का रह जाता है। मेरी समझ में नहीं आता कि संयुक्त समिति ने यह कैसे सोच लिया कि केवल पिता या माता ही प्राकृतिक संरक्षक हैं; दादा प्राकृतिक संरक्षक नहीं है।

†**श्री पाटस्कर** : परन्तु क्या अब हिन्दु विधि के अन्तर्गत वह प्राकृतिक संरक्षक हैं ?

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : हिन्दु विधि में इस रूप में प्राकृतिक संरक्षक जैसी कोई बात ही नहीं है। वास्तविकता तो यह है कि आपने संरक्षकत्व के अन्तर्गत की प्राकृतिकता को निकाल फेंका है। हिन्दु विधि के अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति अवयस्क व्यक्ति के लिये एक अच्छा संरक्षक है। परन्तु अब आप के अनुसार केवल पिता व माता ही ऐसे व्यक्ति हैं जो बच्चों की देखभाल कर सकते हैं। पिता व माता के अतिरिक्त और कोई सम्बन्धी ही नहीं। यद्यपि मैं यह मानता हूं कि कुछ मामलों में अवयस्क व्यक्तियों कि सम्पत्ति बरबाद की गई है या छीन ली गई है, परन्तु ऐसे मामलों की संख्या बहुत कम है, और इतनें पर भी अवयस्क को विधि के अन्तर्गत प्रत्युपाय प्राप्त है। परन्तु अब ऐसे देश में, जिसमें लगभग अस्सी प्रतिशत लोग यह नहीं जानते कि वसीयत क्या है, जहां बहुत से लोग अशिक्षित हैं, वहां क्या आप यह कहना चाहते हैं कि प्रत्येक ऐसे अवयस्क व्यक्ति का मामला जिसके पिता व माता न हो, न्यायालय में जाना चाहिये और उसका संरक्षक नियुक्त किया जाना चाहिये ? आपको याद होगा कि संरक्षक के इन प्रार्थना पत्रों को घृणा की दृष्टि से देखा जाता है। ऐसे मामले वर्षों तक चलते रहते हैं। पिता व माता की मृत्यु के पश्चात बालक के संरक्षकत्व के लिये कौन प्रार्थना पत्र देगा ? क्या इस सम्बन्ध में यहां कोई उपबन्ध है कि प्रत्येक कलक्टर बालक के पिता व माता के मृत्यु के पश्चात उसके संरक्षकत्व के लिये प्रार्थना पत्र भेजने के लिये आबद्ध हैं। इस विधेयक में ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है। यदि दादा और अन्य व्यक्ति उसके प्राकृतिक संरक्षक नहीं हैं तो संरक्षक के लिये प्रार्थना पत्र कौन करेगा ?

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** (वादिवाश) : वस्तुतः संरक्षक प्रार्थना करेगा।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : मंत्री महोदय ने उसे हटा दिया है।

†**श्री पाटस्कर** : मैंने उसे हटाया नहीं है, अपितु उसे अन्याय करने से रोक दिया है।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : जहां तक यह बात है मैं आपको बधाई देता हूं। परंतु मेरी कठिनाई यह है कि आपने अपने विचार को कार्यरूप में परिणत करने के अपने प्रयत्नों में वस्तुतः संरक्षक को जो बालक के लिये प्रत्येक कार्य किया करता था, समाप्त कर दिया है। अब, क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि संरक्षकत्व के लिये कौन प्रार्थना करेगा ? बालक में किसकी अभिरुचि है ? इसके लिये आप को उपबन्ध करना है। फिर इस प्रकार नियुक्त किया गया संरक्षक कुछ फीस लेगा। परन्तु वस्तुतः संरक्षक के मामले में, जहां अवयस्क लड़का दादा आदि के साथ रहता है, यह नहीं माना जाता कि वह अवयस्क की सम्पत्ति में से कुछ लेगा। यदि आप यह नियम बना दें कि प्रत्येक संरक्षक को सरकारी खज़ाने से फीस, आदि दी जायेगी, तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी।

संरक्षक तथा प्रतिपाल्य अधिनियम की धारा २८ के अनुसार, यदि पिता व माता किसी व्यक्ति को अपनी मृत्यु के बाद के काल के लिये संरक्षक नियुक्त करें, तो संरक्षक के अधिकार वसीयत द्वारा विनियमित होंगे। अब, जबकि पिता का भी अधिकार ले लेते हैं, तो वसीयत

---

†मूल अंग्रेज़ी में।

[पंडित ठाकुरदास भार्गव]

द्वारा नियुक्त किया गया संरक्षक उन अधिकारों का प्रयोग कैसे कर सकता है । जहां तक हिन्दु अविभक्त परिवार का सम्बन्ध है इसका खंड ६ तथा खंड १२ में विशेष उल्लेख किया गया है तथा बालक के हितो के लिये संरक्षक नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं है । परन्तु इसके साथ साथ अन्य हितों के बारे में एक वस्तुतः संरक्षक विधि की दृष्टि से एक अच्छा संरक्षक था । परन्तु अब वह अच्छा संरक्षक नहीं है क्योंकि इस विधेयक के अन्तर्गत केवल चार प्रकार के संरक्षक होंगे और उनमें वस्तुतः संरक्षक सम्मिलित नही हैं । इसका परिणाम यह होगा कि यदि न्यायालय द्वारा संरक्षक नियुक्त नहीं किया जाता तो कोई भी व्यक्ति अवयस्क का अपहरण कर सकेगा । इसीलिये, मैंने उस समय जबकि यह विधेयक मूल रूप में प्रस्तुत किया गया था, कहा था कि यह विधेयक उन परिवर्तनों के अनुकूल नहीं है जो हिन्दु विधि के अन्य भागों में किये गये हैं । आप हिन्दुओं के लिये भिन्न विधि क्यों बनाते हैं? मेरा निवेदन है कि ऐसे मामलों में हमें भिन्न विधि नहीं बनानी चाहिये ।

इसके अतिरिक्त, मेरा निवेदन यह है कि इस देश में पर्याप्त समय तक वस्तुतः संरक्षक का होना आवश्यक है, क्योंकि देश अशिक्षित है तथा प्रत्येक मामले में हम विधि का सहारा लेना नहीं चाहते । ऐसे मामले में लोगों को विधि का सहारा लेने के लिये मजबूर करना, उनके साथ अत्यन्त कठोरता व अत्याचार करना है । फिर हम देखते हैं कि माता व पिता के अधिकारों को भी कम कर दिया गया है । हम चाहते हैं कि इस देश में माता व पिता के समान अधिकार एक से हों : क्या आपको माता व पिता से भी अच्छा कोई संरक्षक मिल सकता है ? न्यायालय तो सम्पत्ति का प्रबन्ध करेगा नहीं । वह इस कार्य के लिये किसी नाज़िर. आदि को नियुक्त करेगा । फिर जिस तरह काम होता है, उस बारे में कदाचित आपको मुझसे अधिक जानकारी है । यदि हमारे समक्ष कोई ऐसा साक्ष्य रखा जाता कि माता व पिता अवयस्क की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं तथा वे उचित व्यवहार नहीं कर रहे हैं, तो मैं देश की सरकार द्वारा अवयस्को का संरक्षक बनना स्वीकार कर लेता। मैं समझता हूं कि ऐसे साक्ष्य के न होते हुए यह सुझाव देना गलत है कि माता व पिता को अवयस्को की सम्पत्ति की देखभाल न करनें दी जाय । अतः मेरा निवेदन है कि ये अधिकार बहुत कड़े हैं । इन अधिकारों के होने और वस्तुतः संरक्षक के न होने से, मैं समझता हूं कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जायगी कि विधेयक लागू न हो सकेगा, अपितु इससे गड़बड़ी पैदा हो जायगी । इससे उलझन पैदा हो जायेगी और इसके साथ साथ अवयस्क की सम्पत्ति की देखभाल न होगी ।

फिर अवयस्क विवाहित स्त्री, पुरुष, बालक तथा विधवा स्त्रियों की भी अभिरक्षा का प्रश्न है । जहां तक उत्तराधिकार विधि का सम्बन्ध है वह हमनें बदल दी है तथा अब पुत्र की विधवा या पौत्र की विधवा भी उत्तराधिकारिणी है और उसे दादा से सम्पत्ति मिलती है तथा यह माना जाता है कि वह सम्पत्ति मिलने पर दादा के परिवार में रहेगी इतने पर भी वे चाहते हैं कि पिता व माता संरक्षक हो । मैं नहीं जानता कि यह कैसे होगा मैं तो यह चाहता हूं कि यदि वह पति के परिवार में रहती है और पति के पिता हैं, तथा वह पति के पिता व दादा की उचित उत्तराधिकारिणी है, तो सम्पत्ति की देखभाल पिता व माता की बजाय उस परिवार के बड़े लोगों द्वारा ही की जानी चाहिये ।

संरक्षक तथा प्रतिपाल्य अधिनियम की धारा २१ में उपबन्ध है कि एक अवयस्क अन्य अवयस्क अपनी पत्नी तथा बच्चों आदि का, संरक्षक हो सकता है । परन्तु इस विधेयक में कहा गया है कि अवयस्क व्यक्ति अन्य अवयस्क व्यक्ति की सम्पत्ति के संरक्षक के रूप में कार्य न कर सकेगा । अत्र, मैं नहीं जानता कि संरक्षक तथा प्रतिपाल्य अधिनियम की धारा २१ लागू रहेगी या जो नई विधि हम पारित कर रहे हैं, वह लागू रहेगी । अतः मैं माननीय विधि मंत्री से यह बताने की प्रार्थना करता हूं कि उन्हें संरक्षक तथा प्रतिपाल्य अधिनियम की धारा २१ के बारे में क्या कहना है । इस बात की जांच होनी चाहिये ।

कुछ ऐसे संशोधन भी हैं जिनसे विधेयक में कुछ सुधार हो सकता है । फिर भी, मेरा निवेदन है कि यह एक अनावश्यक विधेयक है तथा वापस ले लिया जाना चाहिये ?

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी :** मैं भी माननीय मंत्री से विधेयक वापस लेने की प्रार्थना करता हूं ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में ।

इस विधेयक के बारे में कठिनाई यह है कि यदि आप इसे पढ़े तो आपको विदित होगा कि इससे प्रत्येक बात पर विधि सम्बन्धी विरोध पैदा होता है। इसकी कार्यान्वित भारत तक ही सीमित है और यह जम्मू तथा काश्मीर पर लागू नहीं होता। फिर भी यह कहा जाता है कि यह उन क्षेत्रों में बस गये हिन्दुओं पर भी लागू होता है, जिन क्षेत्रों पर यह अधिनियम लागू होता है। अर्थात यह उन हिन्दुओं पर लागू होगा जिनका जन्म जम्मू तथा काश्मीर राज्य के अतिरिक्त देश में और कहीं हुआ हो तथा वे जम्मू तथा काश्मीर में जाकर बस गये हों। इसके अतिरिक्त, यह उन हिन्दुओं पर भी लागू होता है जिनका जन्म जम्मू तथा काश्मीर राज्य में हुआ हो और वे वहां से आकर देश में और कहीं बस गये हों। फिर, क्या कारण है कि यह जम्मू तथा काश्मीर पर लागू नहीं किया जाता? इसका कारण मेरी समझ में नहीं आता।

पंडित ठाकुर दास भार्गव ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है और मैं भी उनसे सहमत होते हुए यह पूछना चाहता हूं कि स्त्रियों और बच्चों के बारे में भेदभाव पूर्णनीति को क्यों अपनाया जा रहा है; आप एक हिन्दु स्त्री तथा एक मुस्लिम स्त्री में भेद भाव क्यों कर रहें हैं? इसी प्रकार से आप एक हिन्दु बच्चे तथा एक मुस्लिम बच्चे में भी भेदभाव नहीं कर सकते। एक हिन्दु बच्चे की वयस्कता की सीमा तो आपने १८ वर्ष निर्धारित की है परन्तु एक मुस्लिम बच्चे के लिये सीमा २१ वर्ष की है। चाहिये यह था कि हिन्दु और मुस्लिम सभी बच्चों के लिये एक समान ही २१ वर्ष की सीमा निर्धारित कर दी जाती। संरक्षक तथा प्रतिपालक अधिनियम, १८९० में भी २१ वर्ष की सीमा निर्धारित की जानी चाहिये। इसलिये मैं भी पंडित ठाकुर दास भार्गव के समान ही यह मांग करता हूं कि इस सम्बन्ध में एक सामान्य विधि बनायी जाये, एक सामान्य संरक्षक तथा प्रतिपालक अधिनियम बनाया जाय। इसमें धर्म का कोई प्रश्न न हो; यहां तो हमारा सम्बन्ध अल्पवयस्क बच्चों से है वे चाहें हिन्दु हों या मुस्लिम हों, या इसाई हों। परन्तु न जाने हमारी सरकार एक सामान्य विधि बनाने से क्यों डरती हैं और मुस्लिम बच्चों पर भी उसे लागू करने से क्यों डरती है? मैं पूछता हूं कि आप भेदभाव पूर्णनीति को क्यों अपना रहे है?

खंड ८ में रखा गया यह उपबन्ध प्रत्येक भारतीय के राष्ट्रीय जीवन पर एक कलंक के समान है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या न्यायालय में बैठा हुआ न्यायाधीश बच्चे के माता पिता से अधिक उसकी रक्षा कर सकेगा? क्या माता पिता अपने बच्चों की रक्षा करने में असमर्थ है जो यह काम न्यायाधीश को सौपा जा रहा है? इस प्रकार के उपबन्ध बना कर आप व्यर्थ में मुकदमेंबाज़ी को प्रोत्साहन क्यों दे रहे हैं? यह उपबन्ध हमारे राष्ट्रीय तथा सामाजिक जीवन में अव्यवस्था सी पैदा कर देगा और आपस में झगड़े बढ़ेंगे।

इन सभी विधानों के पीछे कोई अवचेतन भावना काम कर रहीं है। जैसा कि उपाध्यक्ष महोदय नें कहा है यह विधान हिन्दु उत्तराधिकार विधेयक के समरूप ही है। हिन्दु उत्तराधिकार विधेयक के अनुसार तो देश में उश्रृंखलता और अस्तव्यस्ता छा जायेगी। इस विधान के अनुसार तो और भी बुरी हालत होगी और सारा हिन्दु समाज छिन्न भिन्न हो जायेगा। इसलिये मेरी यह सविनय प्रार्थना है कि इस पर एक पुन:विचार किया जाये और इसके द्वारा देश में होने वाले इस सत्यनाश को रोक दिया जाये।

फिर खंड ८ के उपखंड (४) में लिखा है कि कोई भी न्यायालय किसी भी संरक्षक को आवश्यकता के समय अथवा अवयस्क के स्पष्ट हित के अतिरिक्त उपधारा (२) में उल्लिखित किसी भी बात के लिये अनुमति नही देगा। इस 'स्पष्टहित' की बात का निर्णय तो कोई भी ऐसा व्यक्ति कर सकता है जो ट्रस्टी हो। तो इस काम के लिये न्यायालय इस की सहायता लेने की क्या आवश्यकता है।

मान लो कि पिता के पास बच्चे के नाम का कुछ भूषण है। वह देखता है कि बाजार में सोने और चांदी का भाव गिरने वाले है और उसे बेच देने में ही वह भला समझता है, तो क्या इस बात के लिये अनुमति लेने के लिये वह न्यायालयों में दौड़ता फिरे? इस प्रकार की विधि से कई प्रकार की भंयकर कठिनांईयां उत्पन्न हो जायेंगी और हिन्दु समाज में अव्यवस्था छा जायेगी।

[श्री उ० मू० त्रिवेदी]

अतः यह विधेयक किसी भी प्रकार से आपका मन्तव्य पूर्ण न कर सकेगा, अतः इसे वापिस ले लिया जाय अथवा हम लोगों द्वारा प्रस्तुत किये गये संशोधनों को स्वीकार कर लिया जाये और इसे दोषरहित बनाया जाये ।

श्रीमती जयश्री (बम्बई उपनगर) : मैं इस विधेयक का स्वागत करती हूं जो कि विवाह विधेयक तथा उत्तराधिकार विधेयक के समान एक प्रगतिशील विधान है ।

श्री त्रिवेदी नें इस बारे में यह कहा है कि सभी सम्प्रदायों के लिये एक समान विधि बनायी जाये। हम भी तो यही चाहती हैं परन्तु क्योंकि इससे पहले हमनें केवल हिन्दुओं से सम्बन्ध रखने वाली विधियां बनायी हैं जैसे हिन्दु उत्तराधिकार विधेयक, तथा हिन्दु विवाह विधेयक, इसलिये इस प्रस्तुत विधेयक का सम्बन्ध भी केवल हिन्दुओं से होना चाहिये । यह विधेयक अविभाज्य परिवार पद्धति में अल्पवयस्क की सम्पत्ति की रक्षा करेगा। यह विधेयक वास्तविक तथा यथार्थ संरक्षक अथवा माता पिता को किसी भी प्रकार के अधिकार से वंचित नही करता । इसमें एक और हर्ष की बात यह है कि स्त्रियों को, माताओ को एक ऊंचा दर्जा दिया गया है। इससे पहले माताओं को अपने बच्चों की देखभाल का कोई अधिकार नहीं दिया जाता था और उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था । अब बड़े हर्ष की बात है कि माता के इस महत्व को स्वीकार किया गया है और उसे यह सभी अधिकार दिये गये हैं ।

एक और अच्छी बात यह है कि इस विधेयक में वही केवल माता पिता को अधिकार दिये गये हैं अपितु बच्चे के हित का भी ख्याल रखा गया है । संभव है कि कभी माता और पिता में कोई झगड़ा उत्पन्न हो जाय परन्तु उस स्थिति में न्यायालय हमारी सहायता करेगा । हर्ष की बात है कि विधेयक में माता को अधिक महत्व प्रदान किया गया हैं ।

हमारे न्यायालयों ने बच्चों की संरक्षता का अधिकार माताओं को बहुत कम बार दिया है । मैं चाहती हूं कि जब भी पिता अयोग्य सिद्ध हो, बच्चे की संरक्षता का अधिकार माता को दे दिया जाये । मेरा यह सुझाव है कि इस विशेष खंड में 'अयोग्य पिता' ये शब्द अवश्य रखे जायें । इसी बारे में मैंने एक संशोधन भी प्रस्तुत किया है कि यदि पिता अयोग्य सिद्ध हो तो संरक्षकता का अधिकार माता को दे दिया जाये । खंड ६ के बारे में भी मैने एक संशोधन प्रस्तुत किया है कि यदि पिता की मृत्यु के समय बच्चा १४ वर्ष से छोटा हो तो उसकी संरक्षकता का अधिकार माता को प्राप्त हो । जहां तक बच्चे की शिक्षा और स्वास्थ्य आदि का सम्बन्ध है उसका उत्तरदायित्व पर रहे और यदि पिता अयोग्य सिद्ध हुआ तो दायित्व माता पर रहे ।

इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करती हूं कि मेरे इन दोनों संशोधनों को स्वीकार किया जाये । मुझे आशा है कि सभा इस महत्वपूर्ण विधान को स्वीकार करेगी क्यों कि यह समाज में महत्वपूर्ण सुधार करेगा। यदि हम अपने विधानों को सभी सम्प्रदायों पर लागू कर सकतें तो बहुत अच्छा होता, परन्तु जब तक वैसा नहीं होता हमे इसे इस रूप में ही स्वीकार कर लेना चाहिये । विधि मंत्री जी से यह निवेदन है कि वह दत्तक ग्रहण विधेयक को शीघ्रातिशिघ्र सभा में प्रस्तुत करें क्योंकि वह भी हिन्दु संविदा विधेयक का एक महत्वपूर्ण अंग है ।

श्री नंदलाल शर्मा (सीकर): नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै ।
नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमाजिन्तलेभ्यां नमोऽस्तु चंद्रार्क मरुद्गणेभ्यः ।।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह हिन्दुकोड बिल की तीसरी किश्त इस रूप में अति भयंकर है क्योंकि इसके द्वारा अल्पवयस्क हिन्दु बालकों और बालिकाओं के ऊपर एक भयंकर आघात और दुष्प्रभाव पड़ने वाला है । बालकों के हित की हत्या करने का श्रेय हमारे पाटस्कर जी को अवश्य मिलेगा । जिस समय माता पिता दोनों की मृत्यु हो जाय और आज तक जहां बड़े भाई अथवा काका, मामा और दूसरे सम्बन्धी जो कि उनको अपने बालकों

की तरह पालते रहे हैं और मैं समझता हूं कि कितने ही व्यक्ति यहां होंगे जिनको कि इस बात का अनुभव होगा, उनको इस सूचि मे से हठा कर उनके अधिकारों और उनके कर्त्तव्यों से रोक रखना मैं समझता हूं कि उनके लिये उतना हानिकर नहीं है जितना कि बालकों के लिये हानिकर है। प्रश्न यह उठेगा कि वह कोर्ट में क्यों न जाय। माता की मृत्यु हुई, पिता की मृत्यु हुई अथवा दोनों की मृत्यु हुई, सम्पत्ति में भेद हुआ और सम्पत्ति भेद होने के बाद भाइयों को सम्पत्ति और बहनों की सम्पत्ति आपस में बट गई, ऐसी परिस्थिति में कोई एक कर्ता फैमिली (परिवार) का नहीं रहा और जिसका कि कोई कर्ता नहीं होगा तो कोई भी व्यक्ति अपनी यह जिम्मेदारी नहीं समझ सकता है कि मैं दूसरे की सम्पत्ति को किस तरह से संचालित करूं। स्वयं आपके इस बिल के द्वारा भी उस माइनर (अल्पवयस्क) की सम्पत्ति में डील करनें का निषेध किया गया है और मैं समझता हूं कि ऐसी परिस्थिति में कोई व्यक्ति अथवा बड़ा भाई भी जा कर के कोर्ट तक पहुंचे और कहे कि मुझे उसका डिफक्टो अथवा कोर्ट गार्जियन डिक्लेयर कर दिया जाय, ऐसा परिश्रम कोई नहीं करेगा और फल यह होगा कि अल्पवयस्क बालक और बालिकाओं का जीवन, उनका व्यक्तित्व और उनकी सम्पत्ति दोनों पर भयंकर आघात पहुंचेगा। श्री पाटस्कर के सामने शास्त्र की बात करना व्यर्थ है क्योंकि शास्त्र की बात का उनके सामने कोई मूल्य नहीं रह गया है और वे ऐसा समझते है कि मनु, याज्ञवलक्य इत्यादि अपने अपने समय में भले ही ठीक रहे होंगे लेकिन आज के जमानें में उनकी आवश्यकता नहीं है लेकिन मैं उनको बतलाना चाहता हूं कि वर्षों तक उनकी आवश्यकता हमारे पूर्व विदेशी शासकों ने अनुभव की जिनको कि हमारे कांग्रेसी बधु बदमाश अंग्रेज कहा करते थे और जो हिन्दु धर्म पर आघात किया करते थे, वे अंग्रेज लोग भी प्रिवी कौंसिल के जजमेंट्स (निर्णय) में मनु, याज्ञवलक्य और मिताक्षरा कानून को आधार मान कर उसके अनुसार अपने जजमेंट दिया करते थे। मैं कहता हूं कि पाटस्कर साहब जो धर्म शास्त्रों की आवश्यकता नहीं समझते उनको कम से कम न्यायपूर्वक यह चीज़ तो देखनी चाहिये कि यह जो आप धर्मशास्त्र बदलते हैं तो उसके द्वारा पाप पुण्य जो होनें वाला है वह भी क्या बदलने का आप को अधिकार है? कोई व्यक्ति मरेगा तो उसको मरने के बाद उस को स्वर्ग और नर्क में भेजनें का भी अधिकार क्या हमारे पाटस्कर जी को है? जब तक उनको यह अधिकार नहीं है तब तक मैं समझता हूं कि उनको धर्मशास्त्रों को भी बदलने का कोई अधिकार नहीं है। हिन्दु धर्म के अनुसार हमारे यहां तो यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है:

"पिता पितामही भ्राता माता मातामहस्तया"

अर्थात पिता के अभाव में पितामह, और पितामह के अभाव में ज्येष्ठ भ्राता को रक्खा गया है। अगर बड़ा भाई विद्यमान हो तो उसको चाहिये कि छोटे भाईयों और बहनों का पुत्रों की तरह पालन करे और छोटे भाईयों और बहनों का कर्तव्य है कि उसको पिता के समान माने और अगर वह ऐसा नही करते हैं तो दोनों के दोंनों पाप के भागी बनते हैं और फिर अगर ऋतुमती कन्या घर में बैठी है और रजस्वला होने पर उसके विवाह का कोई प्रयत्न नहीं किया गया है तो हमारे धर्मशास्त्र यह कहते हैं:

"माता चैव पिता चैव ज्येष्ठोभ्राता तथैवच।
त्रयस्ते नरकं यान्तिदृष्ट्वा कन्यां रजस्वलाम्॥"

अर्थात् कन्या को रजस्वला देखने के बाद पिता, माता और ज्येष्ठ भ्राता यह तीनों नर्क में जायेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि इसके स्थान पर पाटस्कर साहब कौन सा विधान देंगे? मैं समझता हूं कि यह अधिकार स्वर्ग और नर्क देने का न तो पार्लियामेंट के ५०० या ७०० सदस्यों को है और न ही हमारे ला मिनिस्टर को है। ऐसी परिस्थिति में जब उनके उपर से आप डिफैक्टो गार्जियनशिप (यथार्थ संरक्षकता) का जो नाम आजतक विद्यमान था उस नाम को भी आप हटा लेते हैं तो मेरी समझ में नहीं आता कि उन बालकों अथवा उन अल्पवयस्क बालिकाओं की रक्षा कौन करेगा। मैं समझता हूं कि एसी परिस्थिति में हमको एक शब्द पहले श्री राघवाचारी द्वारा कहा जा चुका है कि धर्म परिवर्तन की

[श्री नंदलाल शर्मा]

परिस्थिति में क्या करें । धर्म परिवर्तन की परिस्थिति में पिता को अधिकार नहीं है कि वह अपने बालकों के सम्बन्ध में किसी प्रकार की गार्जियनशिप करे लेकिन माता को ऐसा ही अधिकार इसमें दे दिया गया है और इस पर हमारी कम्युनिस्ट सदस्या बड़ी प्रसन्न हुई कि चलो कहीं न कहीं हिन्दु जाति को लात तो लगी परन्तु मैं बड़ी नम्रता से निवेदन करता हूं कि आप बिल्कुल किसी प्रकार का हिन्दु कानून का नाम न रख करके एक जनरल कानून बना दें तो मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है परन्तु प्रश्न यह है कि हिन्दु के नाम से आप हिन्दु कानून बनायें और फिर हिन्दु धर्म शास्त्र को अथवा हिन्दु समाज को खुल्लमखुल्ला लात मारने की चेष्टा करें तो यह कुचेष्टा होगी और यह हिन्दु जाति के साथ अन्याय करना होगा और इसलिये इसमें "ही" और "शी" का देना आवश्यक होगा ।

इसी के साथ साथ इस विधेयक के क्लाज ८ के अन्दर जहां स्मरण करवाया है कि किसी प्रकार का प्रापरटी के अन्दर मार्टगेज (बन्धक) लीज (पट्टे) और डिस्पोजल (बेचना) इत्यादि नहीं हो सकेगा ता उसके संबंध में मेरा यह कहना है कि आज हमारे जीवन में यह देखा जाता है कि पिता कभी कभी कोई सम्पत्ति अपने पुत्र के नाम पर खरीद लेता है और उसके स्नेहवश उसके पुत्र के नाम से कर देता है और आवश्यकता पड़ने पर उसको अपनी फैमलि के लिये प्रयोग भी कर सकता है परन्तु आज के बाद उसके लिये यह परिस्थिति खड़ी हो जायगी कि यदि उसने स्वयं अपनी सम्पत्ति खरीदी हो अथवा पुत्र के नाम से खरीदी हो तो उस सम्पत्ति को बिना कोर्ट की आज्ञा और कोर्ट की आज्ञा से भी नहीं ले सकेगा । ऐसी परिस्थिति में मैं चाहता हूं कि श्री पाटस्कर मेरे इस संशोधन को जो मैंनें प्रस्तावित किया है उसको स्वीकार करनें की कृपा करें अलबत्ता उस संशोधन की शब्दावलि में जैसा चाहे वैसा परिवर्तन कर सकते हैं । मैं चाहता हूं कि पिता माता के स्नेहपूवर्क अपनी संतान के लिये कुछ कार्य करने पर उनके मार्ग में आगे के लिये ऐसी रुकावट न आ जाय कि वे स्नेहपूर्वक कुछ कार्य न कर सकें ।

एक जो युनिफार्मिटी (समानता) का प्रश्न था उसके लिये भी कहा जा चूका है कि जम्मू और काश्मीर पर इसको ऐप्लाई (लागू) नहीं करेंगे हिन्दु ला मैं समझता हूं कि युनिफिकेशन के लिये हो रहा है और मैं समझता हूं कि ऐसे हिन्दु जो हिन्दुस्तान से बाहर रहते हैं और भारतवर्षके अन्दर जो हिन्दु रह रहें जम्मू और काश्मीर में बसने वाले हिन्दुओं को इस कानून की परिधि से बाहर रखना यह कोई युनिफार्मिटी लाना नहीं हुआ । आपकी किसी ऐनामली (असंगतता) की वजह से और मैं समझता हूं कि इसके लिये कांग्रेस पार्टी दोषी है कि काश्मीर पर आज भारत के कानून लागू नहीं हो रहे हैं और अगर वह इस प्रकार का नया झगड़ा खड़ा न करते तो जैसे बाकी स्टेट्स के रूलर्स ने वहां के राजा, महाराजाओं नें मर्जर पर हस्ताक्षर कर दिये थे और उसी तरह महाराजा हरि सिंह ने भी इंडियन यूनियन के साथ मर्जर (विलय) पर हस्ताक्षर कर दिये हैं और उसके पश्चात कोई कारण नहीं रह जाता कि काश्मीर को क्यों इस तरह से अलग रखा जा रहा है और हर कानून बनाते वक्त उसमें यह लफ्ज जोड़ देते हें "जम्मू तथा काश्मीर राज्य के सिवा", अगर आप यह शब्द न जोड़ कर यही लिखा रहने दे कि "सारे भारत पर लागू होगा" तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर कोई बाधा वैधानिक या किसी किस्म की बाद में उस कानून को वहां पर लागू करने के रास्तें में पड़े तो आप उसको वहां पर न एक्सटेंड करें । काश्मीर के सम्बन्ध में इस तरह का भेदभाव बर्त कर के आप वहां के हिन्दुओं को हिन्दु ला से वंचित करना चाहते हैं और मैं यह समझता हूं कि यह हिन्दुओं के साथ अन्याय है और जहां यह हिन्दुओं के पर्सनल ला की हत्या है वहां भारत के समस्त हिन्दुओं को एक यूनिफार्म ला के द्वारा गवर्न करने की आपकी प्रतीज्ञा भी भंग होती है ।

इसी प्रकार से क्लाज ३ के पार्ट बी (खंड ३ के भाग ख) द्वारा हम यह पाते हैं कि बुद्धिस्ट, जैन और सिक्खस को इस कानून से अलग रखा गया है जो कि बिलकुल अनुचित कार्य, है, ऐसा करके आप उनको जबर्दस्ती हिन्दुओं से अलग करना चाहते हैं । जैन आज तक अपने आप को हिन्दु कहते रहे हैं लेकिन आप उनको धीरे धीरे हिन्दुओं से अलग करना चाहते हैं । हम लोग निरन्तर

परिश्रम करते हैं और मास्टर तारासिंह भी कई बार कहते रहे कि हम लोग हिन्दुओं से अलग नहीं हैं फिर भी आप एक पोलिटि्कल झगड़ा खड़ा करके हिन्दुओं और सिक्खों में भेदभाव पैदा कर रहे हैं। इसी प्रकार से बुद्धिजम का भी प्रश्न आता है। मैं समझता हूं कि पुनर्जन्म को स्वीकार करने वाले, ओंकार को मानने वाले और गऊ पर श्रद्धा रखने वाले जितने भी लोग हैं वे सब हिन्दु जाति के अन्तर्गत आते हैं और हिन्दु संस्कृति के अन्दर आते हैं और उनको हिन्दुओं से अलग नहीं रखना चाहिये, यही मेरा निवेदन है ।

उन को अलग रूप से नहीं रखना चाहिये यह मेरा एक और निवेदन है। इस के लिये मेरा यह निवेदन है कि जिस तरह बार बार पंडित ठाकुर दास भार्गव और श्री त्रिवेदी कहते हैं, मैं भी उनके साथ अनुकरण करता हूं, आप नें मैरेज के द्वारा अथवा उत्तराधिकार के द्वारा जो लात मारी है वह हिन्दु वयस्क पर थी, वह तो बेचारे किसी प्रकार से सह लेंगे, और हो सकता है कि आप की बात मानें या न मानें, उन की बात और है। लेकिन बच्चा तो अपनें लिये कुछ कर नहीं सकता है। इससे उस के उपर आघात पहुंचेगा। जब तक वह २१ वर्ष का होगा तब तक संसार बदल जायेगा, न जाने आप कहां होंगें, हम कहा होंगे। इसलिये उचित यह है कि हिन्दु बालको और बालिकांओं के लिये आप कृपा कर के कोई और अच्छा सा बिल लावें। इस विधेयक को आप लौटा लें क्योंकि इस में बहुत से दोष हैं। सम्भवतः जैसा अभी कहा गया यदि माता पिता न रहे, तथा ऐसा कोई गार्जियन न बन सका, ऐसी परिस्थिति में अगर कोई बच्चों को उठा भी ले जाये तो किडनैपिंग अपहरण की बात कहने वाला कोई नहीं होगा कि किसकी कस्टडी से ले गया। कोई गार्जियन ही नहीं है तो फिर कस्टडी कैसी ? ऐसी स्थिति में उसकी रक्षा करने वाला भी कोई नहीं रहेगा। कोर्ट भी स्वंय बिना किसी के आवेदन पत्र के कोई कार्य नहीं करेगा। ऐसी परिस्थिति में आप उन बालकों के साथ अन्याय कर रहे हैं और उनका अहित कर रहे हैं। कृपा कर के, अगर सचमुच आप के अन्दर कोई भावना उन के लिये रह गई है और हिन्दु जाति का अंकुर मात्र से ही नहीं उखाड़ना है, तो बच्चों के लिये कोई अच्छा बिल लावें और इस विधेयक को लौटा ले ।

†**उपाध्यक्ष महोदयः** अब मै मत्री महोदय से प्रार्थना करता हूं कि वह अपना भाषण प्रारम्भ करें ।

†**श्री पाटस्कर :** मुझें इस बात का दुःख है कि कुछ एक माननीय सदस्यों ने इस प्रकार के विधान के प्रति आरोप लगाये हैं जो कि पूर्णरूपेण दोषरहित हैं और जो किसी भी प्रकार से हिन्दु धर्म पर कोई आघात नहीं करता। अस्पष्ट तथा निराधार आरोप लगाने कोई कठिन काम नहीं है। इस विधेयक का सम्बन्ध अवयस्कों से है इसलिये कोई भी व्यक्ति कह सकता है कि "तुम अवयस्कों पर आघात कर रहे हो, तुम उनकी हत्या कर रहे हो"। परन्तु मैं समझ नहीं सका कि इस विधेयक का ऐसा कौनसा उपबन्ध है जो बेचारे हिन्दु अवयस्कों की हत्या कर सकता है।

जहां तक पंडित ठाकुर दास भार्गव के तर्क का सम्बन्ध है मैं उन्हें यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं भी इसी बात में विश्वास रखता हूं कि अपनी राजनीति के रूप को हमने संविधान में जो निर्देशक सिद्धांत निर्धारित किये हैं, उन्हें किसी भी प्रकार के विधान के द्वारा अस्तव्यस्त होने की अनुमति न दी जाये ।

अब वास्तविक स्थिति क्या है ? संरक्षकता तथा प्रतिपालक अधिनियम हैं जो कि १८६९ में पारित हुआ था। यह हिन्दुओं, मुसलमानों, ईसाइयों और अन्य सभी पर लागू होता है। विधेयक के खंड दो में यह पूर्णरूप से स्पष्ट कर दिया गया है कि इस विधेयक के उपबन्ध संरक्षक तथा प्रतिपाल्य अधिनियम १८९९ के उपबन्धों के अतिरिक्त होंगे और जब तक कि इसके बाद स्पष्ट रूप से प्रतिबन्धित न किया जाय तब तक उक्त अधिनियम के अल्पीकरण के लिये नहीं होंगे। एक ऐसी बात है जिसकी जांच करनें के लिये मैं तैयार हूं। यदि कोई बात ऐसी है जो इस विधेयक के मूलभूत उद्देश्य से असंगत

†मूल अंग्रेज़ी में ।

[श्री पाटस्कर]

है अथवा जिसके परिणामस्वरूप खंड ५ के उपखंड (ख) का निर्वचन किया जा सके तो उस खंड पर विचार करते समय मैं स्थिति पर विचार करने के लिये तैयार हूं क्योंकि यहां मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कोई ऐसी भी कार्यवाही करने में सहयोग देने की मेरी कोई इच्छा नहीं है जोकि उस दृष्टिकोण से एक प्रतिगामीं कार्यवाही होगी। मेरा अब भी यह ख्याल है कि संभवतः उसका निर्वचन उस प्रकार न किया जाय। किन्तु उस खंड पर चर्चा करते समय मैं उस पर विचार करने के लिये तैयार हूं ।

मुझसे पूछा जाता है कि फिर हिन्दुओं के बारे में इस प्रकार का विधेयक प्रस्तुत करना क्यों आवश्यक समझा गया है ? मेरा तर्क यह है कि उन उपबन्धों के कारण जिनको कि अब संरक्षण तथा प्रतिपाल्य अधिनियम के बारे में, हिन्दु अधिनियम का अब एक अंग माना जा रहा है, ऐसा करना आवश्यक है। अन्य जातियों के मामलों में विपरीत, स्वाभाविक संरक्षकों को अब पिछले कई वर्षों में न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्णयों के आधार पर मान्यता दी जानें लगी है। मुझपर आगे चल कर यह आरोप लगाया गया है कि मौजूदा व्यवस्था में किसी प्रकार का सुधार करने का प्रसार करने के बजाय मैं कोई ऐसा कार्य करने का प्रयत्न कर रहा हूं जिससे कि हिन्दु समाज नष्ट हो जायगा और मैं इसी इच्छा से ऐसा करने के लिये प्रेरित हुआ हूं। श्रीमान्, जहां तक मुझे जानकारी है, हिन्दु अधिनियम के अन्तर्गत, जैसा कि वह आज प्रचलित है,स्वाभाविक संरक्षक केवल माता पिता ही होते हैं। यहां यह कहा गया है कि "अवयस्क बच्चों को सम्पत्ति का स्वाभाविक संरक्षक पिता है और उसके बाद माता। जब तक कि पिता नें इच्छा पत्र द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को संरक्षक नियुक्त नहीं किया है तब तक अवयस्क की सम्पत्ति के प्रतिपालन का अधिकार माता पिता के सिवा किसी अन्य सम्बन्धी को प्राप्त नहीं होता है"। यही मौजूदा विधि है।

मैं इस विधेयक के द्वारा इसे मान्यता देनें का प्रयास कर रहा हूं। हम अब तक कोई ऐसी विधि नहीं बना सके है जो समस्त देश पर लागू की जा सके और हम कार्य एक विशिष्ट प्रक्रिया के अनुसार कर रहे हैं। जो कुछ अभी किया जा रहा है उसका उद्देश्य संरक्षण करना है न कि नष्ट करना। इस दृष्टिकोण से मैंने इस विधेयक में स्वाभाविक संरक्षक को जहां तक सम्भव हो सका है, मान्यता देने का प्रयास किया है, क्योंकि इस समय मैने ऐसा कोई विधेयक प्रस्तुत नहीं किया है जो कि सभी लोगों को लागू हो सके। यहाँतक कि उत्तराधिकार और अन्य बातों से सम्बंधित विधानों के बारे में हम ऐसा नहीं कर सकें हैं। आखिरकार यह सही दिशामें उठाया गया एक कदम है और हम उस कार्य को कर रहें है। उद्देश्य यह है, कि जब उचित समय आयें तो एक हिंदू संहिता के स्थानपर हमारें पास एक व्यवहार संहिता हो। इस समय उस बातपर विचार नहीं किया जा रहा है जिसे कि हिन्दूओं में एक विशेष विधान माना गया है और जो किसी अन्य जाति पर लागू नहीं होता है, और इस विधेयक में मैने जिन स्वाभाविक संरक्षकों को मान्यता प्रदान की है वह उन्हें अब भी प्राप्त है। तब भी यह कहा जाता है कि हिन्दुओं अथवा उनके बच्चों के लिये कोई दया नहीं है। यही रोना रोया जाता है।

इसे मान्यता देने के बाद मैंने कौन सी अन्य बात की है ? एक और खण्ड है जिसका मैं निर्देश करता हूं और उसके बाद मैं अपनें भाषण को समाप्त करूंगा। वस्तुतः संरक्षकों का प्रश्न क्यों उठाया जाता है ? उन्हें कभी मान्यता नहीं दी गयी है। माता-पिता को स्वाभाविक संरक्षक मान लिया गया है और उसके बारे में कोई विवाद नहीं है। वस्तुतः संरक्षक केवल हिन्दूओं में होते हैं और इसके लिये जिस विधि का पालन किया जा रहा है वही उत्तरदायी है। उसके बारे में विनिर्णय है और मेरे सभी वकील मित्रों को उनकी जानकारी है। मुसलमान,ईसाई और अन्य किसी जाति में ऐसे वस्तुतः संरक्षक नहीं होते हैं। ऐसा क्यों है ? सन् १८५६ में हनुमान प्रसाद बनाम संयुक्त परिवार के प्रबन्धक के प्रख्यात मामले में एक विनिर्णय दिया गया था। उसमें कुछ शब्दो का प्रयोग बहुत ही अनुत्तरदायी रीति से किया गया था और उसके परिणामस्वरूप इस सम्बन्ध में एक विचित्र स्थिति को मान्यता

प्राप्त हो गई हैं। वस्तुतः संरक्षक कौन होता है इसका उल्लेख मैं करता हूं। हनुमान प्रसाद के मामले में दिये गये निर्णय और उस की सीमा के बारे में संघ न्यायालय के प्रतिवेदन के एक छोटे से हिस्से का मैं उल्लेख करता हूं। मेरा ख्याल है कि यह सन् १८५७ का एक प्रख्यात मामला था। उसके बाद से भारत में निर्णय विधि का उचित निर्वचन किया गया है। इस वस्तुतः पहलू का संस्कृत की पुरानी और प्राचीन पुस्तको में पायी जानें वाली घोषणाओं से कोई सम्बन्ध नहीं है। मनु को इसकी जानकारी कदापि नहीं थी। उसे हनुमान प्रसाद को अथवा उसके मामले की जानकारी नहीं थी। निर्णय में यह कहा गया है।

"मैं वस्तुतः संरक्षक शब्द के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। मेरे ख्याल में यह वस्तुतः प्रबन्धक की अभिव्यक्ति के लिये एक असंदिग्ध शब्दावलि है जिसका प्रयोग हनुमान प्रसाद के मामले किया गया है"। वह मामला एक वस्तुतः प्रबन्धक की नियुक्ति के सम्बन्ध में था जिसे कि विधि द्वारा नियुक्त नहीं किया गया।

"विद्वान न्यायाधीशों ने निर्णय के विभिन्न हिस्सों में 'संरक्षक' विधिनुसार तथा वस्तुतः प्रबन्धक शब्दों का प्रयोग किया। इस शब्दावलि का हिन्दु अधिनियम की किसी भी पुस्तक में उल्लेख नहीं है, किन्तु उसनें उन सम्बन्धियों और मित्रों का सही वर्णन किया है जो अवयस्क के हितैषी हैं और जिन्होनें उसके प्रति प्रेम तथा स्नेह के कारण उसकी सम्पत्ति की देखभाल का भार अपने उपर ले लिया था"

मेरी राय में इतना उल्लेख पर्याप्त है।

इसके बाद कई निर्णय दिये गये। इसलिये वस्तुतः संरक्षक कौन हैं या क्या होता है तो यह एक असंदिग्ध सी बात है। वह प्रत्येक मामले मे लक्ष्यों पर निर्भर करता है। ऐसे मामले भी हुए हैं जिनमें यह निर्णय किया गया है कि जब तक कोई व्यक्ति वास्तव में आवश्यक कर्तव्यो का पालन नहीं करता रहा है तब तक वह वस्तुतः संरक्षक नही होता है। ऐसे मामले भी हुए हैं जिनमें यह निर्णय किया गया है कि ऐसे व्यक्ति वस्तुतः संरक्षक हैं। वस्तुतः संरक्षक कौन है? इसलिये यहां केवल यही किया गया है कि वस्तुतः संरक्षक को अवयस्क की सम्पत्ति के बारे में कोई कार्यवाही नहीं करनी चाहिये। मान लीजिये कि कोई अल्पवयस्क है और दुर्भाग्य से उसके माता-पिता का निधन हो जाता है तो उक्त अवयस्क की देखभाल किसी व्यक्ति द्वारा की जानी चाहिये। ऐसे अवयस्कों का संरक्षण नहीं किया जाये यह मैं कहूं इतना दुष्ट मै नहीं हूं। बालहत्या में मुझे कैसे दिलचस्पी हो सकती है? आखिरकार वे निष्पाप अबोध शिशु हैं जिनकी देखभाल किसी व्यक्ति द्वारा की जानी चाहिये। मैं हत्या में क्यों पड़ूं। मैं ऐसी गंदी भाषा का प्रयोग करनें से बचना चाहता हूं, किन्तु मैं इतना अवश्य कहूंगा कि यह तर्क विधान के विरूद्ध ह यह कहने के क्या प्रमाण हैं? यह तो वास्तविक परिस्थिति का मूल्यांकन न किये जाने का परिणाम है। मैं यह नहीं कहता कि माता-पिता के अभाव में उस अभागे शिशु की देखभाल किसी को नहीं करनी चाहिये। यह उपबन्ध अधिनियम में कहां है? मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि वस्तुतः संरक्षक हो सकता है; शिशु की देखभाल किसी न किसी को तो करनीं है। आगे मेरा निवेदन यह है कि ऐसा कोई वस्तुतः संरक्षक अवयस्क की सम्पत्ति का अन्य संक्रामण नहीं करेगा इस बात की प्रत्याभूति क्या है? यदि अवयस्को की देखभाल करने के लिये अच्छे व्यक्ति आगे आते हैं तो इसे मान सकता हू। किन्तू जो उपबन्ध किये जा रहे हैं उनके बारे में क्या आपत्ति है? इन्हीं बातो से सम्बन्धित शब्दावलि को बाद में बदला जा सकता है। किन्तु मेरा निवेदन यह है कि अवयस्कों, जो स्वयं अपनी देखभाल नहीं कर सकते हैं, वे हितों की देखभाल करने के नाम पर कोई भी व्यक्ति सहायता करे यह मैं नहीं चाहता हूं। आखिरकार वह यही व्यवस्था करेगा कि सब सम्पत्ति बिक जाये। इसलिये मैं नहीं चाहता कि किसी ऐसे व्यक्ति को संरक्षक नियुक्त किया जाये। निस्संदेह मैं इसके बारे में बाद में विस्तार से कहूंगा। जो व्यक्ति स्वयं को संरक्षक बना लेते हैं उनकी शक्तियों पर कुछ न कुछ निर्बन्ध तो होना ही चाहिये। आज तो यह स्थिति है, कि यदि संरक्षक तथा प्रतिपाल्य अधिनियम के अन्तर्गत कोई मामला

[श्री पाटस्कर]

अदालत में जाता है तो कोई भी व्यक्ति संरक्षक बन जाता है। इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, किन्तु मैं नही चाहता कि हर कोई न्यायालय में जाये, क्यों कि अवयस्कों की देखभाल करनें के लिये उसके चाचा, चाचियां और अन्य सम्बन्धी होते हैं जो उस की देखभाल कर सकते हैं। मैं इस बात पर विश्वास नहीं करता हूं कि हिन्दु समाज इतना निकृष्ट हो गया है कि उसमें अच्छे व्यक्ति हैं ही नहीं, ऐसे बहुत ही थोड़े हिन्दु होंगे जो उस अवयस्क की जिसके कि संरक्षक वह बनना चाहते हैं सम्पत्ति का अन्य संक्रामण करने के अधिकार को स्थापित करने के लिये लड़ेंगे। मैं ऐसे व्यक्तियों को बुरा संरक्षक मानता हूं। अवयस्कों को ऐसे व्यक्तियों से बचाया जाना चाहिये। यही इस विधेयक द्वारा किया जा रहा है। इससे अधिक कुछ नही। वस्तुतः संरक्षक बनने से लोगों को रोकने के लिये कुछ नहीं किया जा रहा है।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : क्या अब भी कोई संरक्षण शेष रह गया है ?

†**श्री पाटस्कर** : मैंने सभी माननीय सदस्यों को धैर्यपूर्वक सुना है और मेरा ख्याल है मुझे भी यह अधिकार है कि माननीय सदस्य मेरे भाषण को धैर्य से सुनें। माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध हैं की वह मेरे भाषण को सुनें।

अब यह स्वाभाविक संरक्षक कौन हैं ? मैंनें निवेदन किया है कि मैंनें उन्हें एक विशेष बात के बतौर मान्यता दी हैं क्योंकि उन्हें कुछ लोगों द्वारा मान्यता दी जा रही है। मैं इसके विस्तार में नहीं जाऊंगा। मुझे इस संरक्षक के स्वरूप के सम्बन्ध में हुई चर्चा से दुःख हुआ है। पहले तो हम ऐसी कोई कार्यवाही नहीं करना चाहते हैं जो संरक्षक तथा प्रतिपाल्य अधिनियम के लाभदायक उपबन्धों के विरोध में हो।

सर्वाधिक महत्वपूर्ण खंड, खंड १३ है जिसमें यह कहा गया है कि अवयस्क का कल्याण सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा। खंड १३ में इस प्रकार कहा गया है :

"(१) न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को किसी हिन्दु अवयस्क का संरक्षक नियुक्त करने अथवा इसकी घोषणा करते समय अवयस्क के कल्याणका सर्वोपरि ध्यान रखा जायगा।

(२) कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम के अथवा हिन्दुओं में विवाह के ज़रिये अभिभावकता से सम्बन्धित किसी अन्य अधिनियम के उपबन्धों के आधार पर संरक्षक बनने का अधिकारी नहीं होगा यदि न्यायालय की राय में उसकी अभिभावकता अवयस्क के लिये कल्याणकारी नहीं होगी"। इसलिये हमे इस विधेयक के उपबन्धों पर निष्पक्षरूप से विचार करना चाहिये। इस विधेय में ऐसी क्या बात है जिसनें वास्तव में इतना तीव्र विरोध उत्पन्न कर रखा है, यह मेरी समझ में नहीं आया है। मैं यह कहता हूं कि जहां तक इस विधेयक का संबंध है, उसे वापिस ले लेने की कल्पना नहीं की जा सकती क्योंकि वह एक अत्यंत उपयोगी विधान है। मेरा इस सदन के सदस्यों से अनुरोध है कि वह दल और दलगत भावनाओं से उपर उठकर इस विधान पर विचार करें।

जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि उत्तराधिकार जैसी बातें भिन्न रहीं है, किन्तु इस विधेयक में कौन सी बात आपत्तिजनक है ? हम केवल वही करनें का प्रयत्न कर रहे हैं जोकि मौजूदा विधि से संगत है ताकि अवयस्कों के हितों की रक्षा की जा सके। यह पूछा गया है कि "आप स्वाभाविक संरक्षक की शक्तियों पर निर्बन्ध क्यों लगाना चाहते हैं"? इसे समझना अत्यन्त सरल है। मान लीजिये कि एक दम्पत्ति है जिसका एक पुत्र है। यहां विवाद उत्पन्न होने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। किन्तु कई उदाहरण ऐसे मिलते हैं जहां पत्नीं का निधन होने के बाद पति और बच्चे रह जातें हैं और वह पुर्नविवाह कर लेता है। तब वह स्वाभाविकतः उन अभागे बच्चों का संरक्षक बन जाता है जो मातृ-विहीन हो गये हैं। उस स्थिति में उस व्यक्ति के एक अन्य पत्नी और उसके कुल बच्चे भी होते हैं। मैं चाहता हूं कि मेरे वकील मित्र इस बात पर विचार करें। कई मामलों में मैं देखता हूं कि माता और पिता दोनों को पूरे परिवार की देखभाल करनी होती है, उनके बच्चे भी होते है और अन्य हित भी होते है, ऐसे समस्त मामलों में अवयस्क की सम्पत्ति स्वाहा हो जाती है। यही बात है

†मूल अंग्रेजी में।

जिसे रोकने के लिये इस विधेयक में उपबन्ध किये गये हैं। बच्चों का पालन पोषण पिता द्वारा किया जाये इस मे किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने का किसी का भी विचार नहीं है। ऐसे मामलों में अवयस्कों की रक्षा करने के लिये हम क्या कर सकते हैं? सामान्य नियम यह है कि कोई तीसरा व्यक्ति ऐसा होना चाहिये जो उसका संरक्षण प्रत्यक्षतः कर सके। यही सामान्य उपबन्ध है। यदि कोई स्वाभाविक संरक्षक है और यदि वह अवयस्क की सम्पत्ति को बेचकर उसे अन्य संक्रामित करना चाहता है तो क्या उस सम्पत्ति को हमें बचाना नहीं चाहिये? मुझे बताया गया है कि शब्द "कार्यवाही" करना आवश्यक नहीं है। सम्भव है कि शब्दरचना में कुछ कठिनाई हो। हम यथा समय पर उसके बारे में विचार कर सकते हैं।

कुछ सदस्यों ने कहा है कि सम्पत्ति को सौ साल तक के लिये पट्टे पर दिया जा सकता है, उसे बेचा न जाये अथवा उसे बन्धक न रखा जाय। यहां भी हम नहीं चाहते हैं कि ऐसी बातें हों। हम यह करना चाहते हैं कि जब तक बच्चे वयस्कता प्राप्त करें उन की सम्पत्ति का ध्यान रखा जाना चाहिये और सम्पत्ति उनको मिलनी चाहिये। इसीलिये हमनें इस विधेयक में यह उपबन्ध किया है।

कुछ दूसरे विधेयकों के बारे में जो तर्क दिया गया है, वही तर्क इस मामले में भी दोहराया गया है और वह जम्मू और काश्मीर को सम्मिलित करने के बारे में है। मैं सभा को बता दूं कि प्रविधिक काठिनाइयों के कारण विधि उस समय के लिये पारित नहीं की जा सकती जिनकी कई बार व्याख्या की गई है। बहुत सी उलझनें हैं जिनका मुझे वर्णन करने की आवश्यकता नहीं। परन्तु मुझे सभा को यह बताने में प्रसन्नता हो रही है कि हमनें जो हिन्दु विवाह विधेयक पारित किया है वह अब जम्मू और काश्मीर सरकार पर लागू होता है। उसनें इस को अपना लिया है। अपनाने की प्रक्रिया जारी है। संभवतः वह हमारा हिन्दु उत्तराधिकार विधेयक भी अपना लेगी। हमें उचित ढंग से चलना होगा और हमें इन तरीकों को अन्य प्रकार के तरीकों के साथ नहीं मिलाना चाहिये, जो हमारे मन में हैं। मुझे विश्वास है कि इन व्याख्याओं की दृष्टि से विधेयक के उपबंधों के प्रति कोई आपत्ति नहीं होगी। जहां तक मैं समझता हूं विधेयक सन्तोषजनक है और यदि हम इसे विधि बना लें, तो मुझे भरोसा है कि देश इसे स्वीकार करेगा। कुछ उपबंधो के बारे में कुछ आपत्तियां की गई है। जब हम खंडों की चर्चा करेंगे तब मैं उनके बारे में उत्तर दूगां। अब मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि राज्य सभा नें जो विधेयक पारित किया है हमें उसे अवयस्कों के हित में पारित करना होगा।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि हिन्दुओं में अवयस्कता तथा संरक्षता से सम्बद्ध विधि से कतिपय भागों का संशोधन करने और उनको संहिताबद्ध करने वाले विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**उपाध्यक्ष महोदय** : खंड २ में कोई भी संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है: "कि खंड दो विधेयक का अंग बनें"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड दो विधेयक में जोड दिया गया।

†मूल अंग्रेजी में।

खंड ३ (अधिनियम का लागू होना)

†**श्री नन्द लाल शर्मा** : मैं अपने संशोधन संख्या २३, २४ और २५ प्रस्तुत करता हूं। संशोधन संख्या २३ का उद्देश्य यह है कि जैन, बौद्ध और सिख हिन्दु समाज के अभिन्न अंग हैं, अतः उन्हें हिन्दुओं से पृथक नही रख जाना चाहिये। संशोधन २४ आनुषंगिक संशोधन है और संशोधन २५ के द्वारा मैं उपखंड (२) को हटाना चाहता हूं, क्योंकि जो लोग अभी तक मुस्लिम या ईसाई विधि से शासित नहीं होते थे, उन्हें हिन्दु माना जाना चाहिये। अनुसूचित आदिम जातियां तो हिन्दु संस्कृति का अंग बन ही चुकी हैं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : संशोधन प्रस्तुत हुए।

†**श्री कृ० ल० मोरे** (कोल्हापुर एवं सतारा रक्षित अनुसुचित जातियां) : मैं प्रस्ताव करता हुं कि : पृष्ठ १, पंक्ति २१ और २२ में "for which provision is made" ["जिसके लिये उपबन्ध किया गया है"] के स्थानपर "dealt with" ["व्यवहृत रखा जाय"]।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : संशोधन प्रस्तुत हुआ।

†**श्री पाटस्कर** : मैं श्री मोरे के इस संशोधन को स्वीकार करता हूं, क्योंकि इससे हिन्दु विवाह अधिनियम और हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम में दी गयी परिभाषाओं के साथ इस परिभाषा की एक समता हो जायेगी।

श्री नन्द लाल शर्मा के संशोधनों के बारे म मैं कहना चाहता हूं कि विधेयक में दी गयी परिभाषा पहले ही स्वीकार की जा चुकी है। यह खंड अधिनियम के लागू होने के बारे में है और परिभाषा बड़ी लंबी चर्चा का विषय रही है। बड़े विचार के बाद जो परिभाषा निश्चित की गयी है हमें उसे ही स्वीकार करना चाहिये। इसलिये मैं संशोधन संख्या २३, २४ और २५ को स्वीकार नहीं करता।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

कि पृष्ठ १, पंक्ति २१ और २२ में "for which provision is made" "[जिस के लिये उपबन्ध किया गया है]" के स्थान पर dealt with["व्यवहृत"] रखा जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा श्री नन्द लाल शर्मा के संशोधन संख्या २३, २४ और २५ सभा के समक्ष मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड ३, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड ३, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड ४—परिभाषायें

†**श्री कृ० ल० मोरे** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ २ पर—

(१) पंक्ति २६ में "or" ["या"] हटा दिया जाये :

(२) पंक्ति २८ में "or" ["या"] हटा दिया जाये : और

(३) पंक्ति २९ में "or" ["या"] के स्थान पर "and" ["और"] रखा जाये।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†श्री नन्द लाल शर्मा : मैं संशोधन संख्या २६ प्रस्तुत करता हूं जिसका उद्देश्य है कि संरक्षकत्व केवल माता-पिता तक सीमित नहीं रहना चाहिये, अपितु सब से बड़ा भाई और दादा आदि संरक्षक भी सम्मिलित किये जाने चाहिये ।

†श्री पाटस्कर : चूंकि वर्तमान हिंदू विधि के अनुसार माता और पिता ही प्राकृतिक संरक्षक हैं, मैं श्री नन्द लाल शर्मा का संशोधन स्वीकार करने में असमर्थ हूं ।

†उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

कि पृष्ठ २ पर—

(१) पंक्ति २६ में "or" ["या"] हटा दिया जाये;

(२) पंक्ति २८ में "or" ["या"] हटा दिया जाये; और

(३) पंक्ति २९ में "or" ["या"] के स्थान पर "(and)" "और" रखा जाए ।

†उपाध्यक्ष महोदय द्वारा श्री नन्द लाल शर्मा का संशोधन सभा के मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

†उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड ४, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ४, संशोधित रूप में विधेयक मे जोड़ दिया गया ।

खण्ड ५ (अधिनियम का अधोभावी प्रभाव)

†श्री कृ० ल० मोरे : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि पृष्ठ ३, पंक्ति ३ में "made" ["किया गया"] के स्थान पर "contained" ["सम्मिलित"] रखा जाय ।

†उपाध्यक्ष महोदय : संशोधन प्रस्तुत हुआ ।

†श्री नंदलाल शर्मा : मैं अपना संशोधन संख्या २७ प्रस्तुत करता हूं । इस का उद्देश्य यह है कि इस अधिनियम के होते हुए भी, हिन्दु शास्त्रों और स्मृतियों का प्रभाव यथावत जारी रहना चाहिये और इस विधि को हिन्दु शास्त्रों का निर्वाचन और संहिताकरण माना जाना चाहिये ।

†उपाध्यक्ष महोदय : संशोधन प्रस्तुत हुआ ।

†श्री पाटस्कर : मुझे खेद है कि मैं श्री नन्द लाल शर्मा के संशोधन को स्वीकार करने में असमर्थ हूं । मैं समझता हूं कि स्पष्ट कारणों से वह अनुभव करेंगे कि जहां तक इस विधेयक का और विशेष-कर प्रकृति संरक्षक वास्तविक संरक्षकों संबंधी उपबन्धों का संबंध है,मैं पहले ही कह चुका हूं कि इसका मूल हिन्दु शास्त्रों से कोई सरोकार नही है, जिनके लिये मेरे मन में बड़ी श्रद्धा है ।

अब मैं खंड ५ के उपखण्ड (२) को लेता हूं। पंडित ठाकुर दास भार्गव और एक दो दूसरे मित्रों की युक्तियों से मैं देखता हूं कि इस उपखंड (ख) का इस प्रकार निर्वचन किया जायगा कि इस की संरक्षक तथा प्रतिपाल्य अधिनियम के किसी उपबन्ध पर कुप्रभाव पड़ेगा, जो पहले से विद्यमान है । मैं समझता हूं कि स्थिति स्पष्ट है कि ऐसी बात नहीं है । केवल उद्देश्य यह है कि वर्तमान विधि के प्रवर्तक में परिवर्तन लाया जाय । संरक्षक तथा प्रतिपाल्य अधिनियम के उपबन्धों में कोई परिवर्तन करने का कोई इरादा नहीं है । यदि आप अनुमति दें तो मैं उपखंड (क) को रखना चाहता हूं और उपखंड (ख) को निकालना चाहता हूं श्री मोरे के संशोधन की आवश्यकता न रहेगी । खंड ५ इस प्रकार पढ़ा जाना चाहिये :

"इस अधिनियम में स्पष्ट रूप से उपबंधित दशाओं को छोड़कर हिन्दु विधि का कोई पाठ नियम या निर्वचन उस विधि के अंग के रूप में कोई प्रथा या रूढ़ी, जो इस अधिनियम के आरम्भ होने से तुरंत पहले लागू हो, किसी ऐसे मामले के बारे में प्रभावी नहीं रहेगी, जिसके लिये इस अधिनियम

†मूल अंग्रेजी में ।

[श्री पाटस्कर]

से उपबन्ध किया गया है।" यहां खंड समाप्त हो जाता हैं। उपखंड (ख) को मैं अनावश्यक समझता हूं। और कोई विधि नहीं है। उपखंड (ख) को निकालने का यह प्रभाव होगा। मैं चाहता हूं कि मेरे माननीय मित्र भी इसे इस दृष्टिकोण से सोचें। माननीय सदस्यों ने कहा है कि उपबन्ध से यह प्रतीत होता है कि हम वर्तमान विधि में परिवर्तन कर रही है। ठीक हैं हम परिवर्तन कर रहे हैं। उपखंड (ख) में कहा है :

"(ख) इस अधिनियम के आरम्भ होने से तुरंत पूर्व जो कोई दूसरी विधि लागू हो वह उस हद तक प्रभावी नहीं रहेगी, जहां तक वह इस अधिनियम में किये गये किसी उपबन्ध से असंगत हो। मैं नही समझता कि हमने वास्तव में ऐसा कोई उपबन्ध किया है जो संरक्षक तथा प्रतिपाल्य अधिनियम से असंगत हो।" हो सकता है कुछ लोग यह दलील दें। जहां तक मेरा संबंध है, और किसी विधि में संशोधन नहीं करना होगा। किसी विशिष्ट मामले के बारे में किसी तर्क को स्थान देने का सरकार का इरादा नही है। इसलिये मैंनें उपखंड (ख) को निकालने की स्वीकृति दे दी है, ताकि किसी भी व्यक्ति को यह कहने का अवसर न मिले कि इस उपखंड को लागू करके हम कोई ऐसी चीज करने का प्रयत्न कर रहे हैं जो खंड में किये गये उपबंडों से असंगत है और या कि इस अधिनियम के उपबन्ध इसके बाद स्पष्ट रूप से उपबंधित बात को छोड़ कर, और संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम के विपरीत नहीं बल्कि उसके अतिरिक्त होंगें।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यह बड़ी विचित्र बात दिखाई देती है।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : माननीय मंत्री संरक्षक तथा प्रतिपाल्य अधिनियम को बाकी समाज के लिये जारी रखना चाहते हैं। परन्तु जब तक खंड (२) में "इसके बाद स्पष्ट रूप से उपबंधित दशाओं को छोड़ कर" ये शब्द रहेगे, उपखंड (ख) को निकालने से कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि इन शब्दों में उपखंड (ख) का सार आ जाता है। उदाहरणतया अल्पवयस्क व्यक्ति इस अधिनियम के दिये गये अर्थों के अन्दर आयेगा संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम मे दिये गये अर्थों के अन्दर नहीं। इसी प्रकार दोनों अधिनियमों के उपबन्धों में परस्पर विरोध हो सकता है। इसलिये खंड २ के यथावत रहते हुए इस संशोधन का कोई मतलब नहीं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री इस उपबन्ध को अनावश्यक समझ कर इसे निकालना चाहते हैं।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : चूंकि हम खंड २ को पारित कर चुके हैं, इसलिये यह संशोधन अनियमित है। हमें खंड २ से उपरोक्त शब्दों को निकाल देना चाहिये, तब माननीय मंत्री का इरादा पूरा हो सकेगा, अन्यथा स्थिति पूर्ववत रहेगी।

†**श्री पाटस्कर** : माननीय सदस्यों की इच्छाओं का आदर करते हुए ही मैंने इस संशोधन को स्वीकार किया है। मैं इस खंड में कोई परिवर्तन करना नहीं चाहता। मैं केवल माननीय सदस्यों की कुछ आशकांओं को दूर करने के लिये यह संशोधन रखना चाहता था। शायद माननीय सदस्य कुछ और चाहते थे। मैं उसे स्वीकार नहीं कर सकता। मैं श्री मोरे का संशोधन स्वीकार कर लूंगा और आगे बढ़ेंगे।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

कि पृष्ठ ३, पंक्ति ३ में "made" ["किया गया"] के स्थान पर "contained" ["सम्मिलित"] रखा जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा श्री नन्द लाल शर्मा का संशोधन संख्या २७ सभा के मतदान के लिये रखा गया, और अस्वीकृत हुआ।

• †मूल अंग्रेजी में।

†उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड ५, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ५–संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड ६–(हिंदु अल्पवयस्क के प्राकृतिक संरक्षक)

†**श्री कृ० ल० मोरे** : मैं अपना संशोधन संख्या १४ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री नन्द लाल शर्मा** : मैं अपना संशोधन संख्या २८ प्रस्तुत करता हूं ।

इसके कारण पहले बताये जा चुके हैं। माता और पिता दोनों की मृत्यु के पश्चात बच्चों की विशेषकर लड़कियों के देखभाल के लिये कोई संरक्षक होना चाहिये । इसलिये दादा स्वाभाविक संरक्षक होना चाहिये और उसकी मृत्यु के पश्चात सब से बड़ा भाई और चाचा, जो उसी परिवार में रहते हैं, संरक्षक होना चाहिये ।

†**श्रीमति जयश्री** : मैं अपने संशोधन संख्या ३, ४ और १३ प्रस्तुत करती हूं ।

†**श्रीमति रेणु चक्रवर्ती** : मैं संशोधन संख्या १७ प्रस्तुत करती हूं ।

मै चाहती हूं कि अवयस्क बच्चे को माता की अभिरक्षा में रखना चाहिये क्योंकि बाल्यकाल में उसके लिये माता की देखभाल की अत्यन्त आवश्यकता होती है । इसी उद्देश्य से मैंने यह संशोधन प्रस्तुत किया है ।

मैं श्रीमती जयश्री के संशोधन संख्या ३ और ४ का भी समर्थन करती हूं क्योंकि मैं अनुभव करती हूं कि इससे बहुत सी बातें स्पष्ट हो जायेंगी । संशोधन संख्या ४ और मेरा संशोधन संख्या १७ एक ही सिद्धांत पर आधारित हैं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : संशोधन प्रस्तुत हुए ।

†**श्री टेक चन्द** : (अम्बाला–शिमला) : मैं श्री कृ० ल० मोरे के संशोधन का विरोध करता हूं, क्योंकि मेरा विचार है कि (ख) की भाषा काफी स्पष्ट है और इससे कोई कठिनाई नहीं होगी । मेरे माननीय मित्र के मतानुसार यदि कोई व्यक्ति वाणप्रस्थ अथवा संन्यास धारण कर लेता है तो उसे अपने बच्चे का संरक्षक बनने का कोई अधिकार नहीं रह जाता है परन्तु मैं इससे सहमत नहीं हूं।

मैं श्री नन्द लाल शर्मा के संशोधन संख्या २८ का समर्थन करता हूं । इस विधेयक म हमें एक यही त्रुटि दिखाई देती है कि हिन्दु बालक को संरक्षण से वंचित किया जा रहा है जो कि इस विधेयक के उद्देश्य के प्रतिकूल है । मैं माननीय मंत्री का ध्यान भारतीय दंड-संहिता की धारा ३६१ की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जिसके अनुसार बालापहरण को अपराध माना गया है । बालक को वैध संरक्षक से छीन लेने को ही बालापहरण कहा जायेगा । धारा ३६१ के उपबन्धों को पढ़ने के पश्चात यदि स्थिति की जांच की जाय तो हम देखेगें कि यदि किसी ऐसे बालक का अपहरण किया जाता है जो अपनें भाई, चाचा या दादा के पास रहता है तो वह दंड-संहिता के अनुसार अपराध नहीं माना जायगा और बाल्यापहरण करने वाले को किसी प्रकार का भय नहीं होगा, और यदि किसी मुसलमान बच्चे का बाल्यापहरण किया जाता है तो वह दंड-सहिता की धारा ३६३के अन्तर्गत दंडनीय है । इसलिये वस्तुतः संरक्षक का होना अत्यन्त आवश्यक है । इसीलिये मैं अपने मित्र के संशोधन का समर्थन करता हूं कि माता और पिता की मृत्यु के पश्चात अन्य उल्लिखित बन्धुओं को अभिभावक माना जाये क्योंकि यह सब बच्चे की भलाई को अपने सामनें रखेगें । उन्हें भी स्वाभाविक संरक्षक की श्रेणी में ही रखा जाना चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[श्री टेक चन्द]

मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं। वह यह है कि खंड ६ की व्याख्या में "माता" और 'पिता" की परिभाषा में सौतेले माता पिता नहीं आते हैं। परन्तु कई ऐसे मामले होंगें जिन में स्वाभाविक संरक्षक की मृत्यु हो जाती है और सौतेला बाप या मां ही एक मात्र संरक्षक रह जाते हैं तो ऐसे मामलों में सौतेले बाप अथवा मां को संरक्षक बनने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिये। परन्तु बच्चे का ध्यान न रखने पर उन्हें संरक्षकता के अधिकार से वंचित करने के लिये कोई विशेष उपबंध बनाया जाना चाहिये। यदि संरक्षक उत्तरदायित्व को सम्भालने में असमर्थ हो तो ऐसी अवस्था में तो वास्तविक संरक्षक को भी संरक्षकता के अधिकार से वंचित किया जा सकता है।

†**श्री बर्मन :** खंड ६ (क) में लड़के अथवा अविवाहित लड़की के संरक्षक की व्यवस्था की गई है। उसमें यह भी व्यवस्था की गई है कि पांच वर्ष की आयु तक बालक माता की अभिरक्षा में ही रहेगा। परन्तु खंड ७ में गोद लिये बच्चों के लिये यह व्यवस्था नही की गई है, यह भेद-भाव नहीं होना चाहिये। हिन्दु विधि के अनुसार जब कोई बालक गोद लिया जाता है तो जिस परिवार में उसका जन्म हुआ होता है उस से उसका कोई सम्बन्ध नहीं रह जाता है और वह दूसरे परिवार के अधिकारों और आभारों का उपभोग करनें का पूर्ण अधिकारी हो जाता है, अतः यह भेद भाव नहीं होना चाहिये।

यदि माननीय मंत्री मेरे विचार से सहमत हों तो खंड ७ को खंड ६ में ही मिला देना चाहिये। मेरा अभिप्राय यह है कि खंड ६ में ही यह उपबन्ध होना चाहिये कि यदि परिवार में पैदा हुए पुत्र अथवा पुत्री और गोद लिये पुत्र अथवा पुत्री की आयु यदि पांच वर्ष से कम हो तो माता संरक्षक रहेगी।

यदि माननीय मंत्री इसे स्वीकार करें तो खंड ६ में ही यह संशोधन कर देने से अन्य मामलों में सुविधा हो जायगी।

खंड ९ में हमने इच्छापत्रीय संरक्षणता की व्यवस्था की है। वहां एक वैध बच्चे का प्रयोग किया गया है। वैध बच्चे वे होते हैं जो विधिपूवर्क विवाह के परिणामस्वरूप उत्पन्न होते हैं। अब कठिनाई यह पैदा होगी कि क्या गोद लिये बालक को वैध बालक माना जाये या नहीं। परन्तु खंड ६ में इस संशोधन को करनें से यह कठिनाई भी दूर हो जायगी।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव :** मतदान से पूर्व में आपके द्वारा मैं श्रीमती जयश्रीसे, जिन्हों नें उप खंड (ग) को निकालने का संशोधन रखा है यह पूछना चाहता हूं कि वह विवाहित अवयस्क पुत्री का संरक्षक उसके पिता को बनाना चाहती हैं, या किसी अन्य व्यक्ति को ?

†**श्रीमति जयश्री :** हमने स्त्रियों को समान अधिकार दिये हैं। इस उपबन्ध की कोई आवश्कता नहीं है।

†**श्री पाटस्कर :** संशोधन संख्या ३,४ और १३ से श्रीमती जयश्री का अभिप्राय यह है। संशोधन ३ इस प्रकार है :

"पिता, और उसके पश्चात, माता" शब्दों के पश्चात "ऐसी अवस्था में जबकि पिता जीवित होते हुए भी संरक्षक का कार्य करने के लिये अयोग्य हो अथवा वह करना न चाहता हो, माता" शब्द बढ़ाये जाये।

मैं समझता हूं कि इस विषय में कुछ गलतफहमीं है, जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया खंड ६ स्वाभाविक संरक्षकों को मान्यता देता है और वे माता और पिता ही हो सकते हैं। अतः हम कहते हैं "पुत्र अथवा अविवाहित पुत्री के मामले में—तो पिता और उसके पश्चात माता—परन्तु साधारणतया वह बच्चा, जिसकी आयु पांच वर्ष से कम है, माता की अभिरक्षा में रहेगा" वर्तमान विधि इसी प्रकार है। माननीय महिला सदस्या यह चाहती हैं कि यदि बाप जीवित है परन्तु वह संरक्षक बनने के अयोग्य है

†मूल अंग्रेज़ी में।

या अनिच्छुक है या बनना ही नहीं चाहता है तो माताको संरक्षक बनाया जाना चाहिये। हम स्वाभाविक संरक्षकों की व्यवस्था करने का प्रयत्न कर रहे हैं।प्रतिपालक अधिकरण अधिनियम अथवा अभिभावकता तथा प्रतिपालक अधिनियम के अन्तर्गत नियुक्त किये गये संरक्षकों का मामला इससे बिल्कुल अलग है। कुछ व्यक्तियों को मान्यता दी गई है। यदि हम माननीय महिला सदस्या के सुझाव के अनुसार एक उपबन्ध सम्मिलित कर लें तो उससे बड़ी उलझनें पैदा होंगी। इसका निर्णय करने के लिये कोई व्यक्ति होना चाहिये कि क्या वह अयोग्य है या नहीं उस कार्य को करना चाहता है अथवा नहीं, आदि आदि। इसका निर्णय न्यायालय ही कर सकता है। यदि पिता वास्तव में संरक्षक बनने के अयोग्य है या वह बनना नहीं चाहता है तो संरक्षक तथा प्रतिपालक अधिनियम के उपबन्धों का आश्रय लिया जा सकता है। इसका निश्चय केवल इसी प्रकार किया जा सकता है। इस उपबन्ध को रखने से इसमें सुधार नहीं हो सकता,मैं माननीय महिला सदस्यों के उद्देश्य से सहमत हूं,परन्तु उसकी पूर्ति इस उपबन्ध से नही की जा सकती है। अधिनियम में पहले से ही ऐसा उपबन्ध विद्यमान है जिसके द्वारा न्यायालय से इसका निर्णय कराया जा सकता है। परन्तु यदि यहां पर उपबन्ध समाविष्ट कर दिया जाता है तो सम्बंधित दलों में इसके कारण झगड़े पैदा होंगे। पिता कहेगा कि माता अयोग्य है और माता कहेगी कि पिता अयोग्य है।

इसलिये यह संशोधन करनें से नहीं बल्कि संरक्षक तथा प्रतिपाल्य अधिनियम में विहित प्रकिया से ही यह उद्देश्य पूरा होगा। अतः मैं आशा करता हूं कि माननीय महिला सदस्या इस संशोधन को वापस ले लेंगीं।

संशोधन संख्या ४ में उन्होंने कहा है कि पिता की मृत्यु के पश्चात अवयस्क १४ वर्ष की आयु तक साधारणतः माता की अभिरक्षा में रहेगा। इसके लिये यहां क्या उपबन्ध है ?

"पुत्र अथवा अविवाहित पुत्री के मामले में तो पिता, और उसके पश्चात माता, साधारणतया वह बच्चा जिसकी आयु पांच वर्ष से कम है, माता की अभिरक्षा में रहेगा।"

ऐसी स्थिति कब उत्पन्न होगी ? जब तक माता और पिता दोनों एक साथ रहे हों तब तक यह प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होगा। यह प्रश्न तभी उत्पन्न होगा जब माता और पिता में झगड़ा हो जाय। यदि उसकी आयु पांच वर्ष भी नहीं है तो साधारण स्थिति में वह माता की अभिरक्षा में रहेगा। यह बात केवल न्यायालय के मार्ग प्रदर्शन के लिये है, न्यायालय के निर्णय में हम हस्तक्षेप नहीं करगे। सम्भव है कि कई मामलों में न्यायालय यह निश्चय करे कि बालक के माता और पिता दोनों ही बुरे हैं और कोई तीसरा व्यक्ति बालक का अभिभावक होना चाहिये, यदि दुर्भाग्यवश बालक की माता और पिता के बीच उसकी अभिरक्षा के बारे में विवाद हो तो यह न्यायालय का मार्ग प्रदर्शन करेगा। इस समय भी न्यायालय इस सिद्धांत का ही अनुसरण करते हैं। यह कोई प्रश्न नहीं है कि पुत्री माता के साथ रहे या पुत्र पिता के साथ रहे या पुत्री युवती होने तक माता के साथ रहे, इनका इस बात से कोई सम्बन्ध नहीं है, हमने तो यही कहा है कि पांच वर्ष की आयु होने तक बालक माता की अभिरक्षा में रहेगा।

श्री टेक चन्द की बात का उत्तर देने से पहले मैं श्री बर्मन की बात का उत्तर दूगां। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि सामान्य खंड अधिनियम में पुत्र की परिभाषा में गोद लिया पुत्र भी आ जाता है। खंड ६ के बारे में कोई कठिनाई नहीं है। गोद लिये पुत्र के बारे में प्रश्न तब उत्पन्न होता है जब वास्तविक पिता और गोद लेनें वाला पिता दोनों जीवित होते हैं। इसीलिये यह रखा गया था। इसे खंड ७ में इसलिये रखा गया है कि कई ऐसे मामले भी हो सकते है जिनमें बावजूद इसके कि पुत्र की परिभाषा में गोद लिया पुत्र भी आ जाता है, वास्तविक पिता संरक्षक होनें का दावा करे। हमारा कहना है कि इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये गोद लिये अवयस्क पुत्र का स्वाभाविक संरक्षक गोद लेनें वाला पिता ही होना चाहिये। स्वाभाविक है कि जब किसी परिवार के पुत्र को कोई दूसरा परिवार गोद ले लेता है तो स्वाभाविक संरक्षकता का अधिकार जो कि हिन्दु विधि का एक विशेष

[श्री पाटस्कर]

पहलू है, गोद लेने वाले मां बाप को मिल जाता है। गोद लिये और दूसरे पुत्र में कोई अन्तर नहीं होता है। यदि आवश्यक हुआ तो खंड ७ पर चर्चा करते समय मैं इसकी अधिक व्याख्या करूंगा। पुत्र की परिभाषा यहां नहीं दी गई है अतः यहां सामान्य खंड अधिनियम लागू होगा।

श्री टेक चन्द ने भारत की दंड-संहिता की धारा ३६१ के आधार पर कुछ तर्क प्रस्तुत किये। उनका विचार है कि वस्तुतः संरक्षकों को निकाल देने के परिणाम बहुत खराब होंगे। दंड-संहिता की धारा ३६१ में क्या उपबन्ध किया गया है?

"इस धारा में 'वैध संरक्षक' की परिभाषा में वह व्यक्ति भी आ जाता है जिसे वैध रूप से अवयस्क को अथवा अन्य व्यक्ति को अभिरक्षा में रखने के लिये कहा जाये।"

मुसलमानों और ईसाइयों में कोई स्वाभाविक संरक्षक नहीं होते हैं, उन अवयस्क बालकों का क्या होगा जिनके मां, बाप जीवित नहीं हैं? क्या उनका बाल्यापहरण सरलता से नहीं किया जा सकता था? धारा का निर्वाचन करने का यह गलत तरीका है। जो व्यवस्था पहले की जा चुकी है उसे वापस लेना भी ठीक नहीं है। इसमें हम उन स्वाभाविक संरक्षकों को मान्यता देने का प्रयत्न कर रहे हैं जिन्हें हिन्दु विधि द्वारा पहले ही मान्यता दी जा चुकी है।

खंड ४ में परिभाषा के बारे में तर्क प्रस्तुत किया गया। इस अधिनियम में दी गई परिभाषायें केवल इसी अधिनियम के प्रयोजनों के लिये हैं, हम उन्हें अन्य उन अधिनियमों के प्रयोजनों के लिये जिन पर हम विचार नहीं कर रहे हैं, काम में नहीं ला सकते (**अन्तर्बाधियें**)

मेरे विचार से तो यदि यथार्थवादी दृष्टिकोण से देखा जाय तो इस खंड ६ में किसी भी संशोधन की आवश्यकता नहीं है, इसे इसी रूप में रहने दिया जाये। यदि हम इसे उपयुक्त दृष्टिकोण से देखें तो इसी परिणाम पर पहुंचेगें कि हम इसमें केवल हिन्दु विधि द्वारा पहले से ही मान्यता प्राप्त स्वाभाविक संरक्षकों को ही मान्यता देने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री मोरे के संशोधन का उद्देश्य यही है कि वे चाहते हैं कि इसे अन्य अधिनियम की शब्दावली के अनुसार ही बना दिया जाये। श्री टेक चन्द द्वारा दिये गये तर्क से मैं अधिक प्रभावित हुआ हूं। मैं इस मामले को दूसरे ही दृष्टिकोण से देखना चाहता हूं। यह भी हो सकता है किसी व्यक्ति ने संसार से संन्यास ग्रहण कर लिया हो, या किसी धार्मिक संस्था में प्रवृत्त हो गया हो, लेकिन शायद फिर भी वह अवयस्क की देखभाल करने की स्थिति में हो। मैं इस संशोधन को शीघ्रता में स्वीकार करना पसन्द नहीं करूंगा। जब इसे संहिताबद्ध करने और इसमें एकरूपता लाने का समय आयेगा तब मैं उसी अवस्था में, इसमें कुछ हेर-फेर करना चाहूंगा। इसलिये मैं यहां प्रस्तुत किये गये सभी संशोधनों का विरोध करता हूं, और मुझे आशा है कि माननीय सदस्य मेरे द्वारा की गई व्याख्या को देखते हुए अपने संशोधनों को वापिस ले लेगें।

†**श्रीमति रेणु चक्रवर्ती :** माननीय मंत्री नें कहा है कि इस विधेयक के निर्माताओं की सामान्य इच्छा यहीं है कि साधारणतया अवयस्क की अभिरक्षा का भार माता को ही सौंपा जाये। इस लोक-सभा के सभी सदस्य यह भी महसूस करते है कि पांच वर्ष की आयु बहुत कम है। क्या इन दोनों बातों को देखते हुए, माननीय मंत्री उसे बिल्कुल ही हटा देगें, या अधिक आयु की कोई सीमा निश्चित कर देगें?

†**श्री पाटस्कर :** मैं पहले ही बता चुका हूं कि उस से कोई भी उद्देश्य पूरा नहीं हो सकेगा। हम केवल इसका एक संकेत भर कर सकते हैं अवयस्क के हितों को सदा ही ध्यान में रखा जायेगा। आम तौर पर यही कहा जा सकता है कि बुद्धिमत्ता के विचार से एक दूध पीते बच्चे को कभी भी माता से अलग नहीं किया जाना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री नन्द लाल शर्मा :** माननीय मंत्री ने अभी अभी कहा कि वस्तुतः संरक्षणतः पर कहीं भी रुकावट नहीं है। लेकिन खण्ड ४ में तो केवल चार ही प्रकार के संरक्षक रखे गये हैं, उसमें इस प्रकारका पांचवा कोई भी वर्ग नही है।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** हम काफी आगे बढ़ चुके हैं। क्या इन सभी संशोधनों को एक साथ रखा जा सकता है।

†**श्रीमति रेणु चक्रवर्ती :** मैं चाहती हूं कि श्रीमती जयश्री के संशोधन संख्या ४ को अलग से रखा जाय।

†**उपाध्यक्ष महोदय** द्वारा संशोधन संख्या ४, मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** द्वारा संशोधन संख्या १४, २८, ३, १३, और १७ मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खंड ६ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**खण्ड ६ विधेयक में जोड़ दिया गया।**

खण्ड ७– (दत्तक पुत्र की प्राकृतिक संरक्षकता)

†**श्री बर्मन :** मैं अपना संशोधन संख्या १५ वापिस लेता हूं।

†**श्री नन्द लाल शर्मा :** मैं संशोधन संख्या २९ प्रस्तुत करता हूं।

क्लाज़ (खंड) ७ में मेरी जो एमेंडमेंट (संशोधन) २९ है उसके द्वारा मैंनें यह चाहा है कि एडाप्टिड चाइल्ड (दत्तक बच्चे) के एडाप्टिड माता तथा पिता की मृत्यु के बाद उनका जो एडाप्टिड माईनर (दत्तक अवयस्क) है वह असुरक्षित न रह जाय। इस वास्ते उसके जो माता पिता हैं उनको भी उनके नैचुरल गार्डियन (स्वाभावकि संरक्षक) होने का अधिकार प्राप्त होना चाहिये। इस प्रयोजन को सिद्ध करनें के लिये मैंनें इस क्लाज़ में यह शब्द जोड़ दिये हैं। मैं आशा करता हूं कि कोई विशेष झगड़े की बात नहीं है और माननीय मंत्री महोदय इसे स्वीकार कर लेगें।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** संशोधन प्रस्तुत हुआ।

†**श्री पाटस्कर :** मुझे खेद है कि मैं इस संशोधन को स्वीकार नही कर सकता और शायद वहां संगत भी नही है। इस विधेयक में योजना यह रखी गई है कि अवयस्क दत्तक पुत्र की स्वाभाविक संरक्षकता का भार, उसके गोद लिये जाने पर, गोद लेने वाले पिता पर ही आ जाता है, इत्यादि। इसे पारित करने के बाद मैं इस योजना को फिर से बदलना नहीं चाहता।

†**श्री नंद लाल शर्मा :** मान लीजिये कि गोद लेने वाला पिता और गोद लेने वाली माता दोनों ही की मृत्यु हो गई हो, तो क्या होगा।

†**श्री पाटस्कर :** संरक्षक तो मौजूद हैं।

†**श्री टेक चन्द :** मुझे लगता है कि इसमें पारिभाषित अस्पष्टता है। खंड ७ में गोद लेने वाले पिता के बाद गोद लेने वाली माता को रखा गया है। हिन्दु विधि के अनुसार माता को गोद लेने का अधिकार नही है। उसमें केवल गोद लेने वाला पिता ही होता है और उसकी पत्नी उस बच्चे की गोद लेने वाली माता नहीं हो जाती है। मेरा सुझाव है कि गोद लेने वाला पिता वाली परिभाषा पूरी तौर पर उस व्यक्ति की परिभाषा नहीं करती।

†मूल अंग्रेजी में।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** माननीय मंत्री के कथन का भी यही आशय था।

†**श्री पाटस्कर:** तब मुझे इसका उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या २६ सभा के समक्ष मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खंड ७ विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**खण्ड ७— विधेयक मे जोड़ दिया गया।**

खण्ड ८— (स्वाभाविक संरक्षक की शक्तियां)

†**श्रीमति रेणु चक्रवर्ती :** मैं अपने संशोधन संख्या १८ और १९ को प्रस्तुत नहीं करूंगी।

मैं संशोधन संख्या २० प्रस्तुत करती हूं।

†**श्री नंद लाल शर्मा :** मैं संशोधन संख्या ३० प्रस्तुत करता हूं।

मैं यह चाहता हूं कि यदि कोई गार्डियन (संरक्षक) कोई पिता या माता स्नेहवश कोई सम्पत्ति जो उसनें अपनें ही धन से खरीदी हो या स्वंय प्राप्त की हो उसको अपने संतान के नाम पर लगा देता तो यह सारे के सारे प्रतिबन्ध उसके उपर नहीं लगनें चाहिये और आवश्यकता पड़ने पर उसके अन्यथा उपयोग करने की आज्ञा उसे होनी चाहिये। मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय इस मामूली सी एमेंडमेंट (संशोधन) को तो अवश्य ही स्वीकार कर लेगें।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** संशोधन प्रस्तुत हुए।

†**श्री पाटस्कर :** इस बात को देखते हुए कि मेरे इस विधेयक का विरोध करने वाले सदस्य एक ऐसे व्यक्ति हैं जो धर्म की प्राचीन परम्पराओं में विश्वास रखते हैं, उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया यह संशोधन कुछ विचित्र सा लगता है। इस संशोधन का आशय क्या है ? वे जो कुछ करना चाहते हैं वह यह है। मान लीजिये कि एक पिता है और उसनें अपनी सम्पत्ति अपने पुत्र के नाम करदी है और यदि उसके बाद कुछ हो जाता है तो वह सम्पत्ति पुत्र की सम्पत्ति नहीं रहनी चाहिये बल्कि वह सम्पत्ति संबंधित व्यक्ति को मिलनी चाहिये। इससे एक प्रश्न उत्पन्न होता है जिसे मैं बेनामी सौदे का प्रश्न कहूंगा। मैं इस विषय को अधिक पेचीदा नहीं बनाना चाहता। एक कहावत है जो प्राचीन परम्पराओं में विश्वाश करने वाले सभी लोगों के लिये सत्य है। मराठी में भी एक कहावत है जिसके अर्थ यह है कि आप जब एक बार किसी चीज का दान कर देते हैं, तो फिर उसे वापिस लेने से बढ़ कर और कोई भी बड़ा पाप किसी हिन्दु के लिये नहीं हो सकता है। प्राचीन संस्कृति का दम भरने वाले किसी भी व्यक्ति के लिये यह कहना बड़ा विचित्र सा लगता है कि एक बार अपनी सम्पत्ति हस्तांतरित कर देने के पश्चात उसके लिये यह गुंजाइश भी छोड़ी जानी चाहिये कि वह उसे वापस लौटा भी सके क्योंकि यदि यह नहीं होता तो वह उसी अवयस्क को ही मिलेगी।

श्रीमती चक्रवर्ती के संशोधन के सम्बन्ध में, मैं यह कहना चाहता हूं कि वर्तमान उपबन्ध के महत्व की व्याख्या कर दूं।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[**श्री बर्मन** पीठासीन हुए]

वर्तमान स्थिति के अनुसार, स्वाभाविक संरक्षक किन्हीं निश्चित उद्देश्यों के लिये, अवयस्क के लाभ के लियें, शिक्षा आदि के लिये,सम्पत्ति का अन्य संक्रामण कर सकते हैं। हमनें यह निर्णय किया है कि सामान्यतः, न्यायालय की शरण में जाये बिना और उससें इस बात की प्रत्यक्षता जांच कराये बिना कि ऐसे हस्तांतरण की वास्तव में आवश्यकता है या नहीं, वह ऐसा नहीं कर सकेगा। मान लीजिये कि एक पिता है और वह अपने पुत्र की शिक्षा पर अपना धन व्यय करना चाहता है। कुछ ऐसी भी परिस्थितियां आ सकती हैं जिनमें कि शायद उस धन को खर्च कर दे। और चूंकि यह वास्तव में उसके अवयस्क पुत्र की लाभ के लिये है, इसलिये वह ऐसा कर सकता है। अवयस्क की सम्पत्ति की निष्पति के पीछे यही एक विचार है कि वयस्कता प्राप्त करनेपर वह अपनीं इच्छानुसार अपनें संरक्षक द्वारा किये गये लेन-देन की परिपुष्टि कर सके या यह कह सके कि वह उनको माननें के लिये बाध्य नहीं है। हम जब कहतें है कि वह विवर्ज्य है, तो उसका अर्थ यहीं है कि हम उसे उस अवयस्क के वयस्कता प्राप्त कर लेने पर अपनाये जानें वाले विकल्प के अधीन कर देते हैं। मान लीजिये कि किसी मामले में स्वाभाविक संरक्षक ने सम्पत्ति का अन्य-संक्रामण अवयस्क के नाम में किया है, लेकिन उसनें इसके लिये न्यायालय से अनुमति नहीं ली है तो उस स्थिति में हम यह नहीं कहते कि वैसा लेन-देन स्वतः ही शून्य हो जायगा। विकल्प का अधिकार अवयस्क को वयस्कता प्राप्त करने पर दिया गया है। यह उसी पर छोड़ दिया गया है कि वह चाहे तो उसकी परिपुष्टि करे या यदि न चाहे तो उसे न भी मानें। इस लिये, मेरा विचार है कि विवर्ज्य शब्द ही यहां उचित होगा। आशा है कि श्रीमती रेणु चक्रवर्ती अपने संशोधन को वापिस ले लेगीं।

†**सभापति महोदय** द्वारा संशोधन संख्या २० और ३० सभा के समक्ष मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

†**सभापति महोदय :** अब में खंड ८ को लोक-सभा के समक्ष मतदान के लिये रखूंगा।

†**श्री टेक चन्द :** में अवयस्क के हित के सम्बन्ध में ही कुछ कहना चाहता हूं। आपने खंड ८(२) में व्यवस्था की हैं कि स्वाभाविक संरक्षक न्यायालय की अनुमति के लिये बिना अवयस्क की अचल सम्पत्ति को बन्धक आदि नहीं रख सकता है। आपनें 'स्वाभाविक संरक्षक' का अर्थ अब पिता तक ही सीमित कर दिया है। आपको पिता के निर्णय के सम्बन्ध में संदेह है, इसीलिये आपनें उसके निर्णय की परीक्षा के लिये न्यायालय को बीच में डाला है। ऐसी कुछ विवश परिस्थितियां भी तो हो सकती हैं जिनमें अवयस्क के ही हित के लिय पिता को सम्पत्ति को बन्धक आदि रखना पड़े। यदि यह व्यवस्था केवल अवयस्क की सम्पत्ति का दान कर देने के सम्बन्ध में ही होती तब तो ठीक था अवयस्क की सम्पत्ति की बिक्री के सम्बन्ध में भी यह व्यवस्था ठीक होती। लेकिन बन्धक आदि रखने के लिये भी ऐसी व्यवस्था करना अवयस्क के ही हितों के विरूद्ध रहेगी।

खंड ८ (ख) में आपने संरक्षक को अवयस्क की सम्पत्ति को पांच वर्ष तक के लिये पट्टे पर उठा सकने की अनुमति दे दी है। यह भी गलत है।

फिर, खंड ८ (४) में कहा गया है कि न्यायालय तब तक ऐसी अनुमति नहीं देगा जब तक कि वैसा करना निश्चित रूप से अवयस्क के हित में नही। हो सकता है कि उसका वास्तविक लाभ उसको होता हो, पर उस समय वह स्पष्ट न हो। तब, उसे न्यायालय से अनुमति न मिल सकेगी।

खंड ८ (३) में भी भाषा को स्पष्ट बनाने की आवश्यकता है। उसमें कहा गया है कि स्वाभाविक संरक्षक द्वारा की गई अचल सम्पत्ति की निष्पत्ति को अवयस्क या उसकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा किये गये दावे द्वारा शून्य किया जा सकता है। यहां हमें स्पष्ट कर देना चाहिये कि अवयस्क की ओर से किये गये दावे द्वारा शून्य किया जा सकता है। इसे और भी स्पष्ट शब्दों में रखा जाना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री पाटस्कर :** माननीय सदस्य द्वारा दिये गये तर्क अधिक सही नहीं हैं । सब से पहली बात तो यह है कि विधेयक में कहीं भी जनकों के प्रति असम्मान नहीं दिखाया गया है । इसके विपरीत प्रत्येक सम्माननीय स्वाभाविक संरक्षक वह पिता हो या माता हो सदा ही इस बारे में सतर्क रहेगा कि वह अपने प्रबन्ध में आने वाली किसी भी अचल सम्पत्ति को न बेचे । इसलिये इस प्रक्रिया की व्यवस्था अवयस्क के हित में उसके वयस्क होनें तक सम्पत्ति का संरक्षण करने के लिये की गयी है । मेरे विचार में तो कोई भी आत्म-सम्मानी पिता कभी भी इस विधेयक की किसी भी व्यवस्था को किसी भी प्रकार से अपने लिये अपमानजनक नहीं समझेगा । इसके विपरीत, वह इस विधान का स्वागत करेगा, क्योंकि यह अवयस्क की सौतेली माता की ओर से दिये जाने वाले प्रलोभनों या किन्हीं अन्य शक्तियों के दबाव से उसकी रक्षा ही करेगा। मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में शायद ही कोई शिकायत पैदा होगी ।

हम अवयस्क द्वारा उत्तराधिकार में प्राप्त सम्पत्ति को यथा सम्भव बचाये रखना चाहते हैं और उसके विक्रय को रोकना चाहतें हैं, जिससे कि उसके वयस्क होनें पर वह उसे मिल सके और वह उसका अपनी इच्छानुसार उपयोग कर सके इस विधेयक के पीछे यही विचार है ।

पट्टे का भी प्रश्न इसी प्रकार का है । मेरे मित्र संरक्षक तथा प्रतिपाल्य अधिनियम के उपबन्धों से परिचित है । यदि हम और भी अधिक समय के लिये पट्टे पर दे देने की अनुमति दे दें, और यदि कोई यह देखे कि वह सम्पत्ति का विक्रय तो कर नहीं सकता है तो वह इतने अधिक समय के लिये भी पट्टे पर दे सकता है कि जिससे अवयस्क को कोई भी वास्तविक लाभ न हो । यदि किसी मामले विशेष में कोई एक पट्टा किसी अवयस्क के लिये बहुत ही अधिक लाभदायक हो भी तो उसमें बाधा क्या है ? वह संरक्षक न्यायालय में जा कर कह सकता है : "मैं यहां दिल्ली में हूं और बीस वर्ष का पट्टा यह निश्चय ही अवयस्क के लिये लाभदायक रहेगा । न्यायालय इसकी अनुमति दे सकता है ।'

शब्दावली के सम्बन्ध में भी काफी आलोचना की गई है । लेकिन इस वाक्यावली में कोई भी नयी चीज नहीं है । संरक्षक तथा प्रतिपाल्य अधिनियम में भी इसी का प्रयोग किया गया है । "आवश्यकता पड़ने या अवयस्क के लिये निश्चित रूप से लाभदायक होने के मामले के अतिरिक्त" इन शब्दों को प्रयुक्त करनें का उद्देश्य यही है कि हम वास्तव में चाहते है कि वह लाभ बिल्कुल स्पष्ट हो । मैं कुछ ऐसे भी मामलों को जानता हूं कि जिनमें संरक्षकों द्वारा कुछ बहुत ही मूल्यवान सम्पत्तियों को बर्बाद कर दिया गया है । मैं एक ऐसे मामले को भी जानता हूं जिसमें कि अवयस्क के निवास स्थान से पचास मील दूर स्थिति एक सम्पत्ति को बेचकर संरक्षक के निवास स्थान के समीप वाला एक दुसरी सम्पत्ति को इस आधार पर खरीदा गया था कि ऐसा करनें से प्रबन्ध में अधिक सुगमता होगी यह कौन कह सकता है कि वयस्क होने पर वह अवयस्क अपने संरक्षक के निवास स्थान से दूर स्थित सम्पत्ति पर ही जा कर निवास करना और अपने लाभ के लिये उसका उपयोग करना चाहेगा, या नहीं ? हमनें इसलिये "निश्चित लाभ" शब्दों को रखा है। मान लीजिये कि किसी को इंगलैण्ड भेजा जा रहा है और उसके पास कुछ अचल सम्पत्ति है, तब तो ऐसा करना निश्चित रूप से अवयस्क के लाभ में ही होगा । एसे मामलों में, न्यायालय से आवश्यक अनुमति लेनें में कोई भी कठिनाई नहीं होगी ।

इसलिये, मेरा विचार है कि इन सभी बातों को देखते हुए इस खण्ड की वर्तमान शब्दावली किसी सम्माननीय पिता या माता की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचायेगी, क्योंकि यह सब कुछ उनके प्रतिपाल्य के हितों की रक्षा के लिये उद्धेश्य से ही किया गया है। इसी दृष्टिकोण से, मेरा कहना यही है कि इस खंड को इसी रूप में पारित किया जाना चाहिये ।

†**सभापति महोदय:** प्रश्न यह है :

"कि खंड ८ विधेयक का अंग बनें ।"

---

†**मूल अंग्रेजी में ।**

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ८—विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंण्ड ९ (इच्छापत्रीय संरक्षक और उनकी शक्तियां)

†**श्रीमति रेणु चक्रवर्ती** : मैनें एक संशोधन भेजा है कि :

पृष्ट ४ पंक्ति २४ में–

शब्द "tather" ["पिता"] के बाद "or mother" ["या माता"] शब्द रख दिये जायें ।

मैनें शब्द "माता" इसलिये रखा है क्योंकि मैं चाहती हूं कि हिन्दु पिता और माता को न केवल अपनी अवयस्क और संतान का स्वाभाविक संरक्षक बनने का अधिकार होना चाहिये, वल्कि पिता या माता को इच्छापत्र के द्वारा अवयस्क या अवयस्क की सम्पत्ति के सम्बन्ध में, संरक्षक नियुक्त करने का भी अधिकार होना चाहिये । इस खंड के उपखंड (१) में केवल "एक हिन्दु पिता" का उल्लेख है किन्तु उपखंड (३) में हिन्दु माता का भी उल्लेख है । मैं यह जाना चाहूंगी कि उपखंड (१) और उपखंड (३) में यह अन्तर क्यों है ? क्या यह केवल इसलिये है कि हिन्दु विधवा और हिन्दु माता के दो भिन्न स्थानों पर संरक्षक नियुक्त करने के अधिकार को स्पष्ट किया जा सके ? यदि ऐसा ही है, तो मैं अपनें संशोधन को प्रस्तुत नहीं करूंगी ।

†**श्री पाटस्कर** : मेरे विचार में ऐसा ही है और यह सिद्धांत के अनुसार किया गया है । उपखंड (२) के बारे में भी कोई कठिनाई नहीं है । उपखंड (३) में शब्द "हिन्दु माता" जान बूझ कर रखे गये हैं, क्योंकि उस मामले में आशय माता से है विधवा नहीं, और शब्द "हिन्दु विधवा" इसलिये रखे गये हैं क्योंकि वह उपखंड (१) के अन्तर्गत नहीं आती है । मेरे विचार में इस की भाषा उन उपबन्धों से संगत है, जिन्हें हम पारित कर चुके हैं ।

†**श्रीमति रेणु चक्रवर्ती** : तो मैं अपने संशोधन को प्रस्तुत नहीं करती हूं, क्योंकि यह उसमें आ जाता है ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खंड ९ विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड ९ —विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड १० से १३ तक विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खण्ड १—(संक्षिप्त नाम तथा विस्तार)

श्री कृ० ल० मोरे : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ १, पंक्ति ४ में–

अंक "1955" ["१९५५"] के स्थान पर अंक "1956" "१९५६" रखा जाय ।

†**श्री नंद लाल शर्मा** : मैं अपना संशोधन संख्या २२ प्रस्तुत करता हूं ।

श्री पाटस्कर : मैं संशोधन संख्या २२ को स्वीकार नहीं करता हूं किन्तु संशोधन संख्या ९ को स्वीकार करता हूं क्योंकि वह वर्ष-क्रम को बदलता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री उ० मू० त्रिवेदी:** मैंने अपने भाषण में एक प्रश्न उठाया था, जिसका माननीय मंत्री नें उत्तर नहीं दिया। वह यह था कि यदि यह विधि हमारे उन राष्ट्जनों पर, जो जम्मू और काश्मीर जा कर बस जाते हैं और उन राष्ट्रजनों पर जो वहां से यहां आ कर बस जाते हैं, लागू होती है, तो सारे अधिनियम को जम्मू और काश्मीर के हिंन्दुओं पर लागू करनें में क्या कठिनाई है ?

†**श्री पाटस्कर :** यह बात बहुत सरल है। मेरे मित्र यह बताना चाहते हैं कि यह विधि उन लोगों पर भी लागू होगी जो वास्तव में भारत के नागरिक हैं,किन्तु जो काश्मीर के अधिवासी हो गये हैं। मेरे विचार से यह कोई अनुचित बात नहीं है और उन्हें इस पर कोई आपत्ति भी नहीं है। उन्हें आपत्ति इस बात पर है कि यह जम्मू और काश्मीर पर स्वतः लागू नहीं होता है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि कुछ संवैधानिक कठिनाईयों के कारण हम इस मामले में जम्मू और काश्मीर राज्य के लिये विधान नहीं बना सकते हैं। उस राज्य ने हिन्दु विवाह अधिनियम को जो हिन्दु कोड का एक भाग था, अपना लिया है। मुझे विश्वास है कि वहां के हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम को और इस अधिनियम को भी यथा समय अपना लेगें। अतः वास्तव में कठिनाई कोई नहीं है। कठिनाई केवल प्रक्रिया में है और यह संवैधानिक है। इस का अर्थ यह नहीं है कि जम्मू और काश्मीर के लोगों और भारत के लोगों में कोई भेद-भाव किया गया है।

†**सभापति महोदय :** प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ १, पंक्ति ४ में—

अंक "1955" ["१९५५"] के स्थान पर अंक "1956" ["१९५६"] रखा जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या २२ मतदान के लिय रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय: अब में खंड १ को संशोधित रूप में सभा के समक्ष मतदान के लिये रखता हूं।

प्रश्न यह है कि :

"कि खंड १, सशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड १ संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियमन सूत्र

संशोधन किया गया :

पृष्ठ १, पंक्ति १ में—

शब्द "sixth year" ["छठे वर्ष"] के स्थान पर शब्द "seventh year" ["सातवा वर्ष"] रखा जाये —[**श्री कृ० ल० मोरे**]

†**सभापति महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि अधिनियम सूत्र , संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बनें"

---

†मूल अंग्रेजी में।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अधिनियमन सूत्र संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया । विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया ।

श्री पाटस्कर : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में पारित किया जाये ।"

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री अच्युतन (केंगनूर) : मुझे बहुत हर्ष है कि हम अब हिन्दु विधि की अन्तिम कड़ी तक पहुंच गये हैं और हिन्दु अवयस्कता तथा संरक्षकता विधयक को पारित करने वाले हैं । वास्तव में इसका श्रेय माननीय विधि कार्य मंत्री को है, जिन्होंनें इतने बड़े विधान को भागों में बाटा और दोनों सदनों में उन पर पर्याप्त चर्चा किये जानें का प्रबन्ध किया, हिन्दु अवयस्कता और संरक्षकता जैसे विषय को इस विधेयक के द्वारा संहिताबद्ध कर दिया गया है और इस के केवल १३ खंड ही हैं ।

मैं एक महत्वपूर्ण बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। जहाँ तक मिताक्षरा प्रणाली का सम्बन्ध है, पहले संयुक्त परिवार के सदस्यों को सम्पत्ति पर जन्म से ही अधिकार प्राप्त होता था हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के लागू होने के बाद अब पिता को कुछ समय तक अपनी सम्पत्ति पर पूरा अधिकार होगा और कुछ समय तक मुकदमाबाजी भी रहेगी, किन्तु यह एक ही पीढ़ी तक रहेगी बाद में विभाजन द्वारा यह उसकी अपनी सम्पत्ति हो जायेगी और पैतृक और स्वःअर्जित सम्पत्ति का महत्व जाता रहेगा । पिता को पूरा स्वामित्व प्राप्त होगा और मुकदमाबाजी की गुंजाइश भी कम हो जायेगी । इस विधेयक में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि संरक्षक पिता या माता होगी । वह अपनी सम्पत्ति को वसीयत के द्वारा हस्तांतरित कर सकते हैं। यदि वसीयत की गई हो, तो संरक्षता का प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता है । मेरे विचार में विधेयक का यह उपबन्ध अवयस्कों के लिये हितकर है और इस से मुकदमाबाजी कम होगी । यह उपबन्ध करना कि सम्पत्ति के निपटारे के लिये पिता को न्यायालय की मंजूरी लेनी पड़गी सम्बन्धित अवयस्क के हित में हैं । हमारे वकील मित्र जानते हैं कि ऐसे मामले भी हो रहे हैं, जिनमें पिता ने अपने पुत्र के हित में सम्पत्ति का अन्य संक्रामण कर दिया है और जब पुत्र वयस्क हो जाता है, तो पिता के पास कुछ नहीं रहता है । अब ऐसी सब बातें समाप्त हो जायेगी इन कारणों से मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं और आशा करतां हूं कि समाज पर यथासमय इसका उचित प्रभाव पड़ेगा ।

†**सभापति महोदय :** अब श्री आल्तेकर बोलेंगें ।

†**श्री आल्तेकर** (उत्तर सतारा): इस विधेयक के द्वारा यह परिवर्तन किया गया है कि यद्यपि वस्तुत: संरक्षकों को हटाया नहीं गया है तथापि उनकी उपेक्षा कर दी गई है । स्थिति यह है कि बहुत से मामलों में उन अवयस्कों के जिनके माता, पिता नहीं होते हैं, संरक्षक उनके चाचा, भाई या दादा होते हैं । इस विधेयक में जो उपबन्ध किया गया है उसके अनुसार उन्हें स्वाभाविक या वस्तुत: संरक्षक नहीं माना गया है । उन्हें अपने आप को संरक्षक नियुक्त कराने के लिये न्यायालय की स्वीकृति लेनी होगी । इस उपबन्ध से बहुत कठिनाई उत्पन्न होगी, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में लाखों ऐसे परिवार जो हैं यह नहीं जानते कि इस विधि का प्रशासन कैसे हो रहा है । वे संरक्षक बनने के लिये न्यायालयों में नहीं जायेंगें, क्योंकि सम्पत्तियां बहुत कम होंगी ।

खंड ११ के अन्तर्गत वस्तुत: संरक्षक अवयस्कों की सम्पत्ति का निपटारा या लेनदेन नहीं कर सकते किन्तु यदि कोई बड़ा भाई अपने अवयस्क भाई की सम्पत्ति की देखभाल करता है और उसके रहन-सहन, शिक्षा आदि के लिये खर्च करता है, तो वह ऐसा उसकी सम्पत्ति में से करता है । अब यह बात अवैध ठहराई गई है । इसलिये मैं समझता हू कि "निपटारा करना" के शब्द खंड ११

†मूल अंग्रेजी में ।

[श्री आल्तेकर]

में से निकाल दिये जाने चाहिये। वस्तुतः संरक्षकों के बारे में हमारा दृष्टिकोण बहुत युक्तियुक्त नहीं है उन संरक्षकों के बारे में उपबन्ध किया जाना चाहिये था जो साधारणतया अवयस्कों की देखरेख करते हैं और उनके पास ही रहते हैं। मुझे इस बात पर आपत्ति नहीं है कि अवयस्क की सम्पत्ति का निपटारा करने के लिये वस्तुतः संरक्षक को न्यायालय की मंजूरी लेनी पड़ेगी, किन्तु उन संरक्षकों के मामले में जिन का मैंनें उल्लेख किया है, उन्हें सम्पत्ति का दैनिक प्रबन्ध करने का अधिकार होना चाहिये। इस विधेयक के अन्तर्गत, दूर दूर के ग्रामों से बहुत से लोगों को, अवयस्कों की सम्पत्ति के प्रबन्ध के लिये मंजूरी लेने के हेतु जिला न्यायालयों में आना पड़ेगा, चाहे वह सम्पत्ति कितना ही कम क्यों न हो। इस लिये अवयस्कों के हितों की रक्षा करने के बजाय, उन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि समाज इस विधान को अवयस्कों के हित में नहीं समझेगा। यदि बाद में यही अनुभव किया गया, तो संभवत हमें इसमें पुनः संशोधन करना पड़ेगा।

†**श्री श्रीनारायण दास** (दरभंगा मध्य) : सभापति महोदय, जो विधेयक अभी लोक-सभा द्वारा संयुक्त प्रवर समिति को सुपुर्द किया जा रहा है उस के महत्व के संबन्ध में मुझे कुछ विशेष नहीं कहना है। जो अल्पवयस्क लोग हैं वे जो कानून आजकल है, उसके अन्दर अनेक तरह से उपेक्षित कहे जा सकते हैं। उनकी सम्पत्ति और स्वार्थ का जैसा संरक्षण होना चाहिये, वैसा नहीं हो रहा है। माननीय मंत्री ने इस विधेयक को संसद के सामने रख कर उपेक्षित लोगों के साथ न्याय करने का प्रयत्न किया है। यह जो विधेयक पेश है, इसका मैं समर्थन करता हूं। लेकिन एक दो विषय हैं जिनकी ओर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और मैं समझता हूं कि उनके सम्बन्ध में यदि इस विधेयक में कुछ बातें कह दी गई होतीं तथा उनके अनुसार इस विधेयक की धाराओं में कुछ सुधार कर दिया गया होता तो बहुत अच्छा रहता।

इस विधेयक में जहां दूसरी प्रकार की सम्पत्ति का ठीक प्रबन्ध करने के बारे में जिक्र किया गया है वहां पर संयुक्त परिवार में अल्प वयस्क लोगों के अधिकारों का तथा उनके हितों का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। हो सकता है कि संयुक्त परिवार का जो कर्ता है वह उस माइनर (अल्पवयस्क) के संयुक्त परिवार में जो हित हैं, उसके जो सम्पत्ति पर अधिकार हैं, उनकी देखभाल भी करे। लेकिन हो सकता है कि संयुक्त परिवार का जो कर्ता है और उस परिवार में जो अल्पवयस्क की सम्पत्ति है उसके स्वार्थ हैं, उसकी रक्षा न कर सके और उस संयुक्त परिवार में अल्पवयस्क के अधिकारों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप हो। इस वास्ते मेरा विचार है कि इस सम्बन्ध में इस विधेयक में कुछ जिक्र रहना चाहिये। गार्डियन और वार्डस एक्ट संरक्षक तथा प्रतिपाल्य अधिनियम की मुझे कोई खास जानकारी नहीं है और मैं नहीं जानता कि अल्पवयस्क की संयुक्त परिवार में जो सम्पत्ति है उसके सम्बन्ध में गार्डियन नियुक्त करने का अधिकार स्वतः हाई कोर्ट या किसी दूसरी कोर्ट को है या नहीं। मैं समझता हूं कि हाई कोर्ट को इस बात का अधिकार होना चाहिये कि जब कभी कोई ....

†**श्री पाटस्कर** : हाई कोर्ट को यह पावर है।

†श्री **श्रीनारायण दास** : जहां तक मेरा ख्याल है हिन्दु कोड की जो शाखा है, माइनोरिटी और गार्डियनशिप के बारे में उसमें कहा गया है :—

"परन्तु शर्त यह है कि इस धारा में किये गये किसी उपबन्ध से इस प्रकार के हित के सम्बन्ध में अर्थात संयुक्त परिवार सम्पत्ति में अवयस्क के हित के सम्बन्ध में उच्च न्यायालय के संरक्षक नियुक्त करने के अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा"।

†**श्री पाटस्कर** : क्लाज़ १२ को पढ़िये, इसको अभी भी रखा गया है।

†**श्री श्रीनारायण दास** : मुझे दुःख है, मैंनें उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। अब मैं आपका ध्यान एक और विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। अभी हमारे मित्र आल्तेकर साहब ने कहा कि जो डिफैक्टो गार्डियन (वस्तुतः संरक्षक) हैं उनके अल्पवयस्क की सम्पत्ति के साथ किसी प्रकार का

†मूल अंग्रेजी में।

व्यवहार करने का जिक्र नहीं किया गया है। वैसे हिन्दु समाज के, अन्दर जो सामाजिक सम्बन्ध हैं उनके अनुसार एक अल्पवयस्क का चाचा या मामा या उसके नातामा या पितामा जो हैं वे उसके डिफैक्टो संरक्षक हो सकते हैं और उनके उपर इस बात की जिम्मेवारी आ सकती है कि वे किसी भी अल्पवयस्क का पालनपोषण भरणपोषण, देखरेख, शिक्षा दीक्षा का प्रबन्ध करें । लेकिन इस विधेयक में जो धारायें दी गई हैं, मैं समझता हूं उनके द्वारा अल्पवयस्क के प्रति न्याय नहीं किया गया है । वैसे जो सामाजिक सम्बन्ध हैं उनमें उन लोगों का यह कर्तव्य है कि वे उस अल्पवयस्क के हितों की रक्षा करें और उसके अधिकारों का दुरुपयोग न करें । मैं नहीं चाहता कि किसी भी संरक्षक को यह अधिकार हो कि वह उसकी सम्पत्ति का दुरुपयोग करे । लेकिन डिफैक्टो गार्डियन जो हैं उसको इस बात का अधिकार रहना चाहिये था कि वह कोर्ट की आज्ञा से ही सही, उस अल्पवयस्क की भलाई के लिये तथा अपने कर्तव्य पालन में सुविधा लाने के लिये, उसकी सम्पत्ति के साथ कुछ अदल-बदल कर सके तथा सम्पत्ति को व्यवहार में ला सके । माननीय मंत्री जी नें जो इस बिल में डिफक्टो गार्डियन को सभी प्रकार के अधिकारों से वंचित कर दिया है और कह दिया है किसी प्रकार का अधिकार अल्पवयस्क की सम्पत्ति में उनका नहीं रहेगा । मैं समझता हूं कि जब इसको व्यवहार में परिणित किया जायेगा तो कठिनाई होगी । इससे अल्पवयस्क को शिक्षा-दीक्षा देने में, उसका भरण-पोषण करने में उसकी देखरेख में अवश्य ही कठिनाइयां उत्पन्न होंगी । इसके बारे में इस बिल में कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है । सरकार कानून तो बना देती है लेकिन उसका असर देश के विभिन्न भागों पर और खास तौर से देहातों पर क्या पड़ेगा इस ओर कुछ विचार नहीं किया जाता है । आदर्श के रूप में यह ठीक है कि अल्पवयस्क की सम्पत्ति का किसी प्रकार से दुरुपयोग नहीं होना चाहिये, उसको किसी भी प्रकार से क्षति नहीं पहुंचनीं चाहिये । लेकिन इस समय जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है, जो सामाजिक सम्बन्ध हैं या जो सामाजिक जिम्मेदारियां हैं उनमें हम यदि यह चाहते हैं कि माइनर्स के जो स्वाभाविक अभिभावक हैं या संरक्षक हैं वे न रहें और उनकी जगह पर जो दूसरे डिफैक्टो गार्डियन हैं, संरक्षक हैं वे रहें तो उनको अपना कतव्य पालन करने में सुविधा हो इसकी भी इस कानून में व्यवस्था होनी चाहिये थी । डिफैक्टो गार्डियन को यह अधिकार भी मिलना चाहिये था कि वह अल्पवयस्क की सम्पत्ति तथा उसके स्वार्थों की रक्षा करने के साथ साथ उसकी शिक्षा-दीक्षा, उसके पालन-पोषण, उसकी देखरेख, उसका भरण-पोषण करने के लिये उसकी सम्पत्ति में अदल-बदल भी कर सकता । अगर इस बिल में इस चीज की व्यवस्था भी हो जाती तो मै समझता हूं यह बिल और भी अच्छा हो जाता । इस समय तो इसकी व्यवस्था इसमें नहीं है और मैं समझता हूं किसी दूसरे समय पर पाटस्कर साहब द्वारा या जो भी उस समय दूसरे मंत्री होगें उनके द्वारा इस चीज की व्यवस्था इसमें कर दी जायेगी । जहां तक देहातों का सम्बन्ध है और जहां तक वहां बसनें वाले लाखों करोड़ों लोगों का सम्बन्ध है, मै समझता हूं इस विषय में काफी कठिनाईयां उत्पन्न होगीं और जो डिफैक्टों गार्डियन होगें उनको अपना कर्तव्य पालन करने में काफी असुविधा होगी और वे समुचित रूप से अल्पवयस्कों की शिक्षा दीक्षा, उनके भरण-पोषण की उनकी देखरेख कर सकेगें या नहीं ।

इस बिल का तो मै समर्थन करता हूं और मैं आशा करता हूं कि अल्पवयस्क के स्वार्थों और उसकी सम्पत्ति की रक्षा होगी लेकिन साथ ही साथ जिन कठिनांइयों की ओर मैंनें ध्यान आर्कषित किया है, में आशा करता हूं उन पर भी विचार कर लिया जायगा ।

†**सभापति महोदय** : मंत्री महोदय अपने उत्तर में कितना समय लेगें ?

†**श्री पाटस्कर** : जितना आप देगें । मेरा विचार है सात आठ मिनट लगेंगे ।

†**सभापति महोदय**: समय नहीं है, आप आरम्भ कीजिये ।

†**श्री पाटस्कर** : एक और माननीय सदस्य बोल सकते हैं, मुझे थोड़ा समय दे दिया जाय ।

†**श्री टेक चन्द** : मैं बिना किसी पक्षपात के मंत्री महोदय के परिश्रम की प्रशंसा करता हूं । परन्तु मैं उनके जोश और आशावाद से सहमत नहीं हूं । मैं अनुभव करता हूं कि विधेयक के प्रत्येक

†मूल अंग्रेजी में ।

[श्री टेक चन्द]

भाग से निराशा झलकती है। मंत्री महोदय का कहना है कि यह तो बड़ा सीधा-साधा सा प्रस्ताव है। मैं उनसे सहमत हूं कि यह प्रस्ताव इसलिये सीधा-साधा है क्योंकि इसमें युक्ति और न्याय ही नहीं है ।

मैं अनुभव करता हूं कि इससे मुकदमें बाजी के द्वार खुल जायेंगें । छोटी सी अदला-बदली के लिये संरक्षकों को वकील करने पड़ेगें, गवाही जुटानी होगीं, मुकदमा लड़ना होगा और परिणाम की प्रतीक्षा करनी होगी । महीनों लग जायेंगें। एक कहावत है कि "जितना बड़ा कानून होगा उतना ही बड़ा अन्याय होगा"। हम एक ऐसा कानून बना रहे हैं जिससे राष्ट्र के धन और समय का काफी नाश होगा ।

†**श्री म० शि० गुरुपादस्वामी** (मैंसूर) : आप वकील हैं ।

†**श्री टेक चन्द** : इसका अर्थ यह है कि वकील यदि ध्यान दे तो सचमुच वह न्याय और तर्क के सिद्धांतों को सामने ला सकता है ।

†**राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अ० स० गह)** : इसका अर्थ यह है कि वकील अवैयक्तिक हो सकता है ।

†**श्री टेक चन्द** : जैसा कि मेरे मित्र श्री आल्तेकर ने कहा कि खंड ११ के बहुत बुरे परिणाम निकल सकते हैं । वस्तुतः संरक्षक कभी भी सम्पत्ति के बेच देने का साहस नहीं करेगा । मेरा विचार है कि अच्छा होता यदि वह कोई ऐसा प्रस्ताव प्रस्तुत करते जिस द्वारा इस देश के हिन्दु, मुस्लिम, ईसाई अवयस्कों की रक्षा हो सकती ।

†**श्री पाटस्कर** : आमतौर पर मैं यह प्रयत्न करता हूं कि किसी के विरूद्ध कोई सख्त शब्द प्रयोग न किया जाये , लेकिन जब कोई वकील तर्क और न्याय की दुहाई देने लग जातें हैं तो जरा कठिनाई हो जाती है । श्री टेक चन्द भी वकील है और शायद श्री श्रीनारायण दास भी वकील ही हैं ।

†**श्री भागवत झा आजाद** (पूर्णिया व संथाल परगना) : नहीं, लेकिन उन्होंनें तो आप का समर्थन किया है ।

†**श्री पाटस्कर** : विरोधी भावनांयें और आदतें थोड़ी कठिनाई से जाती हैं । वास्तव में वस्तुतः संरक्षक जिसके लिये इतनीं सहानुभुति प्रर्दशित की गई है, एक अधुनिक बात है और सौ वर्ष पूर्व हाई कोर्ट के एक निर्णय से इसका अस्तित्व आरम्भ हुआ ।

वह कहते हैं कि मान लीजिये कि एक चाचा है और भाई है जो देहात में रहता है, और कोई दूसरा है नहीं, तो क्या होगा ? कुछ नहीं होगा । यदि वह भला आदमीं है तो अवयस्कों के हितों की अच्छी भांति देखरेख करेगा । यदि वह अचल सम्पत्ति का अन्यक्रामण करना चाहता है तो हमारा कहना है कि वस्तुतः संरक्षक ऐसा नही कर सकता है । वस्तुतः संरक्षक कौन है ? क्या चाचा अथवा भाई ही होते हैं ? वस्तुतः संरक्षक तो कोई भी हो सकता है, कोई पड़ोसी, कोई मित्र, कोई सम्बन्धी तक वस्तुतः संरक्षक हो सकते हैं जो भी व्यक्ति किसी अनाथ दुर्भाग्यशाली अवयस्क की सम्पत्ति का प्रबन्ध अपने हाथ में लेने पर राजी हो वही वस्तुतः संरक्षक हो सकता है ।

और यह कहा जाता है कि वे अदालत द्वारा संरक्षक बनना चाहते हैं, तो इस पर खर्चा आयेगा । यह कहना कि उस व्यक्ति से जो किसी सम्पत्ति का न्याय बनने की स्थिति में हो, यह न कहा जाये कि वह अदालत में जा कर अपनें आप को संरक्षक बनाने को कहे, एक ऐसी बात है जिसको समझना कठिन है । इसका कारण यही है कि शायद हम उसके अभ्यस्त हो चुके हैं ।

मेरा विचार है कि इस देश में पांच, छः करोड मुसलमान रह रहे हैं, वह ग्रामीण क्षेत्रों में भी रहते हैं । अभी हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक निर्णय दिया गया है कि वस्तुत; संरक्षक

---

†मूल अंग्रेजी में ।

जैसी कोई चीज मुसलमानों में नहीं पायी जाती है । यह वस्तुतः संरक्षक कौन होते हैं, और उनके क्या अधिकार हैं ? कई मामलों में उनके द्वारा किये गये नाबालिगों की सम्पत्ति सम्बन्धी सौदे रद्द कर दिये गये ।

यदि सम्पत्ति बहुत बड़ी हो तो वस्तुतः संरक्षक को अपने आप को उस पद पर नियुक्त कराने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये । यदि सम्पत्ति बहुत छोटी हो , तो क्या यह बोधनीय है कि वस्तुतः संरक्षक इसके पूर्व की नाबालिग बच्चा बड़ा हो कर जो कुछ भी उसका है उसे मांगे, वह उसको नष्ट कर दे? यह वास्तविक स्थिति है । इसका उद्देश्य किसी प्रकार कोई सख्ती करना नहीं है । दुर्भाग्य से लोग इसके आदी हो गये हैं और वह इस सम्बन्ध में केवल ग्रामीण जनता के प्रश्न को ही युक्ति रूप में उठाते हैं । मैं किसी को दोष नही देता, लेकिन जब भी कोई परिवर्तन होता है, तो उसका विरोध होना भी एक स्वाभाविक बात है। क्योंकि यह हिन्दु कोड का एक भाग है, इसलिये मेरे मित्र श्री नन्दलाल शर्मा इसका विरोध कर रहे हैं, यद्यपि यदि वह इसका अध्ययन करते तो उन्हें पता चल जाता कि इसका प्राचीन हिन्दु शास्त्रों से कोई सम्बन्ध नहीं है। जन्मजात विरोधी भावनायें और आदतें बड़ी कठिनाई से जाती हैं, और केवल यहीं औचित्य भी है ।

गलती करना मनुष्य का स्वभाव है,और मैं यह दावा भी नहीं करता कि इससे कोई कठिनाई पैदा हो ही नहीं सकती है परन्तु मैं माननीय सदस्योंसे अपील करूंगा कि जो कुछ बाकी दुनियां में हो रहा है उसको देखते हुए, वे जो कुछ हम कर रहे हैं, उसको बड़े न्याय संगत और शांति दृष्टिकोण से देखें और उन्हें उन बातों को जारी रखनें का प्रयत्न नहीं करना चाहिये, जो हमारे समाज को देखें असंगत हैं । मुझे आशा है कि जो विधान हम पारित कर रहे हैं उससे अवयस्कों के हितों को लाभ ही पहुंचेगा, और इस विधेयक का उद्देश्य भी यही है । कुछ भी हो ,जैसा कि मैंनें पहले निवेदन किया एक संरक्षक तथा प्रतिपाल्य अधिनियम हैं और उसके अन्तर्गत हम केवल माता-पिता, जो स्वाभाविक संरक्षक हैं, के सम्बन्ध में कुछ आधारभूत बातों को मान्यता प्रदान करनें जा रहे हैं ।

मुझे और कुछ नहीं कहना है । मैं उन सभी को धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंनें सामान्यतः इसका समर्थन किया है, और मैं इसके आलोचकों को धन्यवाद देता हूं क्यों कि आलोचक तो होनें ही चाहिये । मेरा अब भी यही मत है कि यह एक सीधा-साधा सा संविधान है जिससे अच्छे परिणामों की आशा की जाती हैं ।

†**सभापति महोदय** : श्री आल्तेकर नें एक बात उठाई थी कि क्या 'सम्पत्ति की देखरेख करनें ' का अर्थ सम्पत्ति का सामान्य प्रबन्ध करना भी है ।

†**श्री पाटस्कर** : यह इस अधिनियम के लिये बनाई गई कोई नयी शब्दावली नहीं, इसको संरक्षक तथा प्रतिपाल्य अधिनियम में प्रयुक्त किया गया है । इसका उद्देश्य यह है कि लोग सम्पत्ति को बेच न डालें बल्कि इस प्रकार से कार्य करें कि जिससे कि अवयस्कों के हितों की अंततोगत्वा रक्षा हो सके। यही उद्देश्य है ।

†**श्री आल्तेकर** : क्या किराया आदि वसूल करना और दिन प्रतिदिन के जीवन के सम्बन्ध में भुगतान आदि करना सम्पत्ति की देख रेख के अन्तर्गत आता है ?

†**श्री पाटस्कर** : मैं एक ऐसी शब्दावलि की जो और भी अधिनियमों में प्रयुक्त की गई, और आगे भी अदालतों द्वारा जिस का निर्वाचन किया जाना संभव है,व्याख्या करनें से बचना ही चाहूंगा ।

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

इस के पश्चात लोक-सभा बुधवार १८ जुलाई १९५६ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

---

†मूल अंग्रेज़ी मे ।

दैनिक संक्षेपिका

[मंगलवार, १७ जुलाई १९५६]

पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र ४९

जेनेवा में मई, १९५५ में आयोजित नवें विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन में गये भारतीय प्रतिनिधि मण्डल के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखी गई ।

याचिका उपस्थापित ४९

श्री शिवमूर्तिस्वामी ने राज्य पुनर्गठन विधेयक के बारे में ६ हज़ार ६ सौ अड़सठ प्रार्थियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका उपस्थापित की

विधेयक पारित . . . . ४९—८५

१६ जुलाई, १९५६ को प्रस्तुत हिन्दु अवयस्कता तथा संरक्षकता विधेयक पर, राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने के प्रस्ताव पर और आगे चर्चा पुनः आरम्भ हुई तथा विधेयक संशोधित रूप में पारित किया गया ।

बुधवार, १८ जुलाई १९५६ के लिये कार्यावली—

भारत का रक्षित बैंक (संशोधन) विधेयक पर विचार ।

भा. स. मु. ना.—वि. ३—१९२—लोकसभा १-७-५७—१९०